Par. S. 17. 1. 22. 52
285

अंक १ मंगलवार

संख्या २२ १७ जून, १९५२

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण [पृष्ठ भाग १३५७]
प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १३५७—१४०१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १४०१—१४४६]

(मूल्य ४ आने)

338 P.S.D.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, १७ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मुरली मनोहर (जिला बलिया-पूर्व)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्वाह भत्ता

*८७६. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार उन समस्त विस्थापित व्यक्तियों के मामलों पर जिन्हें निर्वाह-भत्ता मंजूर किया गया था, पुनर्विचार करने का काम प्रारम्भ कर रही है; तथा

(ख) इन पर पुनर्विचार करने का क्या उद्देश्य है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हां ।

(ख) (१) ऐसे विस्थापितों ने, जिन्हें भत्ता दिया जाता था, अपनी सम्पत्ति आदि के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किये हैं, उन को दृष्टि में रख कर यह निश्चित करना है कि

यह व्यक्ति इन भत्तों के पात्र हैं भी या नहीं ।

(२) जो दावे प्रस्तुत किये गये हैं या निर्धारित किये गये हैं उन के आधार पर देय निर्वाह-भत्ते की राशि को पुनःनिर्धारित करना ।

सरदार हुक्म सिंह: अब तक कुल कितनी राशि बांटी गई है ?

श्री ए० पी० जैन:

	रु०	आ०	पा०
१९४९-५०	१०,३३६	२	०
१९५०-५१	१५,२२,६१८	०	०
१९५१-५२	३०,११,८१९	०	०

सरदार हुक्म सिंह: क्या इस अनुदान को क्षतिपूर्ति के प्रश्न के अन्तिम रूप से तय हो जाने के समय तक जारी रखने का विचार है ?

श्री ए० पी० जैन: योजना पर समय समय पर पुनर्विचार किया जा रहा है; जब तक आवश्यक समझा जायेगा इसे जारी रखा जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह भत्ता निष्क्रान्त सम्पत्ति से प्राप्त किरायों में से दिया जा रहा है या सरकार ने कुछ अंशदान दिया है ?

श्री ए० पी० जैन: यह भत्ते निष्क्रान्त सम्पत्ति से प्राप्त आय में से दिये जाते थे परन्तु लेखा परीक्षकों द्वारा आपत्ति उठाई जाने के कारण अब उन्हें सामान्य राजस्व में से दिया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : इस व्यवस्था के संचालन में प्रशासनिक व्यय क्या हो रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : अधिकांश कार्य केन्द्रीय मंत्रालय तथा अन्य स्थायी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है । कुछ नये अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं परन्तु उन के बारे में आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

मशीनरी का आयात

*८७७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में क्या ऐसी मशीनरी के आयात के लिये कुछ लाइसेंस दिये गये थे जो देश में बनाई जाती हो; तथा

(ख) यदि हां, तो यह क्या क्या मशीनरी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । इस श्रेणी के अन्तर्गत लाइसेंस आयात व्यापार नियंत्रण संयंत्र तथा मशीनरी पुस्तिका, १९५२, में दिये गये निदेशों के अधीन जारी किये जाते हैं ।

(ख) अपेक्षित विवरण तैयार करने में जो समय और श्रम लगेगा, वह प्राप्त सूचना के महत्व के सममात्रिक नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य उक्त पुस्तिका को निर्दिष्ट करेंगे तो उन्हें उस में सारी सूचना मिल जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : इन लाइसेंसों द्वारा जो मशीनरी मंगाई गई थी, क्या उस में पुरानी अथवा मरम्मत की हुई मशीनरी भी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जैसा मेरे माननीय कार्य बन्धु ने कहा, पूरा विवरण इकट्ठा करना तो कठिन है क्योंकि इस सूचना का सम्बन्ध बहुत बड़े क्षेत्र से है । पुस्तिका में सामान्य सिद्धान्त दिये हुए हैं और उन का सामान्यतः अनुसरण किया जाता है । हो सकता है कि ऐसे थोड़े से मामले हों जिन में कि यह लाइसेंस किसी विशेष उद्योग को दिये जाते हों । अथवा, यह भी हो सकता है कि हम अपनी कुछ आवश्यकताओं को देश के उत्पादन से पूरा कर लेते हैं । और शेष आवश्यकताओं के लिये बाहर से आयात करते हैं । इन सब बातों का पुस्तिका में वर्णन है । इस प्रश्न विशेष के बारे में, उत्तर यही है कि हम सूचना इकट्ठी नहीं कर सकते हैं । हां, यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट उदाहरण हो तो मैं उस के बारे में सूचना इकट्ठी करने का भरसक प्रयत्न करूंगा ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है । परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या इन लाइसेंसों द्वारा कोई मरम्मत की हुई या पुरानी मशीनरी भी आयात की गई थी । मुझे उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दिया जाये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसा मैं ने कहा है, इस सूचना को इकट्ठा करने में जो कठिनाइयां हैं उस के कारण 'हां' या 'नहीं' में उत्तर देना कठिन है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह लाइसेंस इस लिये दिये गये थे कि हमारे यहां जितनी मशीनरी बनी थी, उस से अधिक हमारी आवश्यकता थी या इन लाइसेंसों को देने के कोई और कारण थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य का ध्यान पुनः उस पुस्तिका में दी गई शर्तों की ओर दिलाऊंगा जिन से शायद वह सन्तुष्ट हो सकेंगे । यदि इस के अतिरिक्त वह कुछ और चाहते हैं और एक दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करेंगे तो मैं उस का उत्तर देने का भरसक प्रयत्न करूंगा ।

चीन जाने के लिये पारपत्र

*८७८. **श्री बैलायुधन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चीनी लोक मजदूर संघ संस्थाओं द्वारा निमंत्रित किये जाने पर मई दिवस समारोह में भाग लेने के हेतु चीन जाने के लिये कितने भारतीयों ने पारपत्रों तथा प्रवासाज्ञाओं के लिये आवेदन किया ; तथा

(ख) यह पारपत्र और प्रवासाज्ञायें कितनों को दिये गये ?

प्रधान मंत्री (श्री) जवाहरलाल नेहरू) : (क) जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है, चीन लोक मजदूर संघ संस्थाओं के निमंत्रण पर मई दिवस समारोह में भाग लेने के हेतु चीन जाने के लिये ३५ व्यक्तियों ने पारपत्र सुविधाओं के लिये आवेदन किया था।

(ख) २८ ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार उन प्रतिनिधियों को जो चीन जाना चाहते थे, पारपत्र देने से मना करने के कारण बताने की स्थिति में है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निश्चय ही, परन्तु उस का ऐसा करने का विचार नहीं है।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार बता सकेगी कि कुछ सदस्यों को पारपत्र देने से क्यों मना किया गया जब कि अन्य व्यक्तियों को जाने दिया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह बतलाने को तो तैयार हैं परन्तु उस का ऐसा करने का विचार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह सूचना अभी बतलाना नहीं चाहते हैं ।

श्री पुन्नूस : मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना क्यों नहीं दी जा सकती ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस विषय में सरकार का निर्णय स्वीकार करना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार जानती है कि बिहार के एक आवेदक को पारपत्र चीन के लिये रवाना होने की तारीख के दो महीने बाद मिला ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्हें अपने आप को धन्य समझना चाहिये कि उन्हें आखिर मिल तो गया ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर तो स्पष्ट है कि सरकार इस बारे में सूचना देना नहीं चाहती।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा यह परिहास क्यों किया जा रहा है कि उन के पास कारण तो हैं परन्तु वह बतलाने को तैयार नहीं हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस प्रश्न पर आश्चर्य हो रहा है । श्रीमान्, क्या मुझ से यह आशा की जाती है कि सदन में प्रश्नों के घंटे में मैं प्रत्येक व्यक्ति के आचरण के बारे में यहां कुछ कहूं या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का इतिहास यहां बतलाऊं ? मुझे वास्तव में बड़ा आश्चर्य है । मैं पूछता हूं कि इस सरकार के अतिरिक्त क्या कोई भी ऐसी सरकार है जो पारपत्र देने में इतनी उदार है ?

यूगैंडा रूई (आयात)

*८७९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) **वर्ष १९५२-५३ में कितनी यूगैंडा रूई का आयात किया जायेगा ;**

(ख) रूई किस प्रकार की है ;

(ग) आयात की गई रूई की अन्य किस्मों की कीमतों तथा यूगैंडा रूई की कीमत में क्या अन्तर है ; तथा

(घ) क्या यूगैंडा लिन्ट मारकेटिंग बोर्ड के साथ रूई के आयात के बारे में कोई अन्तिम समझौता हो गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) वर्ष १९५२ में यूगैंडा रूई की १,६०,००० गांठें आयात की जा रही हैं ।

(ख) यह एक लम्बे रेशे वाली रूई है जिस के रेशे की लम्बाई ११/८ इंच से अधिक है ।

(ग) इस के मुकाबले की रूई केवल कैलीफोर्निया की रूई है जिस की कीमत यूगैंडा रूई खरीदने के लिये किये गये समझौते के समय २,००० रुपये प्रति कंडी बतलाई गई थी । उत्तमता में, कताई में और रेशे की लम्बाई में यूगैंडा रूई कैलीफोर्निया की रूई से अच्छी है । अतः जिस कीमत पर कि यूगैंडा रूई का सौदा हुआ था वह २,४०५ रुपये प्रति कंडी था जिस में भाड़ा व्यय और आयात शुल्क सम्मिलित था ।

(घ) जी हां ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या इसे वस्तु विनिमय आधार पर खरीदा गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या इस किस्म की रूई को भारत में सब तरह का कपड़ा बनाने के काम में लाया गया है या केवल विशेष किस्मों का कपड़ा बनाने के लिये ही ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: प्रत्यक्ष रूप से, इसे बारीक किस्म का और बहुत बढ़िया किस्म का कपड़ा बनाने के काम में लाया जाता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: सरकार रूई का आयात डालर क्षेत्र से अधिक कर रही है या स्टर्लिंग क्षेत्र से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सरकार अभी उस स्थिति पर नहीं आई है जब उसे भावी नीति के सम्बन्ध में निश्चय करना होगा । इस समय हम रूई का आयात अमरीका, मिश्र, सूडान और यूगैंडा से कर रहे हैं । अधिकतर मात्रा, निश्चय ही अमरीका से आ रही है ।

श्री के० जी० देशमुख: वर्ष १९५१-५२ में इस रूई की कितनी मात्रा आयात की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यूगैंडा रूई के बारे में यूगैंडा लिंट मार्केटिंग बोर्ड के साथ हुए नवीनतम समझौते के अनुसार हमें उस की फसल का २/३ भाग यानी लगभग १,३३,००० गांठें लेनी थीं ।

श्री के० जी० देशमुख: प्रति कंडी के हिसाब से दर क्या थी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: दर हम ने अभी तय नहीं की है परन्तु आशा है कि यह लगभग २,४०० रुपये होगी ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सत्य है कि भारत में यूगैंडा रूई की अधिकांश मात्रा सूत बनाने के काम में लाई जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सारी रूई सूत बनाने के काम में लाई जाती है ।

श्री एस० सी० सामन्त: मेरा अभिप्राय है कि क्या यह हस्तकरघों तथा अन्य कार्यों के लिये सूत बनाने के काम में लाई जाती है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

कच्चे माल का अन्तर्राष्ट्रीय वितरण

*८८०. **श्री बी० आर० भगत**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय वितरण पर नियंत्रण जारी रखा जायेगा ?

(ख) यदि रखा जायेगा, तो वर्ष १९५२ में दुर्लभ कच्चे माल के बटवारे की क्या योजना है ?

(ग) वर्ष १९५१ में भारत को ऐसा कच्चा माल, जिस की उसे आवश्यकता थी, कितना दिया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस समय जो प्रत्याशा है उस के अनुसार स्थिति यह है कि चूंकि अभी परिस्थितियां वैसी ही चली आ रही हैं, जैसी उस समय थीं, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री संस्था बनाना आवश्यक हो गया था, इसलिये ऐसे कच्चे माल का, जिस का मिलना अब भी कठिन है, अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर वितरण जारी रखा जायेगा ।

(ख) बटवारे के सिद्धान्त वस्तु समितियां बनाती हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री संस्था के आधीन कार्य करती हैं । यह समितियां प्रत्येक दुर्लभ कच्चे माल के लिये अलग अलग बनी हुई हैं और सारे देशों की मांगों को ध्यान में रख कर निश्चित सिद्धांतों के आधार पर उपलब्ध माल का वितरण करती हैं ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]**

श्री बी० आर० भगत : क्या वर्ष १९५२ का अभ्यंश अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री संस्था द्वारा निश्चित किया जा चुका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सन् १९५२ के लिये अन्तिम बटवारा निश्चित नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रत्येक चार महीने बाद किया जाता है। इस के अर्द्धांश के बारे में, हम अभी अन्तिम रूप से निश्चित करने की स्थिति पर नहीं हैं । इस मामले पर बातचीत चल रही है ।

श्री बी० आर० भगत : क्या भारत सरकार ने अखबारी कागज के दिये जाने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री संस्था से अग्रेतर निवेदन किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है । परन्तु मेरा विचार है कि अखबारी कागज के बारे में वर्त्तमान स्थिति ऐसी है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री संस्था से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० आर० भगत : यह जो कह गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री संस्था द्वारा कोई बटवारा नहीं किया गया है, इस को दृष्टि में रखते हुए मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या बटवारे के लिये निवेदन किया था और संस्था द्वारा उसे नामंजूर कर दिया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि उन वस्तुओं के बारे में, जो सुविधापूर्वक उपलब्ध हैं, कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री संस्था के पास नहीं जाती है । जस्ता, हो सकता है कि मैं कुछ गलती पर हूं, इन वस्तुओं की सूची से निकल गया है क्योंकि जस्ते के मिलने में उतनी कठिनाई नहीं रही है । चूंकि अखबारी कागज भी काफ़ी सुविधा से मिल जाता है, इसलिये इस के बटवारे का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री दाभी : वह वस्तुएं कौन सी हैं जिन के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह आठ वस्तुयें हैं—तांबा, जस्ता गंधक, टंगस्टन, मोलिबडेनम, निकिल, कोबाल्ट.....

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

***८८१. डा० एम० एम० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये मकानों की संख्या और उन के बनाने पर हुआ कुल व्यय ;

(ख) इन मकानों में से अब तक बेचे गये मकानों की संख्या और उन से वसूल धन ;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को किराये पर दिये हुए मकानों की संख्या और उन के किराये के रूप में वसूल राशि ;

(घ) खाली पड़े हुए मकानों की संख्या ; तथा

(ङ) उन मकानों की संख्या जिन के बनाने की योजनायें बनाई जा चुकी हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): ३१-३-१९५२ तक दिल्ली में २२,२६९ मकान बनाये गये थे । ३१-३-१९५२ तक दिल्ली में मकान बनाने का कुल व्यय अनुमानतः ९.९० करोड़ रुपया है जिस में मकान और दुकानें तथा अधिग्रहण और विकास कार्य भी शामिल है ।

(ख) ३,०१७ । इनसे १.०५ करोड़ रुपया वसूल हुआ है ।

(ग) १५,०८१ । इन का वर्त्तमान मासिक किराया २.३० लाख रुपये है, परन्तु वसूली हर महीने बदलती रहती है ।

(घ) कोई खाली नहीं है । परन्तु १-४-१९५२ को ४,१७१ नये मकानों का प्रथम आवंटन किया जा रहा था ।

(ङ) ६,६२६ मकानों के निर्माण की योजनायें बनाई जा चुकी हैं । सन् १९५२-५३ में १०,००० मकान बनाने का प्रस्ताव है ।

डा० एम० एम० दास: इन मकानों के मासिक किराये तथा विक्रय मूल्यों को निश्चित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

श्री ए० पी० जैन: मासिक किराये के लिये एक तो धन विनियोग और दूसरे लाभपूर्ण किराये को ध्यान में रखा जाता है । विक्रय मूल्यों के बारे में, वास्तविक लागत को आधार माना जाता है ।

डा० एम० एम० दास: मासिक विनियोग पर कितना प्रतिशत ब्याज लिया जाता है ?

श्री ए० पी० जैन: ३.५ प्रति शत ब्याज, १.५ प्रतिशत देखभाल और मरम्मत आदि के व्यय के लिये तथा १ प्रतिशत संग्रह व्यय के लिये, इत्यादि ।

डा० एम० एम० दास : क्या दिल्ली नगर में तथा दिल्ली नगर से बाहर स्थिति एक ही प्रकार के मकानों के विक्रय मूल्य अथवा किराये एक से हैं ?

श्री ए० पी० जैन: मैं ने अभी कहा है कि किराये निश्चित करते समय लाभ पूर्ण किराये को भी ध्यान में रखा जाता है और इसलिये एक ऐसे मकान का, जो अधिक घनी बस्ती में हो, उस मकान की अपेक्षा अधिक किराया लिया जाता है जो एक कम घनी बस्ती में हो चाहे बनावट में वैसा ही क्यों न हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह ऐसे प्रश्न न करें जिन के बारे में सभी लोग जानते हों । जब कि माननीय मंत्री से कोई विशेष सूचना मांगनी हो तब ही प्रश्न किये जायें । अन्यथा सदन का समय अनावश्यक बातों में खर्च होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों को जो मकान सरकार ने दिये हैं उन में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किराये पर दूसरों को मकान दिये हुए हैं और ज्यादा किराया वसूल करते हैं ?

श्री ए० पी० जैन: जी हां, बहुत काफ़ी ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इस तरह मकान को किराये पर लिया और दूसरों को किराये पर उठा दिया । इस चीज से मुझ को भी शुरू में परेशानी पैदा हुई और मैं ने एक नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी किया कि वह लोग जिन्होंने हम से मकान किराये पर लिया है और दूसरों को उठा दिया है वह खुद

इस बात की इत्तिला हम को दे दें और अगर उन के पास एक से ज्यादा मकान हैं तो उन को इस बात का मौका दिया जायेगा कि वह अपनी जरूरत के लिये जो मकान चाहें रख लें। लेकिन इस का नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला। लोगों ने इस की इत्तिला नहीं दी। इस के बाद हम ने दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया कि जो लोग उस मकान में बैठे हुए हैं यानी जिन को किराये पर उठा दिया गया है अगर वह इत्तिला देंगे तो उन से बराहरास्त हम तालुक कायम कर देंगे और यह बीच के जो आदमी हैं उन को हटा देंगे या जो आदमी हम को इस बात की इत्तिला देंगे कि मकान को दूसरों को किराये पर उठा दिया है या मकान को बन्द कर के चले गये हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उन शरायत के मुताबिक जिन के मुताबिक उन को मकान दिये गये थे उन को उठा दिया जायेगा।

अण्डमान में विस्थापित व्यक्ति

*८८२. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के किसी नये दल को अण्डमान द्वीप भेजा गया है;

(ख) ३१ मार्च, १९५२ तक वहां कुल कितने विस्थापित व्यक्ति स्थापित हुए;

(ग) ३१ मार्च १९५२ तक कितने वापस आये;

(घ) विस्थापित व्यक्तियों को अब तक और क्या क्या नई सुविधायें दी गई हैं; तथा

(ङ) क्या निकट भविष्य में किसी नये दल को भेजा जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) जी हां।

(ख) ३८९ परिवार।

(ग) ४८ परिवार।

(घ) कोई नई सुविधायें नहीं दी गई हैं।

(ङ) पश्चिमी बंगाल सरकार का विचार इस वर्ष १२५ परिवारों को अण्डमान भेजने का है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या वहां विस्थापितों को पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा कोई ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है परन्तु मेरे विचार से पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है। जिन परिवारों को, अण्डमान द्वीपों को भेजने के लिये चुना जाता है, उन्हें या तो न नगरीय पुनर्वास के लिये या ग्राम्य पुनर्वास के लिये भेजा जाता है। इन में से प्रत्येक परिवार को ऋण दिया जाता है और हमारी सामान्य नीति यह है कि जिस व्यक्ति को एक बार ऋण मिल चुका हो, उसे दुबारा न दिया जाये।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सत्य है कि वहां बस्तियां बसाने के लिये ऋण की मांग की गई है ?

श्री ए० पी० जैन: मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है। वास्तव में, पुनर्वास वित्त प्रशासन मेरे मंत्रालय के आधीन नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त क्या वहां की सन् १९५१ में की गई जनगणना की संख्या और माननीय मंत्री द्वारा पहले दी गई संख्या में कोई अन्तर है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री ए० सी० गुहा: क्या अण्डमान द्वीपों से सम्बन्धित सामान्य विकास योजना भी पुनर्वास कार्यक्रम के साथ समन्वित की जायेगी ?

श्री ए० पी० जैन : निश्चय ही।

श्री ए० सी० गुहा : इन द्वीपों में शरणार्थियों को फिर से बसाने का क्या कार्यक्रम है ?

श्री ए० पी० जैन : वास्तव में बहुत सी योजनायें बनाई गई हैं और समय समय पर उन में परिवर्तन करना पड़ा है । अब प्रस्ताव यह है कि जंगलों को काट कर उस जमीन पर शरणार्थियों को बसाया जाये । कुछ नगरीय शरणार्थियों को भी भेजा जायेगा ।

श्री बादशाह गुप्त : किन विशेष कठिनाइयों के कारण वह भारत वापस आ गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : ४८ परिवार वापस आये हैं । इस के तीन कारण बताये गये हैं । (१) उन में से कुछ व्यापारी जो वहां गये थे परिश्रमी नहीं थे--और अण्डमान जैसे अविकसित क्षेत्र में परिश्रम करना बहुत आवश्यक है ; (२) कुछ विस्थापित व्यक्ति अपने को नये वातावरण के अनुकूल न बना सके और भारत वापस आगये ; और (३) इन विस्थापित व्यक्तियों में से जिन्हें अण्डमान भेज दिया गया था, कुछ को यह सूचना मिली कि पूर्वी बंगाल में स्थिति कुछ सुधर गई है । इसलिये उन्होंने वापस अपने घरों को जाना अधिक पसन्द किया ।

कॉफ़ी (विक्रय मूल्य)

*८८३. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भारतीय कॉफ़ी पर्षद् को निदेश दिया है कि उस के प्रचार यूनिट कॉफ़ी को बाजार भाव पर बेचें ;

(ख) क्या कॉफी हाउस बाजार भाव से कम भाव पर कॉफ़ी नहीं बेच रहे थे ;

(ग) क्या सरकार ने इस निदेश को जारी करने से पहले भारतीय कॉफ़ी पर्षद् से परामर्श किया है ; तथा

(घ) इस निदेश को जारी करने के कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां; परन्तु इस बारे में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर विचार होने के कारण सरकार का निदेश अनिर्णीत स्थिति में ही रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) निदेश भारतीय कॉफ़ी पर्षद् के कुछ मुख्य सदस्यों से विस्तृत परन्तु अनौपचारिक चर्चा करने के बाद ही दिया गया था ।

(घ) निदेश जारी करने का कारण यह है कि अब इस बात को आवश्यक नहीं समझा गया है कि कॉफ़ी हाउसों में कॉफ़ी की बिक्री को विशेष महत्व दिया जाये ।

श्री पी० टी० चाको : कॉफ़ी के बाजार भाव में तथा उस भाव में, कितना अन्तर है जिस पर कॉफ़ी पर्षद् द्वारा कॉफ़ी हाउसों में कॉफ़ी की फुटकर बिक्री की जाती थी ?

श्री करमरकर : मुझे इस की पूर्व-सूचना चाहिये, परन्तु कॉफ़ी हाउसों का भाव बाजार भाव की अपेक्षा उचित है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या ऐसा कोई प्रबन्ध किया गया है जिस से कि उत्पादकों को बढ़ी हुई दर मिल सके ?

श्री करमरकर : मैं यहां पूरी स्थिति समझाना चाहता / । कॉफ़ी हाउसों में कॉफ़ी की बिक्री बन्द करने के प्रयत्न का वास्तविक अभिप्राय यह था कि हम इस समय लगभग २०,००० टन का उत्पादन करते हैं और हमारी खपत १९,००० टन तक पहुंच गई है , जिस का अर्थ है कि लगभग सारे उत्पादन की देश में ही खपत हो जाती है

युद्ध से पहले १६,००० टन में से हम ८,००० टन का निर्यात कर देते थे । अतः निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से और उत्पादकों को भी सहायता देने की दृष्टि से हम ने काफ़ी हाउसों में कॉफ़ी बेचने की प्रथा को हतोत्साहित करने का विचार किया ; दूसरी बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहां की जनता इस समय काफ़ी पीने की अधिक आदत डाले । स्पष्ट है कि अभ्यावेदनों पर विचार होने के समय तक यह निदेश अनिर्णीत स्थिति में था ।

श्री पी० टी० चाको : हम कितनी मात्रा का निर्यात कर रहे हैं ?

श्री करमरकर : इस वर्ष, संभव है इस में कुछ ग़लती हो, मेरे विचार से हम निर्यात के लिये लगभग १,२०० टन नियत कर चुके हैं और १,००० टन अभी हाल में नियत किये गये हैं ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं यह समझूं कि सरकार कॉफ़ी निषेध लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : निषेध का कोई प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वलायुधन : क्या कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि इसलिये हुई है कि अमरीका और इंग्लैण्ड ने पहिले से बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी खरीदी थी ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मेरे विचार से माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न के क्षेत्र से परे है । प्रश्न कीमत में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में नहीं है । प्रश्न अधिकाधिक निर्यात की दृष्टि से कॉफ़ी हाउसों में बिक्री को हतोत्साहित करने से सम्बन्ध ——

रेशम उद्योग

*८८४. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारत का रेशम उद्योग क़ीमतों के गिरने के कारण बहुत बड़े संकट में पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इन आलोचनाओं की ओर दिलाया गया है कि क़ीमतों में हुआ भारी चढ़ाव-उतार के कारण सरकार की अस्थिर आयात नीति तथा अपर्याप्त तटकर सम्बन्धी रक्षण है ; तथा

(ग) क्या सरकार ने उद्योग को पर्याप्त सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को विदित है कि रेशम उद्योग इस समय कठिनाई में है ।

(ख) चढ़ाव-उतार सामान्य आर्थिक दशाओं के कारण है, सरकार की किसी नीति से नहीं ।

(ग) जी हां ।

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह सत्य है कि इस समय लगभग ५००० रेशम के करघे अकेले मैसूर राज्य में बेकार पड़े हैं ?

श्री करमरकर : मैं ठीक ठीक संख्या के बारे में निश्चित नहीं हूं, परन्तु सरकार को यह ज्ञात है कि कुछ करघे बेकार हैं ।

श्री पी० टी० चाको : क्या यह सत्य है कि रेशम के थोक व्यापारियों ने अपनी खरीद ७० प्रति शत कम कर दी है ?

श्री करमरकर : ठीक ठीक प्रतिशतता के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु यह सत्य है कि कच्चे रेशम के बिकने में कठिनाई हो रही है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या यह सत्य है कि लगभग ५ लाख रुपये का रेशम अकेले मैसूर राज्य में पड़ा हुआ है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५१-५२ में बनावटी रेशम के धागे के आयात को तिगुना कर दिया गया था ?

श्री करमरकर: मुझे इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये। परन्तु बनावटी रेशम के धागे के आयात का रेशम के व्यापार में मन्दी आ जाने से सम्बन्ध नहीं है।

श्री टी० के० चौधरी: भाग 'ग' के बारे में, मैं पूछ सकता हूं कि रक्षण शुल्कों में परिवर्तन करने के अतिरिक्त रेशम बुनने वालों तथा कीड़े पालने वालों को प्रस्तावित सहायता किस रूप में दी जायेगी ?

श्री करमरकर: सहायता मख्यतः शुल्कों द्वारा रक्षण देकर ही दी जाती है।

श्री टी० के० चौधरी: क्या कोई अर्थ-सहायता भी दी जायेगी ?

श्री करमरकर: जी नहीं।

श्री मादिया गौडा: मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या यह सत्य नहीं है कि रेयोन और बनावटी रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देना ही रेशम की, जो एक ग़रीब आदमी का उद्योग है, कम कीमतों के लिये कुछ सीमा तक उत्तरदायी है ?

श्री करमरकर: जी नहीं।

श्री पी० टी० चाको: क्या सरकार के ध्यान में रेशम निर्माता संघ के मंत्री (सेक्रेटरी) का वह वक्तव्य लाया गया है जिसमें कहा गया है कि रेशम के दाम कम होने के कारण अकेले मैसूर राज्य में इस समय २००० परिवार बेकार हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): सरकार माननीय सदस्य से प्राप्त इस सूचना पर ध्यान देगी।

तिलहन तथा तेलों पर निर्यात शुल्क

*८८९. **श्री बर्मन**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह तिलहन और तेल कौन से हैं जिन पर से मार्च १९५२ में मुद्रासंकुचन आरंभ होने के समय से निर्यात शुल्क हटा दिया गया है या कम कर दिया गया है ?

(ख) वर्ष १९५२-५३ की आय पर उन का क्या प्रभाव होगा ?

(ग) वर्ष १९५१-५२ से तुलना करते हुए तिलहन और तेलों के निर्यात अभ्यंश को कितना बढ़ा दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) 'कर्डीसीड', 'निगरसीड' तथा मूंगफली के तेल पर से निर्यात शुल्क हटा लिये गये हैं;

(ख) शुल्क निर्यात में कमी न होने देने के लिये हटाया गया था।

(ग) जुलाई १९५२ से जून १९५३ तक के वर्ष के लिये तेल तथा तिलहन के निर्यात अभ्यंश अभी निश्चित नहीं हुए हैं।

श्री बर्मन: क्या यह निर्यात अभ्यंश आन्तरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर निश्चित किये जाते हैं या किसी और बात को ध्यान में रख कर किये जाते हैं ?

श्री करमरकर: आवश्यक रूप से, यह आन्तरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर निश्चित किये जाते हैं।

श्री बर्मन : देश में तेल की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

श्री करमरकर : तेल की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बर्मन : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि देश में पशुओं के खिलाने और खाद के लिये खली की आवश्यकता है, सरकार की तेल के स्थान पर तिलहन निर्यात करने में क्या नीति है ?

श्री करमरकर : हमारी निश्चित नीति तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की है, तिलहन के निर्यात को नहीं ।

श्री दाभी : तेलों तथा तिलहन के निर्यात की नीति का तेलों की आन्तरिक कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है ।

उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद्

*८९०. **श्री बी० आर० भगत :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद् ने कार्य करना आरंभ कर दिया है ;

(ख) यदि कर दिया है, तो क्या अनुसूचित उद्योगों के पंजीयन तथा अनुज्ञापन से सम्बन्धित नियमों का प्रारूप तैयार हो गया है ;

(ग) क्या कुछ उद्योगों के लिये विकास परिषदें स्थापित हो गई हैं ; तथा

(घ) यदि हो गई हैं, तो किन उद्योगों के लिये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) तथा (घ). इन उद्योगों के लिये विकास परिषदें स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है :

(१) मूल रासायनिक द्रव्य—तेज़ाब तथा कृषिसार

(२) मूल रासायनिक द्रव्य—क्षार

(३) चमड़ा और चमड़े का सामान

(४) कागज़, जिसमें अख़बारी काग़ज़ और मोटा काग़ज़ (पेपर बोर्ड) शामिल हैं

(५) साइकिलें और उस के पुर्जे

(६) आन्तरिक दाह्य इंजन (इंटरनल कम्बस्शन इंजन)

(७) कांच तथा चीनी के बर्तन ।

श्री बी० आर० भगत : अनुसूचित उद्योगों को लाइसेंस देने के लिये क्या अब तक कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि इन दोनों विषयों में परस्पर सम्बन्ध नहीं है । अनुसूचित उद्योगों को लाइसेंस देने की वर्तमान प्रणाली चालू रहेगी । और जब तक विकास परिषदें नहीं बन जातीं तब तक उन का इस मामले में परामर्श देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बी० आर० भगत : मैं यह पूछना चाहता था कि उद्योगों के अनुज्ञापन और पंजीयन के लिये नियमों का प्रारूप तैयार हो गया है ; क्या नियमों के अनुसार कोई व्यवस्था स्थापित की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सारे प्रश्न पर विचार हो रहा है । शायद इस में कुछ समय लग जाये ।

श्री बी० आर० भगत: क्या उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद् उत्पादन की क़िस्म तथा कुशलता पर विचार करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: परामर्श देने वाली संस्था के रूप में केन्द्रीय परामर्श-दात्री पर्षद् का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है । वह कई विषयों पर परामर्श दे सकती है । इसकी पहली बैठक मई में हुई थी । यह तो सदस्यों पर निर्भर है कि वह इस में कितनी रुचि लेते हैं और क्या करते हैं । यह तो हमें अब देखना होगा कि आगे चल कर उस का कितना प्रभाव होगा और उस परामर्श के अनुसार कितना काम होगा ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों के नाम क्या हैं और वह किन किन पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह एक बहुत लम्बी सूची है । मैं इसे पढ़ कर सुनाऊं या माननीय सदस्य से गज़ट का विशेषांक देखने को कहूं ?

अध्यक्ष महोदय: इसे सदन पटल पर रखना अच्छा होगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं सदन पटल पर एक सूची रखने का प्रबन्ध करूंगा । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]

श्री ए० सी० गुहा: क्या उस में यह भी रखा है कि सदस्य किन किन पक्षों का प्रातनिधित्व करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे विचार से इस का उल्लेख है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या पर्षद् छोटे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों तथा बड़े उद्योगों के हित में कार्य कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जहां तक विकास परिषदों का सम्बन्ध है, छोटे उद्योगों के लिये कोई विकास परिषद् बनाने का विचार नहीं है, किन्तु जहां तक उन को परामर्श देने का प्रश्न है, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है । निस्सन्देह, छोटे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का पुनर्विलोकन किया जायेगा ।

श्री बी० आर० भगत: उन उद्योगों के अतिरिक्त, जिन के लिये विकास परिषदें स्थापित हो चुकी हैं, क्या सरकार अन्य उद्योगों के लिये भी ऐसी ही परिषदें बनाने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार केवल इन सात उद्योगों के लिये ही विकास परिषदें बनाना सोच रही है । और अधिक परिषदें खोलने का प्रश्न तब ही तय किया जायेगा जब कि सातों ठीक तरह से स्थापित हो जायेंगी । इस समय यह स्थिति है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या पर्षद् में केवल बड़े उद्योगों के ही प्रतिनिधि हैं या उस में छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों का प्रतिनिधित्व भी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखी सूची की ओर दिलाता हूं । [देखये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]

रूई का लाना ले जाना

*८९१. **श्री बी० आर० भगत:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में रूई के लाने ले जाने पर जो प्रतिबन्ध लगे

हुए हैं उन में कोई कमी की है, यदि की है, तो किस प्रकार ; तथा

(ख) सरकार द्वारा रूई तथा सूती कपड़े के लाने ले जाने पर किये गये नियंत्रण को शिथिल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]

श्री बी० आर० भगत : सूती कपड़े के लाने ले जाने पर से नियंत्रण हटा लेने से मिलों में कपड़े के स्टॉक की स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है कि स्थिति में बहुत काफ़ी सुधार हुआ है।

श्री बी० आर० भगत : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या कपड़े पर से नियंत्रण हट जाने के परिणामस्वरूप, राज्य के मनोनीत व्यक्तियों या फ़र्मों द्वारा अभ्यंश उठाने के सम्बन्ध में स्थिति सुधरी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में नियंत्रणों को शिथिल करने से राज्य के मनोनीत व्यक्ति या फ़र्मों का क्षेत्र काफ़ी कम हो गया है क्योंकि उन का अभ्यंश २० प्रति शत तक सीमित कर दिया गया है। मुझे इस बारे में कि मई के महीने में मनोनीत व्यक्तियों या फ़र्मों ने क्या किया था वास्तव में कोई सूचना नहीं है। परन्तु चाहे वह अपना अभ्यंश उठायें या न उठायें, इस बात का वर्तमान व्यवस्था में विशेष महत्व नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : क्या मैं यह समझूं कि इस नई स्थिति में जहां तक रूई के लाने ले जाने का प्रश्न है, लाइसेंसों और अनुज्ञा-पत्रों के लिये टैक्सटाइल कमिश्नर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि विवरण में दी गई सूचना से ज्ञात होगा, लाने ले जाने में काफ़ी स्वतन्त्रता थी ; विशेषतः सी और डी श्रेणी के लाइसेंसों के लिये, कोई छानबीन की आवश्यकता नहीं है और किसी योग्यता का प्रश्न नहीं है। इसलिये इन लाइसेंसों के जारी करने के बारे में टैक्सटाइल कमिश्नर का वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं है।

सेठ अचल सिंह : क्या गवर्नमेंट को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाने के लिये कपड़े पर रोक लगाई हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मैं ने माननीय सदस्य की बात को ठीक से समझा है, तो उत्तर प्रदेश में नियंत्रणों को पूर्ण रूप से शिथिल करने के बारे में अभी भी कठिनाई है। सरकार निस्सन्देह हमें सहयोग दे रही है परन्तु अन्तर्वर्तीय कठिनाइयां तो हैं ही परन्तु हमें पूरी आशा है कि एक या दो सप्ताह में सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

पंडित एम० बी० भार्गव : नियंत्रणों को शिथिल करने से देश में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह नहीं जानता कि यह काय-कारण से सम्बन्धित मामला है परन्तु मई में हमारा उत्पादन लगभग अधिकतम सीमा तक पहुंच गया था।

श्री के० जी० देशमुख : सी तथा डी श्रेणी के लाइसेंसों के बारे में सरकार द्वारा हाल ही में की गई कार्यवाही के पश्चात् मिल मालिकों द्वारा रूई के अभ्यंश उठाये जाने की स्थिति में क्या कोई सुधार हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय मध्य प्रदेश में रूई की स्थिति से है, तो इस बारे में मुझे बताया गया है कि स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। मूल्यों में स्थिरता आ रही है।

यदि यह इस बात का सूचक है कि रूई की मांग हो रही है, तो मेरे माननीय मित्र को यह निष्कर्ष निकालना ही होगा कि मिल मालिक रूई उठा रहे हैं ।

सीमान्त बस्तियां

*८९२. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) २४ परगना ज़िले में बोनगांव के सबडिवीज़न में क्या कुछ विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां हैं जिन्हें सीमान्त बस्तियां कहा जाता है ;

(ख) इन बस्तियों की विशेष बातें क्या हैं ;

(ग) इन में से प्रत्येक वस्ती में कितने परिवार रखे गये हैं ; तथा

(घ) विस्थापित व्यक्तियों को जीविका-उपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के लिये क्या कोई व्यवस्था की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) इन बस्तियों के बारे में विशेष बात यह है कि इन विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी रूप से रहने के लिये सी० आई० चादरों के एक कमरे वाले दो दो छोटे मकान दिये गये हैं । वास्तव में यह मकान उन विस्थापित व्यक्तियों के अस्थायी निवास के लिये थे जो सन् १९५० के आरम्भ में यहां चले आये थे ।

(ग) ७०६ परिवार टेंगरा, ६५० हेलेचां और ३४४ कुमारखोला भेजे गये हैं ।

(घ) जी हां, ।

श्री ए० सी० गुहा : प्रत्येक परिवार को दी गई कृषि-भूमि का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे पास प्रत्येक परिवार के बारे में आंकड़े नहीं हैं परन्तु टेंगरा में किसानों के ५३९ परिवारों को १,०३९.४ एकड़ भूमि दी गई है । हेलेचां में किसानों के ३९२ परिवारों को ७०२.९४ एकड़ दी गई है और कुमारखोला में किसानों के ३२९ परिवारों को ४४०.९६ एकड़ भूमि दी गई है ।

श्री ए० सी० गुहा : उन परिवारों को, जो खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, क्या कोई व्यापार सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, ऋण दिया गया है ।

श्री ए० सी० गुहा : इन मकानों की लागत क्या है और शरणार्थियों को दिये गये ऋण के सम्बन्ध में इस का हिसाब कैसे रखा जाता है ?

श्री ए० पी० जैन : मूल रूप से इन मकानों में से प्रत्येक का मूल्य ५०० रुपया है । बाद में प्रत्येक परिवार को इन मकानों की मरम्मत के लिये १५० रु० का ऋण दिया गया ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या उन्हें मकानों के लिये यही रुपया दिया गया है यानी क्या केवल १५० रुपये ही दिये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मकानों के अतिरिक्त ।

श्री ए० सी० गुहा : तो क्या मैं यह अनुमान कर लूं कि उनको मकान मुफ़्त में दिये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है । वास्तव में इस योजना पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें निश्चित सूचना दे सकता हूं ।

श्री बादशाह गुप्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन सीमान्त बस्तियों की सुरक्षा के लिये कोई विशेष प्रबन्ध किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन: मेरे विचार से इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध मौजूद हैं।

मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनायें

*८९३. **श्री जांगड़े:** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) उन नदी घाटी परियोजनाओं के नाम, जिन को मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना के अंगस्वरूप कार्यान्वित करने का निश्चय किया है और जिन को केन्द्रीय सरकार के योजना आयोग ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) उपर्युक्त नदी घाटी परियोजनाओं में से आजकल किस किस का भूमापन-कार्य चल रहा है या निकट भविष्य में शुरू होने वाला है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) पंचवर्षीय योजना के प्रथम भाग में मध्य प्रदेश में चालू किये जाने के लिये किसी नदी घाटी परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कौन कौन नदी घाटियों का भूमापन काम बन्द कर दिया गया है और क्या इस भूमापन काम के बन्द होने में रुपये की कमी प्रधान कारण थी या यह कि मध्य प्रदेश की सरकार खर्चे में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी या इस कार्य को आगे बढ़ाने की नीति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय: आप उन बातों को निर्दिष्ट कर रहे हैं जिन की सूचना वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार से लेनी चाहिये थी। क्या माननीय मंत्री के पास माननीय सदस्य द्वारा पूछी गयी जानकारी है ?

श्री नन्दा: मेरे पास उन परियोजनाओं की सूचना है जिन के बारे में राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे विचार से इन्हीं माननीय सदस्यं द्वारा पूछे गये और दूसरे प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं जिनके बारे में पूरा विवरण दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: वह प्रश्न कौन से हैं ?

श्री नन्दा: ८९४ और ८९५।

अध्यक्ष महोदय: तो आप यह प्रश्न भी पूछें लें और तीनों प्रश्नों को एक साथ ले लिया जाये।

जोंक घाटी परियोजना

*८९४. **श्री जांगड़े:** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या मध्य प्रदेश की जोंक घाटी परियोजना के भूमापन या दूसरे ऐसे ही काम की अवधि, जो फ़रवरी, १९५२ तक ही थी, और बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस काम के किस तिथि तक चलने की आशा है; तथा

(ग) इस भूमापन कार्य में अब तक कितना धन व्यय हुआ है और यह व्यय केन्द्रीय और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच किस आधार पर वहन किया जा रहा है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर १९५२ के अन्त तक।

(ग) ३० अप्रैल, १९५२ तक ४,१३,६४५ रुपये। खर्चा केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय व्यवस्था अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई है।

जोंक घाटी परियोजना

*८९५. **श्री जांगड़े :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूमापन कार्य आदि अर्थात् जोंक घाटी परियोजना के कार्यान्वित करने का प्रथम चरण पूरा किया जा चुका है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या जोंक घाटी परियोजना निष्पादन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने योग्य है ; और

(ग) इससे कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और भूमापन कार्य आदि अर्थात् निष्पादन के प्रथम चरण के पूरा हो जाने के बाद इस परियोजना पर कितना व्यय किया जायेगा ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परियोजना की अभी जांच हो रही है और कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, अतः इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी और अनुमानित खर्चा कितना होगा ?

श्री जांगड़े : क्या यह सत्य है कि गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को इस कार्य के सम्बन्ध में सलाह के लिये नागपुर भेजा था और मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई राय नहीं दी ?

श्री नन्दा : श्रीमान्, दोनों सरकारों के बीच जांच करने के व्यय के वितरण तथा भुगतान करने के समय आदि के प्रश्न पर कई बार विचार किया गया है और केन्द्रीय सरकार के नवीनतम प्रस्तावों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है ; बातचीत अभी चल रही है ।

श्री जांगड़े : मैं जान सकता हूं कि जोंक नदी घाटी की मौके पर जांच करने के लिये वहां के सब-डिवीज़नल इंजीनियर के सिवाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और केन्द्रीय सरकार के कोई ऊंचे कर्मचारी नहीं गये थे ?

श्री नन्दा : कई बार गये थे ; उस परियोजना के बारे में स्थिति यह है कि कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयां सामने आ गई थीं और जैसा कि उत्तर में कहा गया है, जांच करने की अवधि को बढ़ाना पड़ा था। ऐसी सम्भावना है कि अक्तूबर तक यह कार्य हो जायगा।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कितनी नदी घाटियों का भूमापन बन्द कर दिया है ?

श्री नन्दा : केन्द्रीय सरकार द्वारा इसी परियोजना की नहीं बल्कि कुछ अन्य नदी घाटी परियोजनाओं की भी जांच की जा रही है। जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है, कुछ महीनों में इस की जांच करने का कार्य समाप्त हो जायगा ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : इस का उत्तर हिन्दी में दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जितनी नदी घाटियों का भूमापन कार्य बन्द कर दिया गया है उस भूमापन कार्य में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री नन्दा : जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि उस ने जांच करने का कुछ काम प्रारम्भ किया था, और वह

उसे आगे नहीं बढ़ा सकी है, परन्तु मेरे पास उस के व्यय के विस्तृत आंकड़े नहीं हैं ।

कोयला साफ़ करने के कारख़ाने

*८९६. **श्री बर्मन:** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कोयला साफ़ करने के कितने कारख़ाने स्थापित किये गये हैं और कितने चल रहे हैं; तथा

(ख) इस समय घटिया कोयले की कितनी मात्रा साफ़ की जा रही है और इस से कोक बनाने योग्य अच्छे प्रकार के कोयले (कोकिंग कोल) की कितनी मात्रा बच रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कोयला साफ़ करने का एक कारख़ाना स्थापित हो गया है और काम कर रहा है । दूसरे के बैनाने का विचार किया जा रहा है ।

(ख) लगभग २०,००० टन प्रति मास। कोक बनाने योग्य अच्छे प्रकार के कोयले की लगभग १६,००० टन मात्रा प्रति मास बचने का अनुमान है ।

श्री बर्मन: साफ़ करने के जो कारख़ाने निकट भविष्य में स्थापित किये जाने वाले हैं उन की संख्या और क्षमता के बारे में सरकार ने क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री बर्मन: क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूं ? धातुर्कामिक कोयले के सरंक्षण से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ ४० पर यह जो कहा गया है कि "यथाशीघ्र इस प्रकार का क़ानून बनाना चाहिये कि कोक बनाने योग्य सारे कोयले को इतना साफ़ किया जाये कि उस में अधिक से अधिक १५ प्रतिशत राख रह जाये ।" क्या सरकार ने इस सिफ़ारिश पर कोई ध्यान दिया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: धातुर्कामिक कोयले के सरंक्षण से सम्बन्धित समिति की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा एक एक कर के कार्यवाही की जा रही है और कोयला साफ़ करने के बारे में भी, धातुर्कामिक कोयले को संरक्षित करने की दृष्टि से, सभी यथासंभव कार्यवाही की जा रही है । इस समय मैं यह ठीक ठीक बताने की स्थिति में नहीं हूं कि सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ।

धातुर्कामिक कोयला

*८९७. **श्री बर्मन:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में धातुशोधन में काम आने वाला विभिन्न प्रकार का कोयला कितना है ?

(ख) वर्ष १९५१ में धातुर्कामिक कोयले की कितनी मात्रा रेलों में तथा अन्य कार्यों में काम में लाई गई और उसी वर्ष में कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) अपेक्षित जानकारी सम्बन्धी एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]

(ख) वर्ष १९५१ में रेलों में अच्छे प्रकार (सिलेकटेड ग्रेड) का १,१३९,१९३ टन कोयला काम में लाया गया था । इसी वर्ष ४४३,३५१ टन का निर्यात हुआ ।

अन्य कार्यों में काम आने वाली मात्रा के बारे में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और यथासमय सदन पटल पर रख दिये जायेंगे ।

श्री बर्मन: मैं उसी समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ ४१ को फिर निर्दिष्ट करता हूं

जहां यह कहा गया है कि "योजना की क्रियान्विति के लिये ५ वर्ष जैसी एक समय अवधि दी जानी चाहिये जिस के बाद धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन में और धातुकर्मिक उद्योग की नितान्त आवश्यक माँगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये ।" इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जैसा मैंने कहा था, प्रत्येक संभव कार्यवाही की जा रही है और जहां तक रेलों द्वारा धातुकर्मिक कोयले की खपत का प्रश्न है सरकार ने रेलों में इस कोयले की खपत कम कर दी और इस के स्थान पर दूसरे कोयले का प्रयोग किया जा रहा है । इस के अलावा अन्य कार्यवाहियां भी की जा रही हैं। यदि माननीय सदस्य और सूचना जानना चाहते हैं तो उन के नये सिरे से एक प्रश्न की पूर्व सूचना देने पर मैं यह जानकारी देने को तैयार हूं ।

श्री बर्मन : मैं यह नहीं कहता कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । मेरा प्रश्न यह है कि कितने समय बाद सरकार, अनावश्यक कार्यों के लिये धातुकर्मिक कोयले को काम में लाया जाना बन्द करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी: जितनी जल्दी संभव होगा । कार्यवाही की जा रही है; हम तो पांच वर्ष की अवधि की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते । हम थोड़े थोड़े महीनों बाद प्रगति करना चाहते हैं और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं इस विषय में पूरी दिलचस्पी के साथ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री के० के० बसु: धातुकर्मिक कोयला किन किन देशों को भेजा जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी: उदाहरण के लिये, जापान को ।

श्री के० के० बसु: धातुकर्मिक कोयले की कमी को तथा देश में औद्योगिक कार्यों के लिये इसकी मांग को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार अब आगे निर्यात न करने की सम्भाव्यता पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): धातुकर्मिक कोयले की कमी नहीं है । समझ में नहीं आता यह बात क्यों समझ ली गई है । हमारे पास इतना कोयला है जो लगभग २०० वर्ष या १०० वर्ष तो अवश्य ही चल सकता है । परन्तु फिर भी यह आवश्यक है है हम उसे बचा कर रखें क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या काम पड़ जाये इसलिये हमें इसको व्यर्थ ही काम में नहीं लाना चाहिये । परन्तु इस की कमी नहीं है ।

श्री के० के० बसु: मेरा अभिप्राय भविष्य में देश को औद्योगिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर कमी करने से था, वैसी कमी से नहीं ।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता.

***८९८. पंडित एम० बी० भार्गव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के बारे में राजकोषीय आयोग की रिपोर्ट की जांच की है ; तथा

(ख) यदि की है तो सरकार इंग्लैण्ड से और उपनिवेशों से व्यापार स्थिति का पुनर्विलोकन करने तथा रियायतें जारी रखने या न रखने के लिये बातचीत कब आरम्भ करना सोच रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पंडित एम० बी० भार्गव: क्या सरकार ने इस व्यापार समझौते के काम में लाये जाने पर तथा उस से सम्बन्धित अन्य बातों पर विचार किया है कि वह भारत के लिये लाभप्रद है या हानिकारक ; यदि किया है तो वर्ष १९५१-५२ में इस देश को वास्तविक हानि या लाभ कितना हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस विषय पर बराबर जांच की जाती है । इस में हमें कुछ लाभ है क्योंकि चाय पर लगाई जाने वाली शुल्क में २ पैंस की कमी कर दी जाती है । विभाग हानि का हिसाब लगाने का प्रयत्न कर रहा है किन्तु अभी तक हम कोई निश्चित आंकड़े ज्ञात नहीं कर सके हैं और मैं अपने आप को कोई बात कह कर वाग्बद्ध नहीं कर सकता । किन्तु यह एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है और मेरे विचार से यह कोई बड़े आंकड़े भी नहीं हैं । इस के अलावा यह आंकड़े भी अधिकतर अनुमान पर ही आधारित होते हैं ।

पंडित एम० बी० भार्गव: क्या सरकार के विचार से इस रियायत का जारी रखना एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न देश के रूप में भारत की स्थिति के अनुकूल है ?

अध्यक्ष महोदय: यह तो अपनी अपनी सम्मति का विषय है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता जी०ए०टी०टी०के विरुद्ध पाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: स्वभावतः जी०ए०टी०टी० पर हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण हम किसी दूसरे को यह रियायतें नहीं दे सकते और यदि हम ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों को दी जाने वाली यह रियायतें बन्द कर दें जैसा कि हम ने कुछ मामलों में किया है तो भी उन को फिर से रियायतें देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है । बहुत से मामलों में हमने इन रियायतों को बिल्कुल ही कम कर दिया है । यदि कोई नया समझौता किया जाना है तो रियायतें देने का प्रश्न तब तक उत्पन्न ही नहीं होता जब तक हम जी०ए०टी०टी० के हस्ताक्षर-कर्त्ता बने रहते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा: जी०ए०टी०टी० तथा हवाना घोषणा-पत्र को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते में समूल परिवर्तन करने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: इस से अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं । यद्यपि एक समय हम ने प्रयोगात्मक रूप से हवाना घोषणा-पत्र को स्वीकार कर लिया था, किन्तु उसे विश्व के समस्त देशों ने स्वीकार नहीं किया था और जी०ए०टी०टी० ही केवल मात्र ऐसा समझौता है जिसे सब देशों ने मान रखा है । यह कहना कि यह भी अधिक समय तक चालू रहेगा या नहीं मेरे लिये बहुत कठिन है । जी०ए०टी०टी० पर हस्ताक्षरकर्त्ता होने के नाते हमारे जो वायदे हैं उन के अतिरिक्त अन्य मामलो में भारत द्विपक्षीय समझौतों की प्रक्रिया का अनुसरण करता है । यही प्रक्रिया आज कल चल रही है । हम ब्रिटेन तथा अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं और जब हमारे लिये यह बहुत लाभदायक होगा तो हम समझौता कर लेंगे ।

श्री वैलायुधन: क्या भारत सरकार के समक्ष साम्राजीय अधिमान में जिस के अनुसार अब भी भारत तथा ब्रिटेन के मध्य व्यापार होता है, संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न इतनी तेज़ी से पूछा गया है कि मैं उसे समझ नहीं सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: में अगला प्रश्न लेता हूं ।

कुटीर उद्योग के लिये जापानी मशीनें

*८८९. **पंडित एम० बी० भार्गव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व उद्योग तथा रसद मंत्रालय और पुनर्वास मंत्रालय ने मिल कर कुटीर तथा छोटे उद्योगों का अध्ययन करने के लिये एक शिष्ट मंडल जापान भेजा था ;

(ख) यदि भेजा था, तो क्या इस शिष्ट मण्डल ने कुछ जापानी मशीनें खरीदीं थीं ;

(ग) क्या यह मशीनें भारत में सरकारी हिसाब में लाई गई थीं और सरकारी हिसाब में ही चलाई जा रही हैं या इन्हें असरकारी व्यक्तियों को दे दिया गया था ; तथा

(घ) किन किन केन्द्रों में यह मशीनें चलाई जा रही हैं और उन से क्या क्या लाभ हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) शिष्ट मंडल द्वारा खरीदी यह सारी मशीनें सरकारी हिसाब में भारत में लाई गई थीं । कुछ मशीनों को छोड़ कर, जिन्हें रुपया ले कर विस्थापित व्यक्तियों तथा उन की संस्थाओं को दे दिया गया है, सारी मशीनें सरकार द्वारा काम में लाई जा रही हैं ।

(घ) यह मशीनें हरदुआगंज स्थित केन्द्रीय कुटीर उद्योग संस्था में, दिल्ली तथा भोपाल स्थित विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्य केन्द्रों में और राज्य सरकारों द्वारा प्रबन्धित अन्य कई केन्द्रों में काम में लाई जा रही हैं । सामन्यत: यह मशीनें लाभप्रद ही सिद्ध हुई हैं ।

पंडित एम० बी० भार्गव: इन मशीनों के आयात से किस धन्धे या उद्योग में सुधार हुआ है ?

श्री करमरकर : कुछ मशीनें तो बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुई हैं । उदाहरण के लिये, अरब की सराय केन्द्र में लगभग १७५ रुपये की क़ीमत का फुटकर छपाई के काम में आने वाला प्रेस और बिजली से और हाथ से चलने वाली तेल निकालने की मशीनें दिन प्रति दिन अधिक काम में लाई जा रही हैं । परन्तु अभी इस बात का अनुमान लगाना कि इन मशीनों से कितना लाभ हो रहा है समय से पूर्व होगा परन्तु निश्चय ही यह मशीनें लाभप्रद सिद्ध हुई हैं ।

पंडित एम० बी० भार्गव: इन मशीनों से सन् १९५१-५२ में कुल कितना उत्पादन हुआ ?

श्री करमरकर : यह मशीनें यहां इसलिये लाई गई हैं कि इन्हें यहां नमूने के रूप में रखा जाये । इन मशीनों की जांच की गई थी और इन्हीं की बनावट की दूसरी मशीनें तैयार कर के उन्हें बेचने के लिये रखा गया था । यह अभी नहीं कहा जा सकता कि इन से कितना उत्पादन हुआ है ।

पंडित एम० बी० भार्गव: क्या इन मशीनों को ठीक प्रकार से चलाने के लिये आवश्यक टेकनिकल ज्ञान रखने वाले व्यक्ति मिल गये हैं ?

श्री करमरकर: जी हां ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: वह छोटे उद्योग कौन कौन से हैं जिन के लिये इन मशीनों को आयात किया गया है ?

श्री करमरकर: इस प्रश्न के विस्तृत उत्तर के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा परन्तु उदाहरण के लिये, कुछ मशीनें, जिन्हें यहां दिया हुआ है, इस प्रकार है : पैर से चलाई जाने वाली कातने की मशीन (ट्रेडल स्पिनिंग मशीन), पैर से चलने वाली बुनने की मशीन (ट्रेडल वीविंग मशीन), सुई बनाने वाली मशीन । बांस उद्योग के लिये मशीनें आ गई हैं और उन्हें आसाम भेज दिया गया है जहां विशिष्ट प्रकार का बांस पाया जाता है । इस के अलावा फुटकर छपाई के काम आने वाला प्रेस और तेल निकालने की मशीनें भी हैं, जिन की मैं चर्चा कर चुका हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या इन में से कोई मशीनें सरकारी सस्थाओं में बनाने के काम में लाई गई हैं ? मंत्री महोदय ने कहा कि उन्हें राज्यों द्वारा काम में लाया गया है क्या कोई मशीनें सरकारी संस्थायें बनाने के लिये दी गई हैं ?

श्री करमरकर: जी नहीं ।

श्री एन० पी० दामोदरन: माननीय मंत्री ने कहा कि मशीनें नमूने के लिये लाई गई हैं । क्या भारत में ऐसी मशीनें बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है या कोई योजना बनाई गई है ?

श्री करमरकर: जैसा मैं ने कहा इन्हीं मशीनों की बनावट की कुछ दूसरी मशीनें बनाई गई हैं और उन्हें बेचा गया है, विशेषत: फुटकर छपाई वाला प्रेस और तेल निकालने की मशीनें । मेरे विचार से मेरे माननीय कार्यबन्धु पुनर्वास मंत्री इस विषय में संभवत: कुछ और सूचना दे सकेंगे ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): इन मशीनों जैसी बनावट की दूसरी मशीनें प्रयोगात्मक आधार पर बनाई गई हैं । कुछ मशीनें जैसे प्रेस, बिजली से चलने वाली तेल निकालने की मशीनें आदि बड़ी संख्या में बनाई गई हैं और अन्य मशीनें जैसे प्लास्टिक प्रोजेक्टर, एक या दो की संख्या में बनाई गई हैं और उन्हें बेचने के लिये बाजार में नहीं रखा गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

रुई और कपड़े के मूल्य

श्री सिंहासन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि रूई का मूल्य बढ़ गया है ;

(ख) क्या सरकार ने मामूली और मोटे कपड़े के विक्रय मूल्य में वृद्धि की है ;

(ख) सरकार द्वारा कपड़े की इन किस्मों के मूल्य बढ़ाये जाने के कारण ; तथा

(घ) क्या सरकार ने मिल मालिकों के अभ्यावेदन करने पर मूल्यों में वृद्धि करने का निश्चय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). कपड़े के मूल्यों में तटकर पर्षद् के सिद्धान्त के अनुसार सामान्यतया प्रत्येक तीन महीने बाद फेर बदल किया जाता है । बारीक और बहुत बढ़िया कपड़े के जो प्रधानत: विदेशी रूई से ही बनाया जाता है, मूल्यों में भी सदा की भांति अप्रैल-जून १९५२ की तिमाही के लिये फेर बदल किया गया था । जहां तक मोटे और मामूली कपड़े का सम्बन्ध है, जो भारतीय रूई से बनाया जाता है, यह निश्चय किया गया कि अप्रैल के महीने में पिछले मूल्यों को ही जारी रखा जाये । मोटे और मामूली दर्जे के कपड़े के मूल्यों में फेर बदल करने का प्रश्न अप्रैल में फिर लिया गया परन्तु मिल उद्योग से इस बारे में समझौता न हो सका क्योंकि अन्य बातों के अलावा उसका यह कहना था कि

उसने भारतीय रूई उस समय खरीदी थी जब कि दाम बहुत बढ़े हुए थे और कपड़ा बनाने की लागत भी बढ़ी हुई थी। बनाने की लागत के बारे में मैं ने जांच करने का वायदा कर दिया और इस जांच के होने तक मई के महीने के लिये तटकर पर्षद् के सिद्धान्त के अनुसार मूल्यों में फेर बदल कर दिया गया जिस का परिणाम यह हुआ कि पिछली तिमाही के मूल्यों में ५ प्रतिशत और २४ प्रतिशत की कमी हो गई। बनाने की लागत की जांच करने के फलस्वरूप पहली जून से मूल्यों में पुनः परिवर्तन किया गया और इस में मजदूरी तथा निर्माण व्यय में हुई वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया। इस का नतीजा यह है कि मई के मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि, यानी .७ प्रति शत से २.५९ प्रति शत की, की गई है।

श्री सिंहासन सिंह : सूती माल के मूल्य में हुई वृद्धि से तुलना करते हुए स्वयं रूई के मूल्यों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जून के महीने में, जब फेर बदल किया गया था, रुई के मूल्य में वृद्धि करने के प्रश्न को ध्यान में नहीं रखा गया था। वास्तव में मई में, तटकर पर्षद् के सूत्र के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन करते समय जिस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ा था वह रूई के मूल्य में हुई कमी का ही प्रश्न था।

श्री सिंहासन सिंह : मैं देखता हूं कि रूई के मूल्यों मे तो कमी हुई है परन्तु सूती सामान के मूल्य में वृद्धि हुई है। सरकार के पास इस के क्या कारण हैं ? क्या यह बढ़ी हुई मजदूरी के कारण हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने अल्पसूचना प्रश्न इसलिये मंजूर किया था क्योंकि लोगों में यह मिथ्या भ्रम फैल रहा था कि सूती माल के मूल्यों में बढ़े हुए निर्माण व्यय के कारण ०.७ से २.५९ प्रति शत की वृद्धि की हाल ही में जो घोषणा की गई थी वह मोटे और मामूली दर्जे के कपड़े की कीमतों में एक तदर्थ वृद्धि थी। वास्तव में, यह बात नहीं है। मई में, कीमतों में काफ़ी कमी की गई थी——जैसा मैं ने कहा ५ से २४ प्रतिशत कमी की गई थी अतः मई में कीमतों में जो कमी हुई थी वह काफ़ी बड़ी कमी थी और वह रूई के दाम में कमी होने के कारण की गई थी। इस विषय में, यह थोड़ी सी वृद्धि इसलिये हुई है क्योंकि मज़दूरी और महंगाई भत्ते के बढ़ने के कारण निर्माण-परिव्यय में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि बहुत ही कम है।

श्री सिंहासन सिंह : इस वृद्धि का ठीक ठीक कारण क्या था ? आपने कहा कि यह रूई के मूल्य मे हुई वृद्धि के कारण नहीं है। तो क्या यह मजदूरी में अधिक व्यय होने के कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं बता चुका हूं कि मई में मिल-उद्योग को जिस फेर बदल का वायदा किया गया था वह निर्माण व्यय की जांच ही थी और इसी जांच के फल-स्वरूप यह ०.७ से २.५९ प्रति शत की थोड़ी सी वृद्धि की गई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मजदूरी में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जांच मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध टैक्सटाइल कमिश्नर द्वारा की गई थी और मेरे विचार से उन्होंने मजदूरी में जो वृद्धि हुई है उसे ध्यान में रखा है। वास्तव में, मैं ने उन से इन आंकड़ों को अलग अलग निकालने के लिये नहीं कहा था, परन्तु निश्चय ही महंगाई भत्ते में थोड़ी वृद्धि हुई है, और उसी के कारण मूल्य बढ़े हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परन्तु निर्वाह व्यय देशनांक तो वही है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस विषय पर अब और प्रश्न पूछने से विशेष लाभ नहीं होगा। माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने अल्पसूचना प्रश्न इसलिये स्वीकार किया है क्योंकि वह वृद्धि के बारे में एक वक्तव्य देना चाहते थे। स्पष्टतः उन के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि वह सारे विवरण देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री वैलायुधन : वह चर्चा के समय उन्हें दे सकते हैं। उस समय यह मामला भी उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय सारी बातें उठाई जा सकती हैं बशर्ते कि वह संगत हों और सीमा के अन्दर हों।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिन्दरी में उत्पादित कृषिसार

*८८५. **डा० पी० एस० देशमुख** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिन्दरी फ़ैक्टरी में उत्पादित कृषिसार कृषकों को किस दर पर दिये जाते हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में यह दर क्या होगी ;

(ग) नवम्बर, १९५१ से अप्रैल १९५२ तक के महीनों में से प्रत्येक में भारत में कितना कृषिसार आयात किया गया ; तथा

(घ) आयात किये गये कृषिसारों के लिये प्रति टन क्या मूल्य देना पड़ा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) इस समय सिन्दरी के कृषिसार राज्य सरकारों को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय खाद संग्रहालय द्वारा सिन्दरी में भाड़ा मिला कर ३८० रुपये प्रति टन की एक सी क़ीमत पर दिये जाते हैं। राज्यों में इस खाद के वितरण का भार राज्य सरकारों पर है जो संग्रहालय कीमत में भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय जोड़ कर फुटकर कीमत निर्धारित करती हैं। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में फुटकर कीमतें उन के द्वारा दिये गये भाड़े तथा अन्य व्यय के अनुसार भिन्न भिन्न होंगी।

(ख) लगभग ४४० रुपये।

(ग) नवम्बर १९५१ . . ६,४५१ टन
दिसम्बर ,, ...१५,३८० ,,
जनवरी १९५२ . . . . ६,५५२ ,,
फ़रवरी ,, . .१३,७८५ ,,
मार्च . . ९,३४४ ,,
अप्रैल ,, ...१२,४५२ ,,

(घ) पत्तन पर भाड़े सहित औसत मूल्य लगभग ४४० रुपये प्रति टन।

रूई (उत्पादन तथा आयात)

*८८६. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४६-४७ से १९५१-५२ तक भारत में रूई की कुल कितनी गांठों का उत्पादन हुआ ?

(ख) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में भारत में छोटे रेशे की कुल कितनी रूई में आयात हुआ ?

(ग) उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में कुल कितना रूई का गूदड़ निर्यात किया गया ?

(घ) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५१-५२ में रुई का जो उत्पादन हुआ था वह हाल के वर्षों में सब से अधिक था ?

(ङ) वर्ष १९५१-५२ में विदेशों से सब से अधिक मात्रा में रूई मंगाने के क्या कारण हैं ?

(च) प्रत्येक वर्ष में विदेशी रूई को किन किन कीमतों पर आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क), (ग) तथा

(च) विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]

(ख) छोटे रेशे की रुई आयात नहीं की जाती है।

(घ) जी हां।

(ङ) जितनी रूई आयात की गई थी वह हमारी आवश्यकताओं के अनुमान के अनुसार थी।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

*८८७. **डा० पी० एस० देशमुख**: (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४७, १९४८, १९४९, १९५० तथा १९५१ में से प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितना ऋण दिया गया ?

(ख) प्रत्येक वर्ष में इस ऋण में से कितना वसूल किया गया है ?

(ग) यदि ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक वर्ष में इस ऋण पर कितना ब्याज दिया जाना था ?

(घ) ३१ मार्च, १९५२ को उस ऋण की कुल राशि क्या थी जो अभी चुकाया नहीं गया था ?

(ङ) इसी तिथि को उस ब्याज की राशि कितनी थी जो चुकायी नहीं गई थी ?

(च) इस ऋण और ब्याज की वसूली के बारे में क्या नीति है ?

(छ) क्या सरकार को विदित है कि बहुत से व्यक्तियों ने, जो भारत के स्थायी निवासी थे अपने आप को विस्थापित कह कर बड़ी बड़ी राशियों के ऋण ले लिये हैं ?

(ज) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले लाये गये हैं ?

(झ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या और उन्होंने कितना रुपया लिया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (झ)। सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

पंचवर्षीय योजना

*८८८. **श्री टी० एन० सिंह**: (क) क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंच-वर्षीय योजना को कहीं आरम्भ किया गया है; यदि हां, तो कौन कौन से राज्यों में कार्य हो रहा है ?

(ख) क्या सरकार प्रथम वर्ष में किये जा रहे प्रयत्नों के बारे में पूरे विवरण देने का विचार करती है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी हां, सब राज्यों में।

(ख) जी हां। प्रथम वर्ष में योजना के कार्य-संचालन की एक रिपोर्ट यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात (आयात)

*९००. **श्री झुनझुनवाला** :
पंडित एम० बी० भार्गव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे। जिस में यह बातें दी गई हों :

(क) गत पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा किया गया इस्पात की देशवार आयात तथा इसी काल में विभिन्न सूत्रों से आयात किये गये इस्पात की कीमत; तथा

(ख) उपरोक्त काल में लोहे और इस्पात के उपभोक्ताओं की १५ श्रेणियों को इस्पात का तिमाही आवंटन ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख)। दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]

मोटा और मामूली कपड़ा

***९०१. डा० राम सुभग सिंह:** (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मोटे और मामूली कपड़े को समस्त अनुमतियोग्य स्थानों को निर्यात करने के लिये मुक्त रूप से लाइसेंस देने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस किस अवधि के लिये मान्य होंगे ?

(ग) जनवरी से जून १९५२ की अवधि के लिये मोटे और मामूली कपड़े के निर्यात के लिये कितना अभ्यंश निश्चित किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) मोटे और मामूली कपड़े के बे रोक-टोक निर्यात के लिये १७ मई, १९५२ से ३१ अगस्त, १९५२ तक अनुमति है ।

(ग) मूलरूप से अभ्यंश १० करोड़ गज निश्चित किया गया था ; इस के अतिरिक्त पिछले वर्ष का ७ करोड़ ५० लाख गज बचा हुआ था ।

अमरीकी रुई

***९०२. श्री ए० एम० टामस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ में भारत अमरीकी रुई की कितनी गांठों का आयात करेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १-९-५१ से ३१-१२-५२ के काल में ४०० पौंड वाली ११.२५ लाख गांठें

कच्चा माल

***९०३. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एशियायी देशों से कच्चे माल की मांग कम होती जा रही है ?

(ख) हमारे निर्यात व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और किन किन वस्तुओं पर ?

(ग) रबड़, कोयला तथा चीनी उद्योगों पर मांग की इस कमी का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एशियाई देशों से ऐसे कच्चे माल की मांग में जिस को सामान्यतः भारत से एशियाई देशों को निर्यात किया जाता है, कोई कमी नहीं हुई है ।

(ग) भारत के पास निर्यात करने के लिये रबड़ नहीं है ; इस के विपरीत हम तो आयात करते हैं । ऐशियाई देशों से कोयले की मांग में वृद्धि हुई है । सामान्यतः भारत चीनी का निर्यात नहीं करता है, परन्तु अभी हाल में ५०,००० टन का अभ्यंश निर्यात के लिये निर्धारित किया गया है । अन्य देशों की तुलना में भारतीय चीनी के दाम अधिक होने के कारण, इस की मांग विशेष अधिक नहीं है ।

अखबारी कागज

***९०४. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५० तथा १९५१ में हम ने कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का अखबारी कागज आयात किया तथा इसे किन किन देशों से आयात किया जाता है ?

(ख) वर्ष १९५२ के लिये कितनी मात्रा की आवश्यकता है और उसका कितना मूल्य होगा ?

(ग) [illegible] के अखबारी कागज की क़ीमतों का झुकाव किधर और इस

वर्ष हम ने स्कैन्डिनेविया के अख़बारी काग़ज की कितनी मात्रा के लिये व्यादेश दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क)

वर्ष	आयात की गई मात्रा	मूल्य (लाख में)
	टन	
	लगभग	लगभग
१९५०	६१,०००	३९४
१९५१	६,४९,०००	६४७

आयात मुख्यत: आस्ट्रिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैण्ड, जापान, नीदरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, अमरीका और रूस से किया गया था।

(ख) लगभग ६०,००० टन, जिसकी कीमत वर्त्तमान मूल्य के अनुसार ४८० लाख रुपये होगी।

(ग) गत कुछ महीनों से कीमतें कुछ गिर रही हैं। स्कैन्डिनेविया के अख़बारी काग़ज के लिये दिये गये व्यादेशों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि अख़बारी काग़ज आयात के लिये खुली सामान्य अनुज्ञप्ति की सूची में है।

साबुन

***९०५. श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय कम्पनियों द्वारा भारत में वर्ष १९४७ से १९५१ तक (वर्ष वार) बनाये गये साबुन की कुल मात्रा (टनों में) ;

(ख) उक्त काल में आयात कये गये साबुन की कुल मात्रा ; तथा

(ग) ऐसे साबुन की कुल मात्रा जिसे विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में बनाया गया हो और जिस पर 'मेड इन इंडिया' (भारत में बना) लिखा हो ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]** भारत में साबुन बनाने वाली सभी फैक्टरियां भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं और इसलिये वह "भारतीय कम्पनियों" की श्रेणी में आ जाती हैं।

पटसन का व्यापार

***९०६. श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत का किन किन देशों के साथ पटसन और पटसन की वस्तुओं का व्यापार है; तथा

(ख) क्या भारत सरकार की ओर से रूस और चीन के साथ ऐसा व्यापार करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कच्चे पटसन के निर्यात की अनुमति नहीं है। मुख्य देश यह हैं : आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइना, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, ब्रह्मा, कनाडा, क्यूबा, चीन, मिस्र, मेक्सिको, नाइजीरिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, थाइलैण्ड, ब्रिटेन और अमरीका।

(ख) पटसन की वस्तुओं को बिना किसी रोक-टोक के व्यापारियों द्वारा निर्यात किया जा सकता है। अन्य देशों की भांति रूस और चीन भी जितनी चाहे उतनी पटसन की वस्तुएं ख़रीद सकते हैं। सामान्यत: रूस भारत से पटसन की वस्तुएं नहीं ख़रीदता है परन्तु चीन यहां से बराबर आयात करता है।

कच्ची धातु से लोहा अलग करने की फ़ैक्टरियां

***९०७. श्री विश्वनाथ रेड्डी** : **क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :**

(क) क्या जापानी टकनिकल नियोग (मिशन) ने, जो अभी भारत आया था कच्ची धातु से लोहा अलग करने की फ़ैक्टरियां स्थापित करने के लिये किसी विशेष प्रदेश या प्रदेशों की सिफ़ारिश की है, यदि की है, तो यह प्रदेश कौन कौन से हैं ; तथा

(ख) क्या रायलासीमा में, जहां कि अच्छी क़िस्म का कच्चा लोहा बड़ी मात्रा में पाया जाता है, एक फ़ैक्टरी स्थापित करने के बारे में जांच पड़ताल की गई है; यदि की गई है तो, उस के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को विदित है कि रायलासीमा में कच्चा लोहा है परन्तु यहां एक इस्पात का कारखाना या कच्चे लोहे की फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिये इस्पात परामर्शदाताओं ने इस कारण सिफ़ारिश नहीं की है कि दक्षिण में कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है ? इन परामर्शदाताओं को भारत सरकार ने सन् १९४२ में एक टैकनिकल पर्यालोकन करने तथा इस्पात के नये कारखाने को स्थापित करने के बारे में रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया था ।

उड़ीसा को भेजा गया कपड़ा

*९०८. **डा० नटवर पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार का ध्यान उस बहुत से कपड़े और सूत की ओर दिलाया है जो बाज़ार में बिक नहीं पा रहा है और जिसे विभिन्न उत्पादन केन्द्रों ने उड़ीसा राज्य द्वारा मांगे गये कपड़े तथा सूत के मासिक अभ्यंशों में उसे दिया था ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो तो सरकार द्वारा इस बारे में कि उड़ीसा राज्य में केवल उसी प्रकार का कपड़ा और सूत भेजा जाये जिस की वहां मांग है, क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

गंगा का पानी

*९०९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गंगा का पानी विशेषत: बनारस और पटना में गर्मी की प्रत्येक ऋतु में कम होता जा रहा है ; तथा

(ख) क्या इसे रोकने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) । सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

संसद सदस्यों के लिये मकान

*९१०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि संसद् सदस्यों के रहने के लिये साउथ एवेन्यू में फ्लैटों (मकानों) का एक और ब्लाक बनाया जाना है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी हां । संसद् सदस्यों के लिये साउथ एवेन्यू पर ७२ फ्लैट और बनाने का विचार है ।

कुटीर उद्योग

*९११. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में कुटीर उद्योगों के विकास को

समन्वित करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : कुटीर उद्योगों के विकास को समन्वित करने में सरकार को सहायता देने के लिये एक कुटीर उद्योग पर्षद् स्थापित कर दिया गया है । पर्षद् की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये एक कुटीर उद्योग निदेशालय स्थापित किया गया है । हाल में यह भी निश्चय कया गया है कि कुटीर उद्योगों के विकास कार्यक्रमों को निश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से प्रति दूसरे वर्ष बातचीत हो ।

ब्रह्मा में भारतीय

*९१२. **श्री कांडासामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) ब्रह्मा में अभी कितने भारतीय और हैं ;

(ख) क्षतिपूर्ति के बारे में भारतीय भूस्वामियों के दावों का अन्तिम निर्णय क्या हुआ;

(ग) इस क्षतिपूर्ति को निश्चित करने तथा इसे देने में क्या भारतीय, पाकिस्तानी एवं ब्रह्मा के भूस्वामियों के बीच कोई भेद भाव किया गया था ;

(घ) भारतीय श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी और वेतन दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; तथा

(ङ) क्या ब्रह्मा में उत्प्रवासन अभी बिना किसी नियमों के बेरोक-टोक किया जा सकता है या किसी नियमित उत्प्रवासन की व्यवस्था किये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) वास्तविक संख्या तो उपलब्ध नहीं है परन्तु अनुमान है कि ५ लाख होंगे ।

(ख) ब्रह्मा भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत सभी भूस्वामियों को, जिस में भारतीय भी शामिल हैं, क्षतिपूर्ति अधिक से अधिक रास्जव का बारह गुना दी जा सकती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) । ब्रह्मा में कृषि श्रमिकों के सिवाय जो भारतीयों पर भी लागू है किसी अन्य के लिये न्यूनतम मज़दूरी के बारे में विधान नहीं है ।

ब्रह्मा में उत्प्रवासन बेरोक-टोक नहीं किया जा सकता है, उस को भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम के अधीन नियमित किया जाता है । अकुशल मज़दूरों का उत्प्रवासन निषिद्ध है परन्तु कुशल मज़दूरों के उत्प्रवासन की अनुमति है बशर्ते कि वेतन तथा नौकरी की अन्य बातें सन्तोषजनक हों ।

फ़रीदाबाद बस्ती

*९१३. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फ़रीदाबाद बस्ती में कितने विस्थापित व्यक्तियों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उन में से कितनों को लाभप्रद धन्धों में लगाया जा चुका है और कितने अभी बेकार हैं ; तथा

(ग) इस बस्ती पर अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख) । फ़रीदाबाद बस्ती में जनगणना की जा रही है और पूरी होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ३०३·७९ लाख रुपये ।

भारतीय सहकारी संघ, फ़रीदाबाद को अग्रिम धन

*९१४. **ज्ञानी जो० एस० मुसाफ़िर :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय सहकारी संघ की फ़रीदाबाद शाखा को कृषि मंत्रालय से तथा प्रधान मंत्री की निधि से दी गई अर्थ सहायता सहित अब तक कुल कितना रुपया पेशगी दिया गया है;

(ख) भारतीय सहकारी संघ में उस धन राशि को काम में लाकर कितने व्यक्तियों को लाभप्रद धंधों में लगाया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि यह सारा रुपया भारतीय सहकारी संघ, फ़रीदाबाद के मुख्य प्रबन्धक द्वारा ही खर्च किया जा रहा है; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो उस की शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें क्या हैं और उस का व्यापारिक अनुभव क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) २४·०१ लाख रुपये ।

(ख) १,०५० व्यक्तियों को लाभप्रद धन्धों में लगाया जा चुका है और ५०० अन्य व्यक्तियों को भी हाल में लगाया जाने वाला है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भारत अमरीकी प्राविधिक सहायता योजना

*९१५. **ज्ञानी जो० एस० मुसाफ़िर :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत अमरीकी प्राविधिक सहायता सम्बन्धी संयुक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न राज्यों में चुने गये केन्द्रों की संख्या ;

(ख) उक्त योजना पर व्यय किये जाने वाली राशि (राज्य वार दी जाये) ; तथा

(ग) उक्त योजना पर अब तक किया गया व्यय, (राज्य वार दिया जाये) ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मैं समझता हूं कि सामूहिक परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया जा रहा है । क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या ५५ है । चालू वर्ष में ७२ विकास कार्य आरम्भ किये जायेंगे ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) कुछ नहीं ।

मोटर कारों के नमूने (डिज़ाइन) तैयार करना

*९१६. **श्री बी० एस० मूर्ति : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय सड़कों के लिये उपयुक्त मोटर कारों का नमूना तैयार करने के कार्य में भारतीय फ़र्मों को टेकनिकल विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है; तथा

(ख) क्या इस कार्य के लिये कुछ व्यक्तियों को विदेशों में भेजा गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत में मोटर कारों के पुर्ज़ों, को जोड़ कर मोटरें तैयार करने और बनाने के लिये तथा इस सम्बन्ध में, टेकनिकल विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध करने के लिये सामान्यत: भारतीय फर्में विदेशी फर्मों के साथ स्वयं अपना प्रबन्ध करती हैं । इस प्रकार तैयार की गई कारें सामान्यत:

भारतीय सड़कों के लिये उपयुक्त ही समझी जाती हैं ।

(ख) भारत सरकार की विदेशी छात्र-वृत्ति योजना के अन्तर्गत सन् १९४५-४६ में पांच तथा सन १९४६–४७ में एक विद्यार्थी को मोटर कार इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजा गया था ।

सिगरेट

*९१७. **श्री बी० एस० मूर्ति:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बनाई गई सिगरेटों की कुल मात्रा कितनी है और उन में कौन सा तम्बाकू काम में लाया गया ;

(ख) इनका मूल्य;

(ग) सन १९५०-५१ में सिगरेटों का कुल आयात और उस का मूल्य; तथा

(घ) सिगरेटों के आयात में धीरे-धीरे कमी करने के लिये क्या कोई कार्य-वाही की गई है, यदि हां तो क्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]**

(घ) सिगरेटों के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध हैं । बहुत कम आयात की अनुमति है और यह आयात सर्वोत्तम वर्ष के आयात के आधे भाग के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ।

आकाशवाणी स्टेशन, मैसूर

*९१८. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आकाश वाणी (ए० आई० आर०) स्टेशन, मैसूर की वर्तमान पोषण (ट्रांस-मिशन) शक्ति कितनी है;

(ख) वह कितने क्षेत्र के लिये पर्याप्त है;

(ग) क्या उस की पारषण शक्ति बढ़ाने का कोई विचार है; तथा

(घ) यदि है, तो कब तक ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) मैसूर स्टेशन पर २५० वाट का मीडि-यम वेव (मध्यम तरंग) पारेषक (ट्रांसमीटर) है और एक ३५० वाट का शार्ट वेव पारेषक है।

(ख) मीडियम वेव पारेषक का क्षेत्र १५ मील है और शार्ट वेव पारेषक लगभग सारे मैसूर राज्य के लिये पर्याप्त है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

कुटीर उद्योगों के लिये कच्चे माल का पर्यालोकन

*९१९. **श्री मादिया गौडा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कुटीर उद्योगों को आरम्भ करने के अभिप्राय से क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कच्चे माल के सम्बन्ध में कोई पर्यालोकन किया है; तथा

(ख) क्या रिपोर्टें प्रकाशित हो गई हैं और जनता को उपलब्ध करा दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, जहां तक मुझे विदित है ऐसा नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

फ़ैक्टरियों का बन्द होना

*९२०. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह फ़ैक्टरियां बन्द कर दी गई हैं : टाटा नगर, फाउन्डरी कम्पनी लिमि-टेड, बेलूर, ज़िला हावड़ा; यूनाइटेड आइरन एण्ड स्टील कारपोरेशन, बेलूर, ज़िला हावड़ा; प्लास्टिक मोल्डर्स लिमिटेड, लिलुआ, जिला हावड़ा; बेलूर, ग्लास वर्क्स, बेलूर, ज़िला

हुवड़ा; हिन्दुस्तान मोटर वर्क्स, उत्तर पाड़ा ज़िला हुगली;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण; तथा

(ग) क्या उन कर्मचारियों को जो उक्त फ़ैक्टरियों के बन्द हो जाने से बेकार हो गये हैं, पूरी पूरी क्षतिपूर्ति दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

विदेशी पूंजी

***९२१. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) "पूंजी-विनियोग को प्रोत्साहन देने" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के फलस्वरूप भारत में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगी है;

(ख) किन किन उद्योगों में विदेशी पूंजी लगी है और यह उद्योग कहां कहां स्थित हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने शुल्क लेकर भारत को प्रविधिक ज्ञान उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई है (प्रत्येक विषय में पूरे विवरण देने की कृपा की जाये); तथा

(घ) इस सम्बन्ध में दिये गये या दिये जाने वाले शुल्क की राशि क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) एक विवरण, जिसमें वर्ष १९४८ से १९५१ के बीच **स्वीकृत** विदेश पूंजी के विनियोग सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं १२ जून, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखा गया था। वास्तविक विनियोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) एक सूची, जिसमें उन मुख्य उद्योगों का उल्लेख है जिन में विदेशी पूंजी का लगाया जाना वर्ष १९४८ से १९५१ के बीच स्वीकृत किया गया था, १२ जून १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थी। यह उद्योग सारे भारत में ही फैले हुए हैं।

(ग) तथा (घ)। मुख्यतः ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, जैकोस्लोवाकिया, नीदरलैंडस तथा स्वीटजरलैण्ड के उद्योगपतियों ने शुल्क लेकर भारत को टेकनिकल ज्ञान उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई है। इस बारे में विस्तृत ब्यौरा, जिसमें शुल्क की दर भी शामिल है, भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	१९४८	१९४९	१९५०	१९५१
ब्रिटेन	४६६.३५	५९६. ६७	२२५.७५	११६०.४५
अमरीका	..	६.१६	११.७५	३०४.०५
फ्रांस	}	१२.००	९.१०	२.५०
स्विटजरलैण्ड	}		४७.७५	२१.९५
स्वीडन	६०.००	५.००	..	.३०
आस्ट्रिया	..	..	..	१४.००
पाकिस्तान	..	..	२५.००	..
अन्य देश	१.६०	१४.७८	१५.४२	१.३०
	५२७.९५	६३४.६१	३३४.७७	१५०४.५५

उद्योगों के लिये विकास परिषदें

*९२२. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत यदि कोई विकास परिषदें स्थापित हुई हैं तो उन की संख्या क्या है;

(ख) क्या उन में से किसी ने कार्य आरंभ किया है;

(ग) यदि हां तो कहां ;

(घ) क्या कोई रिपोर्टें, अन्तिरिम या अन्य, प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हुई हैं, तो रिपोर्टों में की गई सिफ़ारिशें क्या हैं और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने अब तक किसी औद्योगिक यूनिट की जांच पड़ताल करवाई है; तथा

(छ) क्या किसी अनुसूचित उद्योग के उत्पादन में कोई अनुचित कमी, या किस्म में कोई अवनति या दामों में कोई अनुचित चढ़ाव या उतार हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अभी तक कोई विकास परिषद् स्थापित नहीं हुई है । इन उद्योगों के लिये विकास परिषदें बनाने की कार्यवाही की जा रही है :

(१) मूल रासायनिक द्रव्य—तेजाब तथा कृषिसार ।

(२) मूल रासायनिक द्रव्य—क्षार।

(३) चमड़ा और चमड़े का सामान।

(४) काग़ज़, जिसमें अख़बारी काग़ज़ और मोटा काग़ज (पेंपर बोर्ड) शामिल हैं ।

(५) साइकिलें और उस के पुर्ज़े ।

(६) आन्तरिक दाहय इंजन (इन्टरनल कम्बस्श्चन एंजिन)

(७) कांच तथा चीनी के बर्तन ।

(ख) से (ङ)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

(च) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत सरकार ने आदेश दिया है कि टैक्सटाइल कमिश्नर इस बात की जांच करें कि मध्य भारत में स्थित कपड़े की एक मिल क्यों बन्द की गई है । उन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(छ) जी नहीं ।

बिहार-पूर्वी बंगाल सीमा

*९२३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार-पूर्वी बंगाल सीमा का विस्तार;

(ख) क्या इस को ठीक ठीक निश्चित करने के लिये नदी या पहाड़ जैसी कोई प्राकृतिक सीमा है, यदि है, तो कहां तक;

(ग) क्या उक्त सीमा के किसी भाग में कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है; तथा

(घ) यदि नहीं है तो सीमा को ठीक ठीक स्थिति दिखाने के लिये क्या कोई स्थायी दीवार आदि है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) लगभग १०० मील ।

(ख) तथा (ग)। लगभग बीस मील तक सीमा महानंदी नदी के किनारे किनारे है । लगभग ४० मील भूमि की सीमा है । शेष ४० मील नगर नदी के किनारे है । चूंकि यह नदी अपना रास्ता बदलती रही है इसलिये वास्तविक सीमा नदी से

इधर या उधर कई बार होती रही है, अतः उसे निश्चित करना होगा ।

(घ) जी नहीं । सीमा के पूरी तरह निश्चित होने पर स्थायी रूप से सीमा पर खंभे गाड़ दिये जायेंगे ।

पश्चिमी बंगाल में कोयले की कमी

*९२४. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में कोयले की कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): वैगनों के न मिलने के कारण कोयले की कमी हो जाती है विशेषतः साधारण उपभोक्ताओं को कोयला मिलने में कठिनाई हो जाती है परन्तु इस प्रकार की कमी केवल पश्चिमी बंगाल तक ही सीमित नहीं है । यातायात स्थिति के सामान्य रूप से सुधर जाने पर कोयले के मिलने में सुविधा हो सकेगी ।

जब विशेष उद्योगों में कमी के विशिष्ट मामले ध्यान में लाये जाते हैं, तो कोयला आयुक्त द्वारा कोयला उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रयत्न किये जाते हैं ।

कपड़े पर छाप लगाना

*९२५. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में बने सूती कपड़े पर छाप लगाने, और उस के दाम और किस्म निश्चित करने के लिये कितने पदाधिकारी नियुक्त हैं और उन के क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): टैक्सटाइल कमिश्नर बम्बई कपड़ा और सूत के दाम निश्चित करते हैं । कपड़े के दाम लिखने तथा उन की किस्म निश्चित करने के लिये कोई अलग अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये हैं ।

तम्बाकू

*९२६. **कुमारी ऑनी मस्करीन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में, विशेषतः दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा में तम्बाकू उगाने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि भारत में जाफ़ना तम्बाकू बहुत ऊंची कीमत पर बिकता है;

(ग) क्या सरकार भारत में जाफना तम्बाकू के आयात को रोकने का विचार कर रही है; तथा

(घ) क्या सरकार ने लंका सरकार के साथ जाफना तम्बाकू के आयात के बारे में कोई समझौता किया है, यदि किया है, तो उस की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख) । सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । जाफना तम्बाकू, जो बिना तैयार किये गये तम्बाकू की एक क़िस्म है, लंका से हमारे सामान्य आयात नियमों के अन्तर्गत आयात किया जा सकता है ।

तम्बाकू आयात

*९२७. **कुमारी ऑनी मस्करीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जाफ़ना (लंका) से भारत में प्रति वर्ष आयात किये गये तम्बाकू की मात्रा;

(ख) क़ीमत प्रति गांठ या पौंड;

(ग) आयात शुल्क की दर; तथा

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में प्रति पौंड क़ीमत दस रुपये से अधिक हो गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जाफ़ना से सन् १९५०-५१ में ८,९०,३४६ पौंड और सन् १९५१-५२ में ३,५४,२४५ पौंड तम्बाकू आयात किया गया था। इस से पहले के वर्षों के आयात के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सन् १९५०-५१ में प्रति पौंड औसत कीमत (आयात शुल्क के अतिरिक्त) १ रु० १० आ० २ पा० थी और सन १९५१-५२ में १ रु० ११ आ० ४ पा०।

(ग) जाफ़ना (लंका) से भारत में अलैप्पी पत्तन (त्रावनकोर) द्वारा आयात किये गये खाने के तम्बाकू पर शुल्क ३०० रुपया प्रति कंडी यानी आठ आने प्रति पौंड के हिसाब से लगाया जाता है। अन्य प्रकार के बिना तैयार किये हुए तम्बाकू पर, जो भारत में आयात किया जाता है, ९ रु० ६ आ० प्रति पौंड तथा कुल शुल्क के पांच प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लगाया जाता है।

(घ) जी नहीं।

औद्योगिक गृह निर्माण

*९२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन ने औद्योगिक श्रमिक-गृह निर्माण के बारे में कुछ संकल्प स्वीकार किये थे;

(ख) यदि सत्य है, तो यह संकल्प कब स्वीकार किये गये थे, और क्या इन में से कोई संकल्प स्थानीय अधिकारियों के अधीन काम करने वाले स्वास्थ्य श्रमिकों से सम्बन्धत है, और यदि सम्बन्धित है, तो क्या सरकार उस संकल्प की एक प्रति सदन पटल पर रखेगी; तथा

(ग) भारत के विभिन्न राज्यों में कहां कहां इस संकल्प को कार्यान्वित किया गया है, और किस सीमा तक ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, त्रिपक्षीय सम्मेलन द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था।

(ख) यह संकल्प, जो सामान्यतः औद्योगिक समझौता संकल्प कहा जाता है, दिसम्बर १९४७ में पारित किया गया था परन्तु उस में स्थानीय अधिकारियों के अन्तर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रमिक नहीं आते हैं। संकल्प की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९**

(ग) उक्त संकल्प का अनुसरण करते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिये घरों की व्यवस्था करने के बारे में एक योजना, जो "औद्योगिक गृह निर्माण योजना" कहलाती है, अप्रैल १९४९ में बनाई गई थी। इस के अन्तर्गत बम्बई में १७१२ घर बनाये जा चुके हैं और मध्य प्रदेश में ४००, बिहार में १०८ और उड़ीसा में २६१ बनाये जा रहे हैं।

जलपाईगुड़ी दीनाजपुर सीमान्त पर मकान

*९२९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि विभाजन के फलस्वरूप जलपाइगुड़ी और दीनाजपुर की सीमा पर स्थित मकानों में से कुछ भारत में और कुछ पाकिस्तान में चले गये हैं; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इन मकानों के मालिकों की राष्ट्रीयता का पता लगा लिया गया है; और यदि हां तो कैसे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जलपाइगुड़ी में कोई मकान नहीं है। पश्चिमी दीनाजपुर में लगभग एक दर्जन मकान ऐसे हैं जिन में से कुछ भारत में हैं और कुछ पाकिस्तान में।

(ख) इस प्रश्न पर विचार करने का कोई अवसर नहीं आया है।

जापानी मशीनरी का निर्माण

***९३०. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन जापानी मशीनों की क़िस्में जो इन स्थानों में बनाई जा रही हैं ;

(१) अरब की सराय प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र ;

(२) नीलोखेड़ी और फुलिया की नई बस्तियों में स्थित पोलीटेकनीक; तथा

(३) अन्य किसी स्थान पर;

(ख) क्या इन मशीनों के बनाने में सफलता मिली है ;

(ग) इन में से कौन सी मशीनें (१) विस्थापित व्यक्तियों और (२) अन्य व्यक्तियों द्वारा काम करने के लिये बाज़ार में इस समय उपलब्ध हैं ;

(घ) प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक किस्म की कितनी मशीनें अब तक बनाई जा चुकी हैं और उन के बाज़ार में बिकने के बारे में क्या स्थिति है; तथा

(ङ) प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या और सरकार द्वारा या अन्य कहीं उनकी नौकरी के बारे में स्थिति ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जापानी मशीनें केवल अरब की सराय केन्द्र ही में बनाई जाती है। यह मशीनें बनाई जाती हैं :

(१) फुटकर छपाई के काम आने वाले प्रेस ।

(२) तेल निकालने की हाथ की मशीन ।

(३) तेल निकालने की बिजली की मशीनें ।

(४) प्लास्टिक बनाने की मशीनें

(५) जैम किल्प मशीनें ।

(६) दस तकली वाली कातने की मशीनें ।

(७) २० तकली वाली कातने की मशीनें :

(८) रैग्ज टर्निंग मशीन (गूदड़ को मिलाने वाली मशीनें)

(९) कीलें बनाने वाली मशीनें ।

(ख) जी हां ।

(ग) फुटकर छपाई में काम आने वाले प्रेस, तेल निकालने की हाथ और बिजली की मशीनें तथा प्लास्टिक इंजक्टिंग मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं और विस्थापित तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदी जा सकती हैं।

(घ) फुटकर छपाई के काम आने वाले ५४ प्रेस बनाये जा चुके हैं जिन में से ५१ बिक चुके हैं। तेल निकालने की हाथ की ८ मशीनें बनाई जा चुकी हैं जिस में पांच बिक चुकी हैं। दस प्लास्टिक इंजक्टिंग मशीनें बनाई गई हैं, इन में से दो बिक चुकी हैं। बिजली से चलने वाले तेल निकालने की आठ मशीनों में से अभी तक एक भी नहीं बिकी है।

(ङ) अरब-की-सराय में ५७९, नीलोखेड़ी में २३८४ और फुलिया में ७७ विस्थापित व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इन में से ३,२०० को नौकरी मिल गई है।

श्रम इंस्पेक्टरों का प्रशिक्षण

*९३१. **श्री गणपति राम :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने सारे श्रम इंसपेक्टरों को कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजने का निश्चय किया है; तथा

(ख) यदि किया है, तो उन की कुल संख्या कितनी है और क्या कुछ इन्सपेक्टर कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर आये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) सरकार का यह विचार है कि धीरे धीरे सभी श्रम इंसपेक्टरों को कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जाये ।

(ख) श्रम मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम इन्सपेक्टरों की कुल स्वीकृत संख्या में से, जो ५२ है, ४८ इंसपेक्टर इस समय काम कर रहे हैं । इन में से, ३२ प्रशिक्षण प्राप्त कर आये हैं ।

पटसन मिलों में करघों का बन्द होना

*९३२. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पटसन मिलों में १२॥ प्रति शत करघों के बन्द हो जाने से मजदूरों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) करघों के इस प्रकार बन्द हो जाने के फलस्वरूप कितने मज़दूर बेकार हो गये हैं; तथा

(ग) पटसन उद्योग में काम करने वाले प्रभावित कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) । करघों के बन्द हो जाने से सामान्य कर्मचारियों की (जिन की संख्या लगभग तीन लाख है) मज़दूरी पर प्रभाव नहीं पड़ा है । इस से केवल ४७५ स्थायी कर्मचारियों की छंटनी हुई है जिन्हें अनैच्छिक बेकारी लाभ दिये गये थे जो इस प्रकार थे : मूल मज़दूरी का ५० प्रति शत, महंगाई भत्ते का ५० प्रति शत और प्रति सप्ताह दो रुपये या इस के बदले में रियायती दरों पर खाना । बाद में छांटे गये कर्मचारियों को मिलों में फिर रख लिया गया था ।

तिब्बत का ऊन

*९३३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल की कुछ प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि लगभग सारा ऊन जो तिब्बत में उपलब्ध है, केवल चीन को ही निर्यात किये जाने के लिये सुरक्षित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रति वर्ष भारत में तिब्बत का ऊन बहुत बड़ी मात्राओं में उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा, गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों में हिमालय के दर्रों से आयात किया जाता है; तथा

(ग) क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करने का विचार कर रही है जिस से कि भविष्य में भारत में तिब्बत का ऊन हिमालय के इन दर्रों से और अन्य दर्रों से भी बराबर आयात किया जाता रहे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत सरकार ने वह रिपोर्टें देखी हैं जिन में कहा गया है कि तिब्बत के ऊन की अधिकांश मात्रा चीन को बेची जा रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

मध्य भारत में रेडियो स्टेशन

*९३४. **श्री सूर्य्य प्रसाद:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार मध्य भारत राज्य में रेडियो स्टेशन स्थापित कर रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो कहां कहां और कब तक ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख)। जी हां। आल इंडिया रेडियो की पंचवर्षीय विकास योजना में इन्दौर तथा ग्वालियर में ब्राडकास्टिंग स्टेशन स्थापित करने का उपबन्ध है। ठीक ठीक तारीख बताना तो कठिन है परन्तु आशा है कि यह स्टेशन सन् १९५५-५६ तक स्थापित हो सकेंगे ।

कच्चा अभ्रक

*९३५ **श्री धुलेकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्षों में देश में कुल कितना कच्चा अभ्रक निकला और उसका कितना मूल्य था (रुपयों में);

(ख) उक्त काल में कितनी मात्रा भारत में काम में लाई गई और कितनी मात्रा को निर्यात किया गया ;

(ग) वह मुख्य भारतीय उद्योग कौन सा है जिस में इस कच्चे अभ्रक की खपत होती है और वार्षिक खपत की प्रतिशतता ; तथा

(घ) वह मुख्य विदेशी उद्योग जो अभ्रक को काम में लाते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग) । देश में अभ्रक की खपत नहीं होती है, सारे उत्पादन का निर्यात किया जाता है । वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ (अप्रैल-फ़रवरी) में क्रमश: २९७,७२६ हंडरवेट, ३८३, ४३० हंडरवेट और ३६९,३४५ हंडरवेट अभ्रक निर्यात किया गया था ।

(घ) अभ्रक का प्रयोग मुख्यत: विद्युत सम्बन्धी उद्योगों में होता है ।

तांबे का तार

*९३६. **श्री धुलेकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे/

(क) विद्युत सम्बन्धी कार्यों के लिये वर्ष १९५१-५२ में विदेशों से आयात किये तांबे के तार (नंगा) का मूल्य;

(ख) क्या उक्त कार्यों के लिये भारत में तांबे का तार बनाया जाता है, यदि हां, तो उस की मात्रा और मूल्य क्या है;

(ग) वर्ष १९५१-५२ में आयात किये गये केबिल तार का मूल्य;

(घ) क्या सरकारी कारखानों में से किसी में केबिल तार बनाया जाता है; तथा

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने भारत में उस के बनाने की संभाव्यता पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) अप्रैल १९५१ से फ़रवरी १९५२ तक २,८८,६८३ रुपये ।

(ख) जी हां । सन् १९५१ में २९९६ टन, जिस का मूल्य १३८ लाख रुपये होता है, उत्पादन हुआ था ।

(ग) अप्रैल १९५१ से फ़रवरी १९५२ तक २,५२,६४,६२९ रुपये /

(घ) तथा (ङ) इस समय केबिल तार किसी सरकारी कारखाने में नहीं बनाया जा रहा है परन्तु ऐसा प्रस्ताव है कि पश्चिमी बंगाल में रूपनारायणपुर नामक स्थान पर स्थापित की जा रही सरकारी फ़ैक्टरी में काग़ज़ के सूखे गूदे से लिपटे हुए टेलीफोन के केबिल तार का बनाना आरम्भ किया जाये।

उड़ीसा में नमक बनाया जाना

*९३७. **श्री संगण्णा :** क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक में उड़ीसा में कितना नमक बनाया गया ;

(ख) उक्त काल में उड़ीसा में नमक की कुल कितनी खपत हुई ; तथा

(ग) उक्त काल में उड़ीसा राज्य में कितना नमक आयात किया गया और वहां से कितना निर्यात किया गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख)। उड़ीसा में गत पांच वर्षों में जितने नमक की खपत हुई तथा जितने का उत्पादन हुआ उस का एक विवरण (१) सदन पटल पर रखा जाता है।

(ग) उड़ीसा से जितने नमक का निर्यात हुआ और जितने का आयात उस के बारे में एक विवरण (२) सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०—१ तथा २**]

काग़ज़ फ़ैक्टरी

*९४०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार भारत में एक काग़ज़ फ़ैक्टरी स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिये कुछ स्थानों की जांच की गई है, यदि की गई है तो उन के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अभ्रक श्रमिक कल्याण निधि .

*९४१. **श्री रघवय्या :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास प्रान्त (गुदूर डिवीजन) में अभ्रक उद्योग से सम्बन्धित श्रमिक कल्याण निधि की कुल राशि कितनी है ;

(ख) मद्रास राज्य (गुदूर डिवीजन) के श्रमिकों के लिये कितना व्यय किया गया है; तथा

(ग) कल्याण निधि प्रबन्ध समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ३१ मार्च, १९५२ को लगभग ९,०२,००० रुपया।

(ख) ३१ मार्च, १९५२ तक २,८२,००० रुपये।

(ग) (१) श्री पी० वी० चेलापति मूदालियर, कलक्टर, नीलोर—सभापति।

(२) श्री वी० चेंचुरमा नायडू, नीलोर ज़िला बोर्ड के सभापति,

(३) श्री के० शनमुगम, सदस्य मद्रास, विधान मंडल ,

(४) श्री पी० एस० अरमुगम, समझौता अधिकारी (केन्द्रीय), मद्रास—केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि,

(५) श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, तथा

(६) श्री टी० रेड्डी—मालिकों के प्रतिनिधि,

(७) श्री वेदगिरी सुब्बारमैया, तथा

(८) श्री गुंजी पितचैया—कर्मचारियों के प्रतिनिधि।

(९) श्रीमती टी० मुनम्मा—महिला प्रतिनिधि ।

श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी परामर्श दात्री समिति के उपसभापति भी हैं ।

भूटान से सम्बन्ध

***९४२. श्री आर० एस० तिवारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे .

(क) क्या भारत सरकार का को कूटनीतिक प्रतिनिधि भूटान में है ;

(ख) क्या भूटान सरकार का कोई प्रतिनिधि परामर्श के लिये भारत में नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा भूटान सरकार को उस की रक्षा के सम्बन्ध में कोई सहायता दी जाती है; तथा

(घ) यदि दी जाती है, तो इस पर होने वाला व्यय ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) सिक्किम स्थित राजनीतिक अधिकारी भूटान और भारत सरकार के परस्पर सम्बन्धों के लिये उत्तरदायी हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ)। भूटान को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की अर्थ सहायता दी जाती है परन्तु ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उस का कुछ भाग रक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय जन वास्तु विभाग की अनुसन्धान प्रयोगशाला

***९४३. श्री आर० एस० तिवारी :** (क) क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के लिये एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव को कोई रूप दिया गया है ?

(ख) प्रयोगशाला के निर्माण में अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

(ग) प्रयोगशाला में कब कार्य आरम्भ होगा ?

(घ) प्रयोगशाला में क्या प्रयोग किये जायेंगे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां । नई दिल्ली में क्वीन मेरीज़ एवेन्यू पर एक ही इमारत में प्रयोगशाला, पुस्तकालय और व्याख्यान भवन बनाने का काम समाप्त होने वाला है; इमारत बनाने और उस में स्वच्छता एवं विद्युत सम्बन्धी काम तो पूरा हो गया है, केवल फ़रनीचर का और प्रयोगशाला के सामान का काम बचा है, जो हो रहा है ।

(ख) ७७,६३० रुपये

(ग) नई प्रयोगशाला में काम आरम्भ हो चुका है ।

(घ) प्रयोगशाला में केन्द्रीय जन वास्तु विभाग की देखरेख में बनने वाली इमारतों के निर्माण में काम में लाये जाने वाले चूने, कंकरीट और इस्पात का परीक्षण किया जायेगा ।

नदी घाटी परियोजनायें

***९४५. सेठ अचल सिंह :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना, हिराकुड परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना और ककरापाड़ परियोजना पर किये गये व्यय में सम्बन्धित राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का अंशदान; तथा

(ख) राज्य सरकारों और संघ सरकार के अंश के अतिरिक्त विदेशी संस्थाओं से मिली सहायता ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दामोदर घाटी परियोजना, हिराकुद, भाखरा-नंगल और ककरापाड़ परियोजनाओं को चालू करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा ३१ मार्च, १९५२ तक दी गई पेशगी रकम और अंशदान के बारे में एक विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) पुनर्निर्माण तथा विकास अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने बोकारो-कोनार परियोजनाओं तथा दामोदर घाटी निगम की पारेषण (ट्रांसमिशन) व्यवस्था के लिये एक करोड़ ८५ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है । इस के अलावा, हिराकुद, भाखरा-नंगल और ककरापाड़ परियोजनाओं के लिये किसी विदेशी संस्था द्वारा सहायता प्राप्त नहीं हुई है । हां, टैकनिकल सहायता के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेषज्ञों के रूप में विदेशी सहायता मिली है । विशेषज्ञों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२]**

खादी

***९४७. श्री बलवन्त सिन्हा महता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के असैनिक तथा सैनिक विभागों में कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या इस सारी आवश्यकता को पूर्णतः या अशंतः खादी द्वारा पूरा किया जा सकता है ;

(ग) यदि किया जा सकता है, तो किस सीमा तक; तथा

(घ) यदि नहीं तो इस में मुख्य बाधायें क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में सरकारी कामों के लिये सब प्रकार का जितना कपड़ा खरीदा गया था उस का मूल्य क्रमशः ३·४२ करोड़ रुपये और ६·९७ करोड़ रुपये था ।

(ख) केवल अशंतः ।

(ग) सरकारी कार्यों के लिये सन् १९५०-५१ में ९६,२७७ रुपये की तथा १९५१-५२ में ६७,२८७ रुपये की खादी खरीदी गई थी ।

(घ) कुछ विशिष्ट कार्यों के लिये सरकार को जिस प्रकार के कपड़े की आवश्यकता होती है उसे विशेष प्रकार से रंगा जाता है और तैयार किया जाता है और खादी उस के लिये उपयुक्त नहीं है ।

भट्टियां बनाने के लिये जापानी विशेषज्ञ

***९४८. श्री सी० आर० नरसिंहन :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) ढला हुआ लोहा बनाने के लिये छोटी छोटी भट्टियां बनाने के लिये, जिन में कोक बनाने योग्य कोयला नहीं जलता है, जापानी विशेषज्ञों से सहायता प्राप्ति करने की कोई योजना है ; तथा

(ख) यदि है, तो यह योजना कब और कहां क्रियान्वित की जायेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख)। सरकार ने भारत में ढले हुए लोहे के उत्पादन के लिये एक फ़ैक्टरी स्थापित करने का निश्चय किया है । इस बारे में प्रस्तुत पूरे विवरण पर, जिन में जापानी सहायता और सहयोग का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, विचार हो रहा है ; अतः इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि योजना कहां पर और कब क्रियान्वित होगी ।

कोयला

१८४. **श्री एन० पी० सिन्हा:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१ में भारत सरकार की रेलों की अपनी कोयले की खानों से कितने टन कोयला निकला ;

(ख) इस वर्ष कितनी मात्रा का निर्यात हुआ ;

(ग) ब्रिटेन को कितनी मात्रा का निर्यात हुआ ;

(घ) भारत में कितनी मात्रा की खपत हुई ;

(ङ) क्या १९५२ में कोयले के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है ; तथा

(च) क्या स्थानीय लोगों को कोयला कोयले की खानों द्वारा बेचा जाता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) ३,००१,३२२ टन ।

(ख) २,७९८,२७० टन ।

(ग) ७६,२०३ टन ।

(घ) २६,३१२,४९९ टन ।

यह आंकड़े कोयले के कुल निर्यात और कुल खपत के हैं चाहे वह रेलवे की खानों से निकला हो या असरकारी खानों से ।

(ङ) जी हां

(च) जी हां, कोयला आयुक्त द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीन ।

खड्डी का बना कपड़ा

१८५. **श्री एस० वी० रामस्वामी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत पांच वर्षों में दूसरे देशों को हाथ का बना कपड़ा कितने मूल्य का (रुपयों में) और कितने गज़ निर्यात किया गया ;

(ख) मद्रास राज्य हाथ के बने कपड़े को किन किन देशों को निर्यात करता रहा है और कितने गज़ व कितने मूल्य का ; तथा

(ग) प्रत्येक राज्य में खड्डियों की (सूती कपड़े के लिये) संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ग) । विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) हाथ का बना कपड़ा जिन देशों को भेजा जा रहा है उन में से मुख्य यह हैं : ब्रह्मा, मलाया के संघबद्ध राज्य, जलडमरूमध्य बस्तियां, लंका, स्याम, ज़ंज़ी बार, सूडान, मॉरीशस, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, फ़ीजी द्वीप, दक्षिणी अफ़्रीका संघ, फ़्रांसीसी पश्चिमी अफ़्रीका । मद्रास राज्य से ही निर्यात किये गये हाथ के बने कपड़े के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मद्रास में सूत उत्पादन

१८६. **श्री एस० वी० रामस्वामी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य स्थित सूती कपड़े की मिलों द्वारा उत्पादित सूत की वार्षिक मात्रा (पौंड में) ;

(ख) मद्रास राज्य में खडिडयों की संख्या ; तथा

(ग) मद्रास राज्य की खड्डियों को पूरे वर्ष काम मिलते रहने के लिये अपेक्षित सूत की मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग १५०० लाख पौंड ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा जून १९५१ में संख्या का अनुमान ८,४१,१४० लगाया गया था ।

(ग) ठीक ठीक मात्रा बतलाना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक खड्डी की ज़रूरतों का अनुमान लगाने के लिये कोई उपाय नहीं है, न ही झूठे करघों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है ।

मद्रास राज्य को अक्टूबर १९५१ से मार्च १९५२ के अर्द्ध वर्ष में खड्डियों के लिये लगभग तीन करोड़ ७१ लाख पौंड का आवंटन किया गया था । मार्च और अप्रैल १९५२ में राज्य द्वारा मनोनीत सार्थों अथवा व्यक्तियों ने बहुत बड़ी मात्राओं को अस्वीकार कर दिया था ।

ग्राम्य जनता संस्था का संघ

१८७. श्री कण्डासामी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम्य जनता संस्था का संघ जिस से विभिन्न किसान संस्थायें सम्बद्ध हैं, सरकार से आयात तथा निर्यात परामर्शदात्री परिषदों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिये प्रार्थना करता रहा है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वास्तव में निर्यात परामर्शदात्री परिषद् में प्रतिनिधि भेजा जाना स्वीकार कर लिया था ;

(ग) यदि हां कर लिया था, तो क्या यह सत्य है कि यह प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं दिया गया है; तथा

(घ) क्या सरकार यह प्रतिनिधित्व देने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । ग्राम्य जनता संस्थाओं के संघ ने सरकार से समय समय पर प्रार्थना की है कि उसे निर्यात परामर्श-दात्री परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया जाये । संघ ने आयात परामर्शदात्री परिषद् में भी एक स्थान दिये जाने के लिये सरकार से कहा था ।

(ख) तथा (ग) । दिसम्बर १९५० में संघ से एक प्रतिनिधित्व के नाम का सुझाव देने के लिये कहा गया था जिसे सरकार द्वारा निर्यात परामर्शदात्री परिषद् में नामजद किया जाना था परन्तु, जब यह निश्चित किया गया कि परिषद् की वर्त्तमान रचना में गड़बड़ न की जाये और सरकार द्वारा नामज़द व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि न की जाये तो ग्राम्य जनता संस्थाओं के संघ द्वारा दिये गये नामों को परिषद् में सम्मिलित नहीं किया जा सका ।

(घ) आयात तथा निर्यात परामर्श-दात्री परिषदों की रचना में हाल ही में हेर फेर किया जाने वाला है और परिषदों में इस संघ को प्रतिनिधित्व दिये जाने के प्रश्न पर इसके गुण व दोषों को दृष्टि में रख कर विचार किया जायेगा ।

हेजाज़ जाने वाले यात्री

१८८. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन भारतीय यात्रियों की संख्या जो वर्ष १९५१-५२ में हेजाज तथा इराक़ व ईरान के (अलग अलग) पवित्र तीर्थ स्थानों को गये ;

(ख) वर्ष १९५०-५१ में तत्सम्बन्धी संख्या ;

(ग) इन यात्रियों को दी गई सुविधायें ; तथा

(घ) कितने यात्री वापस नहीं आये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) सन् १९५१ में ११,३५७ भारतीय यात्री हेजाज़ गये और लगभग ४,००० ईरान और ईराक़ ।

(ख) सन् १९५० में १२,३४९ ने हेजाज़ की यात्रा की और लगभग ४,५०० ने ईरान व ईराक की ।

(ग) हेजाज़ जाने वाले यात्रियों को यह सुविधायें दी गईं :

(१) उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा या पत्तन हज समिति, बम्बई के कार्यपालिका अधिकारी (एक्ज़ेक्यूटिव आफ़ीसर) द्वारा यात्री-पास बिना किसी शुल्क के दिये गये ;

(२) उनके चेचक तथा हैज़े के टीके लगाये गये और उन्हें इस के प्रमाण पत्र उन के ज़िलों के या बम्बई के सरकारी या नगरपालिका के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बिना किसी शुल्क के दिये गये ;

(३) प्रत्येक यात्री को अहराम तथा चादर भेंट करने के लिये ४२ गज़ लट्ठा खरीदने और ले जाने की अनुमति दी गई थी ;

(४) जाते समय और आते समय बम्बई में ठहरने के लिये उन्हें राशन दिया गया था ; सौदी अरब में ठहरने के लिये भी उन्हें अपने साथ खाद्यान्न और चीनी ले जाने की अनुमति दी गई थी ;

(५) अपने साथ भारतीय मुद्रा ले जाने के लिये उन्हें विशेष अनुमति दी गई थी ;

(६) अपने निजी प्रयोग के लिये उन्हें कुछ सामान ले जाने दिया गया था;

(७) हेजाज़ में उन के लिये डाक्टरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी;

(८) उन्हें अपने साथ कुछेक पवित्र स्मारक चिन्ह व भेंट की गई वस्तुएं बिना सीमा शुल्क दिये वापिस लाने की अनुमति दे दी गई थी ।

ईराक व ईरान जाने वाले यात्रियों को यह सुविधायें दी गई थीं :

(१) उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा बिना शुल्क के यात्री पास दिये उये थे । [पत्तन हज समिति, बम्बई के कार्यपालिका अधिकारी ने भी यात्री-पास जारी किये थे, परन्तु उन्होंने वृहत्तर बम्बई के बाहर से आने वाले यात्रियों से ६ रु० प्रति पास शुल्क लिया था] ।

(२) उन्हें चादर चढ़ाने के लिये ३० गज लट्ठा खरीदने और ले जाने की अनुमति दी गई थी ।

(३) ईराक़ तथा ईरान के सफ़र के लिये उन्हें अपने साथ राशन ले जाने दिया गया था ;

(४) उन्हें अपने साथ कुछेक पवित्र स्मारक चिन्ह तथा भेंट की गई वस्तुएं बिना सीमा शुल्क दिये लाने की अनुमति दी गई थी ।

(घ) सन् १९५० में १०४५ और सन् १९५१ में १०४९ हेजाज़

के यात्री यात्रियों वाले जहाजों में वापस नहीं आये। हमें यह नहीं मालूम कि यह अन्य किसी समय या किसी दूसरे जहाज से वापस आ गये थे या नहीं। ईराक़ तथा ईरान से जो यात्री वापस नहीं आये उन के बारे में हमारे पास अभिलेख नहीं है।

चीनी मिलों में श्रमिक

१९०. **डा० पी० एस० देशमुख:** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत की चीनी मिलों में कुल कितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): नवीनतम संख्या, जो उपलब्ध है, वर्ष १९५० के बारे में है और यह प्रति दिन औसतन ९७,५५३ है ।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

१९१. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी से अप्रैल, १९५२ के काल में भारत से पाकिस्तान को निर्यात की गई वस्तुएं; तथा

(ख) उक्त काल में पाकिस्तान से भारत में आयात की गई वस्तुएं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४]**

कोक बनाने योग्य कोयला

१९२. **श्री बर्मन:** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि कोयला संरक्षण समिति ने १९५० में सुझाव दिया था, कोक बनाने योग्य कोयले के उत्पादन में कमी करने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये क्या कोई कार्यपालिका समिति नियुक्त की गई है ?

(ख) वर्ष १९४९ में कोक बनाने योग्य कोयले का कितना उत्पादन था और तब से उस में धीरे धीरे कितनी कमी की गई है ?

(ग) कोयले के उत्पादन में कमी होने से क्या खानों के श्रमिकों पर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कोयला पर्षद् ने इस विषय में राय लेने के लिये एक अनौपचारिक टेकनिकल परामर्शदात्री समिति बनाई है ।

(ख) वर्ष १९४९ में कोक बनाने योग्य कोयले का कुल उत्पादन, दूसरी श्रेणी के कोयले सहित, १२,६०१,३०७ टन था ।

बाद के वर्षों के उत्पादन आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं परन्तु प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि सन् १९४९ से कोक बनाने योग्य कोयले के उत्पादन में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। कोक बनाने योग्य कोयले के संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिये सरकार द्वारा कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार ले लिये गये हैं, और उत्पादन कम करने के बारे में की जाने वाली कार्यवाहियों पर कोयला पर्षद् द्वारा विचार किया जा रहा है।

भारत का विदेशी व्यापार

१९३. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९४७ से १७५१ तक भारत का पाकिस्तान को छोड़ कर अन्य देशों के साथ कितना व्यापार हुआ है;

(ख) उक्त काल में उपरोक्त (क) में ब्रिटिश फ़र्मों का भाग; तथा

(ग) उपरोक्त (क) में भारतीय फ़र्मों का भाग ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर): (क) वर्ष १९४७ व १९४८ के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । सन् १९४९ से १९५१ के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं:

	मूल्य करोड़ रुपयों में		
	१९४९	१९५०	१९५१
आयात . .	६४०.८१*	५०३.५३	७५९.९७
निर्यात	४१७.६५	५१४.६२	७२५.७२
शेष	—२२३.१६	+११.०९	—३४.२५

*इसमें स्थल मार्ग से जो आयात हुआ है वह तथा संक्रम व्यापार (ट्रांज़िट ट्रेड) शामिल नहीं है क्योंकि यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) । ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

आयात तथा निर्यात अनुज्ञप्तियां

१९४. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पहली जनवरी से ३१ मई, १९५२ की अवधि में स्वीकृत की गई आयात तथा निर्यात अनुज्ञप्तियों की संख्या और उनका कुल मूल्य; तथा

(ख) आयात तथा निर्यात अनुज्ञप्तियों के बारे में अब तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की और विचाराधीन मामलों की अलग अलग संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):

(क)	संख्या	मूल्य करोड़ रुपयों में
आयात अनुज्ञप्तियां	२५,९६७	१५७.७
निर्यात अनुज्ञप्तियां	२९,०२७	९४.२

इसके अतिरिक्त परिसीमित मात्रा की १८,८७० निर्यात अनुज्ञप्तियां भी जारी की गई हैं ।

(ख) आंकड़े इस प्रकार हैं:

	प्राप्त आवेदन पत्र	विचाराधीन आवेदन पत्र
आयात	५८,९२३	१०,५९२
निर्यात	५७,६९६	८८८

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

∞

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १७ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष-महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९·२३ म० पू०

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें

मांग संख्या १—वणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या २— उद्योग

मांग संख्या ३— वाणिज्यिक सूचनायें तथा आंकड़े

मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १०४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पर पूंजी व्यय

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले कार्य को लेंगे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों पर कल चर्चा की गई थी। अब माननीय मंत्री वाद विवद का उत्तर देंगे।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांग पर चर्चा करते हुए, सदन ने मेरे मंत्रालय के प्रति जो उदारता दिखलाई

है, उस के लिए मैं आभारी हूं। मेरे मन्त्रालय ने जिस काम को संभाला है, मैं उसे जानता हूं। यह एक बहुत बड़ा काम है, जिसके दायरे में इस देश का समस्त निजी उद्यम और निर्यात तथा आयात व्यापार सभी आ जाते हैं और मैं यह भी जानता हूं कि इस काम को पूरा करने में बहुत सी कठिनाइयां और त्रुटियां पेश आयेंगी। कई मामलों में निजी व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है, कभी उचित कारणों से और कभी अनुचित कारणों से, किन्तु यह व्यवस्था में निरन्तर सुधार करने, ताकि यह लोगों की आलोचना से अधिक प्रभावित हो सके, और इसके काम की रफ्तार बढ़ाने का मामला है और इस मामले पर मेरे मन्त्रालय के पदाधिकारियों का सदा ध्यान रहता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अतः मुझे यह कहना पड़ेगा कि कुछ आलोचनायें अवश्य संगत होती हैं और हमारी चेष्टा यह होती है कि इन आलोचनाओं की समुचित जांच करें और अपनी व्यवस्था में सुधार करें। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि माननीय सदस्यों ने कल जो बातें कहीं थी, उन में प्रशासन के विशिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं थी और मुख्यतः उन की आलोचना नीति पर थी। मैं इस परिवर्तन का स्वागत करता हूं और समझता हूं कि इस प्रकार की चर्चा में,

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मन्त्रालय के विशिष्ट पदाधिकारियों के कार्यों की अपेक्षा नीति को ध्यान में रखा जाये ।

जैसा कि मैं ने कहा था, यद्यपि माननीय सदस्यों ने उदारता दिखाई है, तथापि कुछ शिकायतें भी की गई हैं और मैं भाषणों के क्रमानुसार इन शिकायतों की चर्चा करूंगा ।

श्री शिवा मूर्ति स्वामी ने हिन्दी में भाषण दिया था और मैं ने इस का अनुवाद प्राप्त कर लिया है । उन्होंने और उन के साथ कुछ अन्य सदस्यों ने, जिन में मद्रास के माननीय सदस्य श्री राघवाचारी भी हैं, उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता के प्रश्न पर भाषण किया था । श्री स्वामी ने कहा था कि छोटे उद्योग इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपनी शिकायतें सरकार के सामने रख सकें, क्योंकि उन का कोई संघटन नहीं है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन उद्योगों की, जो कि सुस्थित नहीं हैं, शिकायतों की जांच करना सरकार का कर्तव्य है और सरकार इस दिशा में अधिकतम प्रयत्न करेगी । कुटीर उद्योगों के प्रश्न की चर्चा करते समय, मैं इस विषय का फिर उल्लेख करूंगा । मेरे माननीय मित्र, बंगाल के श्री गुहा ने मंत्रालय के काम की प्रशंसा कर के हम पर बड़ी कृपा की । किन्तु एक विचारशील आलोचक होते हुए, उन्होंने अपनी शिकायतों या दूसरे शब्दों में, मन्त्रालय की त्रुटियों का बहुत उदारता से वर्णन किया है । पटसन का प्रश्न श्री गुहा, श्री मिश्र और श्री राजगोपाला राव ने उठाया है और इन में से प्रत्येक ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से ही इस पर प्रकाश डाला है । तथापि मुझे यह कहना पड़ेगा कि श्री गुहा की राय पर हम कोई आपत्ति नहीं कर सकते । मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि वर्तमान नियन्त्रक उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों में से नहीं चुना गया और मेरे विचार में वे यह जानते ही होंगे । वह एक ऐसा सरकारी कर्मचारी है जिसका इस उद्योग में कोई स्वार्थ नहीं है । मैं आशा करता था कि वे यह कहेंगे कि वर्तमान स्थिति संतोषजनक है ।

पटसन मिल मशीनरी के सम्बन्ध में, स्थिति यह है कि हम जानते हैं कि इस मशीनरी से अत्यधिक काम लिया गया है । यह भी हम जानते हैं कि इस मशीनरी को शीघ्र बदलना है किन्तु मेरे विचार में इस का वस्तुतः बहुत महत्व नहीं है । मशीनरी के पुराने होने के कारण हमें कुछ और व्यक्ति नियोजित करने पड़ते हैं और यह वस्तुतः एक अच्छी बात हो सकती है । एक और दृष्टिकोण से मैं यह कहूंगा कि यदि हम अधिक व्यक्ति नियोजित करें और अधिक अच्छी मशीनरी लगायें, जब तक पटसन की मिलों की संख्या न बढ़ेगी, हमें बेकारी की समस्या का सामना करना ही पड़ेगा । परन्तु यह चीज़ सरकार को मशीनरी के आयात को प्रोत्साहन देने से नहीं रोक रही है । इस विषय पर शीघ्र ही सम्बन्धित उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी पड़ेगी और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं यहां हूं, मैं इसे अत्यधिक महत्व दूंगा । खड्डी उद्योग के बारे में, मैं कुछ समय बाद चर्चा करूंगा ।

बिहारी पटसन के सम्बन्ध में, बिहार से आने वाले माननीय सदस्य की शिकायत के बारे में मैं मानता हूं कि कच्चे पटसन के व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और यह मुख्यतः उन बातों के कारण से है, जिन पर हमारा कोई बस नहीं । जब पटसन के मूल्य बढ़े हुए थे, तो किसी ने भी सरकार को धन्यवाद नहीं दिया था और लोगों का विचार था कि इस का श्रेय उन्हीं को ही है, किन्तु जब भाव गिर गये,

तो सरकार को ही उन सब लोगों के कष्टों का ज़िम्मेदार ठहराया गया, जो कि पटसन का व्यापार करते हैं। मैं मानता हूं कि पटसन और रूई के उत्पादन की एकीकृत नीति के फलस्वरूप ही पटसन की खेती में वृद्धि हुई है और मुझे इस बात का बहुत हर्ष है। हम यह भी जानते हैं कि इन लोगों को पटसन की खेती करने के लिए प्रोत्साहन देने के पश्चात, इन्हें किसी प्रकार का संरक्षण भी देना चाहिये। परन्तु जो संरक्षण प्रायः मांगा जाता है वह चोटी के मूल्यों पर आधारित होता है और साधारण मूल्यों पर आधारित नहीं होता।

विहारी पटसन के विशिष्ट प्रश्न पर, माननीय सदस्य ने कहा है कि बिहार में कोई पटसन को मिल नहीं है और इसी कारण ही उन्हें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। दूसरी ओर बात यह है कि यदि परिवहन की सुविधाएं बहुत बढ़ा दी जायें, तो संभवतः उन की यह कठिनाई दूर हो जायेगीं और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि संभाव्य मर्यादाओं के अन्दर रहते हुए और मेरे मंत्रालय की सीमित शक्ति के अधीन, हम बिहार के पटसन उगाने वालों की दशा में सुधार करने के लिए, जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे।

माननीय सदस्य एक और मित्र के साथ मुझे श्रीकाकुलम में बिमली पटसन के प्रश्न के बारे में मिले थे और यह मामला मेरे मन्त्रालय के विचाराधीन है। हम व्यापारियों के साथ बात चीत कर रहे हैं। सुझाव यह था कि हम कच्चे पटसन के निर्यात की आज्ञा दें, जिस से कि उन्हें वर्तमान मूल्यों की अपेक्षा ३०० प्रतिशत अधिक मूल्य प्राप्त हो सकें। मुझे भय है कि उन का कहना सत्य नहीं। विश्व पटसन मंडी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आखिरकार इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि श्रीकाकुलम क्षेत्र में पैदा किया गया पटसन बहुत अच्छे प्रकार का नहीं होता। यह एक घटिया किसम का पटसन होता है, जिसे मुख्यतः अच्छे पटसन के साथ मिलाने के लिये प्रयोग किया जाता है। कुछ भी हो, यह बात नहीं है कि सरकार को उत्पादन उद्योग की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं है और हम इस दिशा में अधिकतम प्रयत्न कर रहे हैं। मंडी में कुछ सुधार होने की संभावना तो है किन्तु हम केवल इस पर ही आस नहीं लगाये बैठे। हम उद्योग को इस पर कुछ ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और यदि उद्योग ने सहयोग न दिया, तो हमें कच्चे पटसन के निर्यात की आज्ञा देने का अधिकार होगा, यद्यपि इस की प्रतिक्रिया हम पर ही होगी। देश से कच्चे पटसन के निर्यात का अर्थ यह है कि निर्मित उत्पाद-वस्तु देश से बाहर नहीं जायेगी और हमें....

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मेरे विचार से पटसन के बारे में माननीय मंत्री की जानकारी बिल्कुल ग़लत है। यह स्पष्ट है कि कलकत्ता में पटसन इसलिए नहीं बेचा जाता क्योंकि पटसन की लगभग १० लाख गांठें चोरी से पाकिस्तान सीमा के पार भेजी जा रही हैं। अगले वर्ष पटसन की इतनी बहुतायत होगी कि इसे खेतों में जलाया जायेगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने यह साबित कर दिया है कि मेरी जानकारी ग़लत है। वे मेरे ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और मैं उनका बहुत आभारी हूं, विशेषतया इसलिए कि वे प्रो० मेघनाद साहा जैसे प्रख्यात विज्ञानविद् हैं। किन्तु मैं नहीं समझता कि जो कुछ मैं ने कहा है, वह भ्रांति-कारी है। हो सकता है कि बहुतायत चौर्यानयन के कारण है और भूमि सीमान्त

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के होते हुए चोर्यानयन स्वाभाविक है और इसे रोकना बहुत कठिन है। चौर्यानयन का रुक जाना या बढ़ना मूल्यों पर निर्भर करता है। अपने विषय की ओर आते हुए, श्रीमान्, मैं यह कहूंगा कि कच्चे पटसन के निर्यात की समस्या का हल करना बहुत कठिन है। यदि हम कच्चे पटसन के निर्यात की आज्ञा दे दें, तो इस का अर्थ यह होगा कि हम तैयार माल के निर्यात पर, जिस के बारे में हमें बहुत चिन्ता है, प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। परन्तु हम श्रीकाकुलम के उत्पादकों के हितों को नहीं भूल सकते और हम इस दिशा में सर्वोत्तम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बी० दास (जाजपुर–क्योंझर) : मैं जान सकता हूं कि क्या चौर्यानयन कलकत्ता के पूंजीपतियों द्वारा करवाया जाता है ?

श्री ०टी टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस का बहुत खेद है। मैं नहीं जानता कि इतना चौर्यानयन हो रहा है। अधिकतर आलोचना साम्यवादी दल के सदस्यों द्वारा की गई है। परन्तु मुझे कुछ निराशा ई है। मैं समझता था कि यह आलोचना बहुत जोरदार होगी किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि इस में जान नहीं है, क्योंकि जैसा कि आलोचना करने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, वे नये हैं और उनकी जानकारी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने औद्योगीकरण के प्रश्न पर बल दिया था और मेरा विचार है कि इसी बात पर साम्यवादी विरोधी दल विभाजन की मांग करेगा। उन्होंने औद्योगीकरण की नीति की बहुत चर्चा नहीं की और उन का भाषण अधिकतर इस देश में विदेशी उद्योगों के बारे में था। वास्तव में माननीय सदस्य ने मेरी ओर एक व्यक्तिगत निर्देश किया था और मैं इस बात की सराहना करता हूं कि यह निर्देश बहुत नफ़ासत से किया गया था। किन्तु मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि अपने ३२ वर्ष के सक्रिय जीवन में, २० वर्ष मैं ने ब्रिटिश, अमेरिकन और यौरपीय फ़र्मों के साथ व्यापार करते हुए व्यतीत किये। उन्होंने एक विशिष्ट फर्म के साथ, जिस का नाम मैं नहीं दुहराऊंगा, मेरे सम्बन्ध का उल्लेख किया था। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं किन्तु मैं यह नहीं समझता कि इस में कोई बुरी बात थी। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को यह बतलाना चाहूंगा कि उस फ़र्म के साथ मेरा सम्बन्ध था और यह सम्बन्ध १ जूलाई, १९४१ को तोड़ दिया गया था और इस बात से मेरे और उस के बीच घनिष्टता नहीं बढ़ती। यदि माननीय सदस्य इस देश में विदेशी फ़र्मों के कार्यसंचालन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वे मेरे पास आयें और जितना वे जानते हैं, मैं उन्हें इस से अधिक बतला सकूंगा। आखिर, हम में से वे लोग जिन का उद्योग से सम्बन्ध रहा है जानते हैं कि असुविधा क्या है और यहां वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के रूप में, मैं अपने सामने बैठे हुए माननीय मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस बात का ध्यान रखने में कि भारतीय हित सुरक्षित रहें, उन से पीछे नहीं हैं किन्तु इस शर्त के अधीन कि हम कुछ कारणों से इस देश में कुछ विदेशी व्यापार रहने देना चाहते हैं और हम उद्योगों के विकास के क्षेत्र को बन्द नहीं करना चाहते। अपनी शर्तों के अधीन रहते हुए, हम हर आने वाले का स्वागत करेंगे। उन के आने के लिए हम ने कुछ शर्तें रखी हैं। औद्योगिक नीति का विवरण, जो कि १९४८ में सदन पटल पर रखा गया था और माननीय प्रधान मंत्री का अप्रैल १९४६ का वक्तव्य अब भी जारी

है। इस में उपयुक्त संशोधन या परिवर्तन किये जा सकते हैं। किन्तु नीति का सार अब भी वही रहेगा। कांग्रेस के सदस्यों को यह बतलाने का कोई लाभ नहीं कि अंग्रेज़ों के गुर्गे हैं। हम गुर्गे नहीं हैं। हम अनुभव करते हैं कि हमें उन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यह नहीं कहता कि आप उन से डरते हैं। आप का विचार है कि यदि ब्रिटिश और भारतीय को अलग किया जाये, तो जहां तक भारत का सम्बन्ध है, एक और शत्रु पैदा हो जायेगा और हमें सम्भवतः किन्हीं और लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि आप के विचार में, आप के मित्र हैं। हम चाहते हैं कि सब देशों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए।

ब्रिटिश पूंजी के प्रश्न की ओर आते हुए, मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य के पास पर्याप्त या समुचित जानकारी नहीं थी। यदि वे इस विषय पर रिज़र्व बैंक का प्रतिवेदन पढ़ते तो उन्हें ज्ञात होता कि इस देश में विदेशी पूंजी अनुमानतः लगभग ३२० करोड़ रुपये है। मैं मानता हूं कि कुछ उद्योगों में उन का प्रबल हित है। मैं इस बात पर विरोधी दल से बिलकुल सहमत हूं कि इस प्रबल हित का प्रयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि यह देश के विकास के लिए या लोगों के लिए हानिकर सिद्ध हो। इस विषय में वे जो भी सुझाव देंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। परन्तु यदि आशय यह है कि इन हितों को हटा दिया जाये और हम अपने लिये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कठिनाई पैदा कर लें जिस से के हमारे स्टर्लिंग पावना भी खतरे में पड़ जाये, तो मैं समझता हूं कि हमें इस फन्दे में नहीं फंसना चाहिए। मेरे माननीय मित्र उन लोगों को जानकारी देने की चेष्टा करते हैं, जो कि इन चीज़ों के बारे में उन से कुछ अधिक ही जानते हैं।

इस देश में ब्रिटिश हितों के बारे में, मैं ने बतला दिया है कि सरकार की नीति क्या है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में हमें सावधान रहना चाहिए। मैं इस देश में शीत ऋतु के यात्रियों के द्वारा अल्प कालीन सट्टेबाजी के उद्योगों को खोले जाने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। परन्तु इस देश में कुछ ऐसे ब्रिटिश हित हैं, जिन्हों ने वास्तव में उच्च स्तर स्थापित किये हैं। संभव है कि ये थोड़े से हों किन्तु हैं अवश्य। मैं ने अपने अनुभव से देखा है कि ब्रिटिश उद्योग में श्रम के साथ अधिक अच्छा व्यवहार किया जाता है। वे कलकत्ते वाणिज्य मंडल मूल्य देशनाक के आधार पर मंहगाई भत्ता की श्रेणी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वे अपने लेखे ठीक रखते हैं और कर देने से इन्कार नहीं करते। वे दोहरे लेखे नहीं रखते। मुझे एक विशेष हित के बारे में ज्ञात है कि इसके योरोपीय प्रबन्धक यहां तक कहते थे कि घाटा उठाने पर भी वे अपनी मिलें बन्द नहीं करेंगे क्योंकि इस खेल में लाभ या घाटा होता ही रहता है। यह केवल इस देश में विदेशी हितों के ज़ोर को हलका करने का प्रश्न है। जब तक हमारा उन पर पूरा नियन्त्रण है—मुझे विश्वास है कि इस सरकार का प्रत्येक उद्योग पर चाहे वह विदेशियों के स्वामित्व में है या भारतीयों के, पूरा नियंत्रण है—तब तक हमें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। हम इस देश में विदेशी पूंजी के सारे प्रश्न पर इस देश के विकास के दृष्टिकोण से देखते हैं और इस में प्रभुता का प्रश्न ही नहीं है। प्रभुता इस देश की है, इस देश के लोगों की है। यदि विदेशी हित इस देश के लोगों की प्रभुता में हस्तक्षेप करेंगे, तो मैं अपने प्रधान मंत्री से सिफारिश करूंगा कि विदेशी हितों को हटा दिया जाये। मैं इस विषय पर और अधिक

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

नहीं बोलना चाहता। केवल अपने माननीय मित्र के भाषण के एक पहलू अर्थात रूस के बारे में कुछ बातें कहूंगा।

वर्तमान स्थिति यह है। मेरा विचार है कि मेरे माननीय सहयोगी वित्त मंत्री ने दूसरे सदन में आय-व्ययक पर अपने भाषण में इस का उल्लेख किया था। रूस के साथ व्यापार करने पर वास्तव में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कौन कहता है कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध है। इस देश में व्यापार मुख्यतः निजी व्यापारियों के हाथ में है। यदि वे रूस का सहयोग प्राप्त नहीं करते या उस के साथ व्यापार नहीं करना चाहते, तो हम उन्हें ऐसा करने के लिए वाध्य नहीं कर सकते। यदि हमारे पास कोई जानकारी आती है, उदाहरणतः यह कि रूस में अखबारी काग़ज सस्ता है, तो हम यह जानकारी अवश्य व्यापारियों को देंगे और उन से कहेंगे कि अपना माल वहीं की मंडी से मंगवायें। खाद्यान्न के व्यापार को छोड़ कर, शेष सब व्यापार अधिकांशतया निजी लोगों के हाथ में है। सरकार को यह बतलाने से क्या लाभ होगा कि रूस के साथ अवश्य व्यापार किया जाये? रूसी व्यापार आयुक्त, अन्य लोगों की तरह, व्यापार बढ़ाने के लिए क्यों प्रयत्न नहीं करते? ऐसा करना उन का काम है।

अदायगियों की ओर निर्देश किया गया था। जहां तक रूस के साथ हमारे वर्तमान व्यापार का सम्बन्ध है, मैं एक सूची दे सकता हूं। जूलाई, १९४८ में ८००० टन भारतीय चाय के बदले में ५०,००० मेट्रिक टन रूसी गेहूं जनवरी १९४६ में ५००० टन गेहूं और १००० टन रेडी के तेल आदि के बदले में ८१ ००० मेट्रिक टन गेहूं, मार्च १९४९ में २००,००० टन रूसी गेहूं और २०,००० टन रूसी मकई नकद स्टरलिंग में, दिसम्बर १९४९ में रूस से २५,००० टन गेहूं का क्रय १९४९ में उद्योग तथा रसद मंत्रालय ने रूस के खाते में स्टरलिंग देने पर, रूस से कुछ खादें खरीदी थीं।

यह सरकार के खाते में है और वस्तु-विनिमय का प्रश्न है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि वस्तु भाड़े और बीमे के लिए, इन वस्तुओं के सम्बन्ध में केवल नकद अदायगियां की गईं थीं। इनकी संगणना डालरों में की गई थी और अदायगी स्टरलिंग में की गई थी। सरकार ने रूस के व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। वास्तव में, बम्बई में हाल की प्रदर्शनी में, रूस ने लगभग २७ लाख रुपये का माल खरीदा और बेचा। हम यह नहीं जानते कि धन भेज दिया गया है या नहीं। सम्भवतः नहीं भेजा गया यह अभी इस देश में ही है। विरोधी दल के माननीय सदस्य सम्भवतः बेहतर जानते हैं। रूस के प्रति कोई द्वेष नहीं है। जब हम यह कहते हैं कि व्यापार स्वतंत्र है, तो हमारा अभिप्राय यह है कि हम अपने उद्योग और व्यापार के रूस के साथ लेन-देन करने की आज्ञा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उस के साथ सामान्य तरीकों से सम्बन्ध स्थापित करना उन का काम है। मैं इस विशिष्ट विषय पर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं ने अपने माननीय मित्र के प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

मैं मद्रास के अपने माननीय मित्र श्री राघवाचारी के भाषण की ओर आता हूं। मैं ने उनके भाषण को बहुत रुचि से सुना, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट था। उन के भाषण के कुछ भाग को मैं सत्य स्वीकार करता हूं और उन से सहमत हूं। सारतः छोटे पैमाने के उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों में संघर्ष है। यदि मनुष्य पर से सभ्यता

का मुलम्मा उतार दिया जाये, तो वह केवल आदि पुरुष रह जाता है और मनुष्य मनुष्य में संघर्ष होता है । इसीलिये हमें सभ्यता और शान्ति और व्यवस्था रखनी पड़ती है । वस्तुतः एक संघर्ष जारी रहता है । किन्तु भारत जैसे देश की सरकार का उद्देश्य इन संघर्षों का हल ढूंढना, मत-भेदों का समन्वय करना और प्रत्येक व्यक्ति को जीने की सुविधा देना है । छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के उद्योगों के मामले में सरकार का अन्तिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और इस तरह सब लोगों को काम दिलाना है । हमें कुटीर उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए अवश्य स्थान रखना है । मेरे मित्र जो तत्वज्ञान इस सदन के सदस्यों को देना चाहते थे, मैं उसे स्वीकार करता हूं । किन्तु इसे क्रियान्वित करने का भी प्रश्न है । इस विषय पर बहुत सा मतभेद हो सकता है । मैं अपने माननीय मित्र को बतलाना चाहूंगा कि इस समय सरकार विभिन्न मंत्रालयों में यह जांच करने में व्यस्त है कि वह ग्राम उद्योगों, खादी, दस्तकारियों, हाथकर्घा उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योगों आदि को उचित स्थान देने के लिए क्या कर सकती है । यह उन के समायोजन का और अनुभव तथा त्रुटियों के आधार पर काम करने का प्रश्न है । इस तरह यदि आवश्यकता हुई तो अपनी नीति बदल कर भी अपने तरीकों में सुधार किया जा सकता है ।

यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इसे, जैसा कि फ़ाइलों के सम्बन्ध में कहा जाता है, अधिकतम प्राथमिकता दी जाती है । मेरा विचार है कि हम इस विषय पर कुछ सम्मेलन कर रहे हैं । मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि मैं उन की आलोचना के औचित्य को मानता हूं । मैं उन की सलाह की कदर करता हूं । हम इस विषय की उपेक्षा नहीं कर रहे और इस पर विचार कर रहे हैं । परन्तु जो कुछ वे कहते हैं, वह सब नहीं किया जा सकता । तेल से जलने वाले लैम्प के प्रयोग को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं । किन्तु मैं समझता हूं कि यदि हम ग्रामों में बिजली पैदा कर सकें, तो ग्रामीण लोग अवश्य तेल के लैम्पों के स्थान पर बिजली की रौशनी लेना चाहेंगे ।

उन्होंने गन्धक के तेज़ाब के आयात की ओर निर्देश किया था । मैं उन की निन्दा नहीं करना चाहता । आखिर किसी व्यक्ति को सब चीज़ों का ज्ञान नहीं हो सकता है । स्वयं मैं एक प्रकार की अलौह धात के नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सका था । जिह्वा से निकला ही नहीं । और यदि वे गन्धक के तेज़ाब के बारे में नहीं जानते तो यह कोई अपराध नहीं है । परन्तु मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम गंधक के तेज़ाब का आयात नहीं करते । किसी ने उन्हें किसी और वस्तु के बारे में बतलाया होगा । हम गन्धक का, जो कि गंधक के तेज़ाब का मूल है, आयात करते हैं, और गंधक का तेज़ाब आयात नहीं करते । हमारे पास ४० ऐसे संयन्त्र हैं, जिन के द्वारा चैम्बर तथा कान्टेक्ट तरीकों से गंधक का तेज़ाब तैयार किया जाता है । यह हमारी आव-श्यकताओं को पूरा नहीं करता, किन्तु कुछ न कुछ बन तो रहा है । हम गंधक का तेज़ाब आयात नहीं करते ।

अपने मंत्रालय को सम्मुख रखते हुए, समस्त उद्योग की स्थिति के विषय में, मैं अपने माननीय मित्र श्री सोमानी के युक्तियुक्त भाषण के लिए अत्यन्त आभारी हूं । सदन को यह नहीं समझना चाहिए कि चूंकि सरकार ने उन के हितों का बहुत ध्यान रखा है और जो कुछ वे चाहते थे, वह कर रही है,

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

इसलिये उन का भाषण युक्तिसंगत है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को बतला सकता हूं कि आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार कृतज्ञता का अर्थभावी अनुग्रहों के प्रति जागरूक होना है। संभवतः इस दृष्टि-कोण से उन का भाषण बहुत युक्तियुक्त है और मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि समस्त उद्योग यही युक्तियुक्त रवैया अपना लें, तो वे देखेंगे कि सरकार अवश्य सहयोग देगी परन्तु उन्हें यह न भूलना चाहिये कि इस में दो बातें हैं। पहली चीज़ श्रम है, जिससे उन का सम्बन्ध है। दूसरी चीज़ उपभोक्ता है। मेरे माननीय मित्र ने मूल्यों की ओर निर्देश किया था। उन का कहना है कि यदि शुरू में मूल्य अधिक रखे जायें, तो बाद में इन्हें आर्थिक स्तर पर लाया जा सकता है। परन्तु इस बीच में आप अपना व्यापार और उपभोक्ता दोनों खो बैठेंगे। हम ने मई में मोटे और दरमियाने कपड़े के मूल्य बढ़ाये थे और निर्माण-व्यय में भी थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। लोगों का यह ख्याल है कि हम मिल-मालिकों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि कमी ५ से २४ प्रतिशत तक हुई है और वृद्धि केवल ०.६ प्रतिशत से २.६५ प्रतिशत तक हुई है। मैं ने भारत के एक बड़े समाचार पत्र में एक सम्पादकीय लेख पढ़ा था, जिस में कोयम्बटूर में दिये गये मेरे कुछ वक्तव्यों का उल्लेख किया गया था। यह एक पूंजीपति पक्ष का व्यक्ति है, १५ वर्ष पहले नगर के मिल मालिकों ने इस के लिये जो कुछ किया था, वह उसके लिए आभारी है, अतः उस के लिये अपने संकुचित विचार छोड़ना आवश्यक है। परन्तु यह ऐसा नहीं है। मैं ने मिल मालिकों के सामने कोई कृतज्ञता नहीं प्रकट की थी। मैं ने कहा था कि कोयम्बटूर की मुझ पर कृपा दृष्टि रही है। कोयम्बटूर से मेरा अभिप्राय कोयम्बटूर के मिल मालिक नहीं था। सरकार को इस प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ता है। यदि मेरे माननीय मित्र इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, तो वे यह अनुभव करेंगे कि जहां तक नियन्त्रित वस्तुओं के मूल्यों के निर्धारण का सम्बन्ध है, सरकार कतिपय संघर्षमय हितों का समन्वय करने का प्रयत्न कर रही है और उद्योग को बनाये रखते हुए, हमारा उद्देश्य केवल उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना है।

मुझे खेद है कि मैं सदन का अधिक समय ले रहा हूं, किन्तु मैं अपने माननीय मित्र श्री मोरे के भाषण का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं ने उन्हें तीन बार भाषण देते सुना है। मैं नई नई बातें कहने वाले लोगों को पसन्द करता हूं और मुझे पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक है। अतः उस व्यक्ति को पसन्द करता हूं जो पुस्तकों से उद्धरण देता है, यद्यपि इस विषय में "पाखंडी धर्मग्रन्थों से उद्धरण देता है" का कथन लागू हो सकता है। उन का भाषण सुनना एक बहुत रूचिकर बौद्धिक अभ्यास है। जब भी श्री मोरे उठते हैं, तो मैं समझता कि वह किसी पुस्तक की ओर अवश्य निर्देश करेंगे। उन्हों ने कहा है कि सरकार की औद्योगिक नीति न तो राष्ट्रीय है और न विवेकशील है। यह एक बहुत सुन्दर पद है और समाचारपत्रों में एक बड़ी सुर्खी बन सकती है परन्तु इस से अधिक कुछ नहीं। यह सरकार एक राष्ट्रीय सरकार है और राष्ट्रीय हित के सिवाय इसका और कोई हित नहीं है। यदि वे सदन को और बाहर की जनता को यह बतलाना चाहते हैं कि सरकार के हित राष्ट्रविरोधी हैं और वह ब्रिटिश या अमेरिकन या रूसी हितों की डोर से बन्धे हुए हैं, तो वे मेरे विचार में, व्यर्थ

चेष्टा कर रहे हैं। उन का कथन सुनने में बहुत सुन्दर लगता है, किन्तु यह सत्य नहीं है।

मुझे आशा थी कि श्री मोरे हमें इस से अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें बतलायेंगे। निस्संदेह उन्होंने कहा है कि उनके पास बैठे हुए गुटों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और आश्वासन दिया है कि वे छिप कर कार्यवाही नहीं करेंगे। यह अच्छी बात है। उनके छिप जाने से मुझे खेद होगा। उन्हों ने कहा है कि हम ब्रिटिश नीति को जारी रख रहे हैं किन्तु उन्होंने यह नहीं बतलाया कि ठीक ठीक किस विषय में हम ब्रिटिश नीति जारी रख रहे हैं। क्या आप देश का नक़शा बदलना चाहते हैं? सब चीज़ें जारी रहेंगी। श्री मोरे और मैं बराबर चल रहे हैं। हम बदले नहीं हैं, किन्तु बराबर चल रहे हैं। इसी तरह जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, वह भी जारी रहेंगी। यह एक सापेक्ष शब्द है। यदि श्री मोरे ने साम्यवादी दल के कुछ माननीय सदस्यों की तरह यह कहा होता कि हम ब्रिटिश हितों को इस देश में जारी रहने की आज्ञा दे रहे हैं, तो कुछ समझने की बात थी। यह सत्य है कि हम इस की आज्ञा दे रहे हैं किन्तु इस शर्त के अधीन कि वे उचित लेन-देन करेंगे। परन्तु श्री मोरे ने ऐसा नहीं कहा। उनकी आलोचना का सार वस्तुतः यह था कि इस आयव्ययक में उद्योग के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। जब तक कि यह कोई राज्य उद्योग न हो, सरकार उद्योग के लिए क्या व्यवस्था कर सकती है। उदाहरण के लिए, मांगों के पद १०४ को लीजिये। कच्चे लोहे का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री बस इतना ही कर सकते थे, इस से अधिक कुछ नहीं। वह यह नहीं कह सकते थे कि : रक्षा व्यय से मैं अमुक राशि अहमदाबाद के मिल-मालिकों को देता हूं, अमुक राशि कानपुर को, अमुक दक्षिण भारत को। यह किसी दान को वितरित करने का प्रश्न नहीं है।

पंच-वर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी निराशा प्रकट की गई है। योजना में केवल सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करने की व्यवस्था है। यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है और सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक धन व्यय करना चाहिए, और योजना में अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो समझ में आ सकता है। किन्तु यदि आप यह मांग करते हैं कि हमें उद्योगपतियां का वित्त पोषण करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम, उनके कहने पर उन्हें धन देगा। मेरे माननीय सहयोगी, वित्त मंत्री उद्योगपतियों को उद्योग के विकास के लिए धन प्राप्त करने में सदा सहायता देते हैं। और यदि आप समस्त देश—मैं सरकार नहीं कहता—के कारनामों को देखना चाहें, तो मेरे मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रशासन प्रतिवेदन से, जिस में कुछ अशुद्धियों के होते हुए, कुछ न कुछ जानकारी अवश्य दी गई है, आप को ज्ञात होगा कि देश उन्नति कर रहा है। आप को कम से कम एक बात अवश्य सरकार के पक्ष में दिखाई देगी और वह यह है कि सरकार ने उद्योग की उन्नति को नहीं रोका देश बराबर उन्नति करता रहा है।

आप इस सिंदरी के संयंत्र का विषय ही लीजिये। इस के श्रीगणेश से ही मैं इस की प्रगति को देख रहा हूं। मुझे स्मरण है कि एक सल्फेट आफ़ अमोनियमा संयन्त्र स्थापित करने की संभाव्यता पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मौरिंग आयोग आया था और सन् १९४० में हम ने संयन्त्र लगाने के लिए पहला टेकनिकल समझौता किया था। मुझे इस उद्योग की

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

विशिष्ट कठिनाइयों का भी ज्ञान है । विभाजन के बाद, अब अब हमें पाकिस्तान से जिप्सम नहीं मिल सकता । इस के बावजूद तीन वर्षों की अवधि में हम ने जो काम किया है, वह वास्तव में उल्लेखनीय है और इस पर लज्जित होने के बजाय हमें इस पर गर्व करना चाहिये ।

श्री मोरे और क्या चाहते हैं ? वे कहते हैं कि रक्षा उद्योग आवश्यक है । मैं और मेरे माननीय सहयोग वित्त मंत्री इसे स्वीकार करते हैं । रक्षा मंत्री और उन से भी अधिक स्वयं प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में बहुत उत्सुक हैं । कृपा कर के आप हमें बतलायें कि हम किन लाइनों पर चलें । हम सदैव प्रयत्न करते रहते हैं । हम मोटर उद्योग को विकसित करना चाहते हैं क्योंकि जहां तक रक्षा उद्योगों का सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि यह एक सहायक उद्योग है । योजनाओं का उद्देश्य यह होता है कि विशिष्ट खंडों में उद्योग योजनाबद्ध तथा समायोजित तरीके से विकसित किये जायें । जिन्होंने कुछ ऐसा उद्धरण दिया है, जो कि हमारे विरुद्ध जाता है । उन्होंने हमारे एक सहयोगी, प्रो० अग्रवाल की पुस्तक से उद्धरण दिया है । उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मूल उद्योग का स्वामित्व सरकार को होना चाहिये । हम इस बात पर सहमत हैं । सन् १९४८ के औद्योगिक नीति विवरण में कहा गया है कि राज्य को ही मूल उद्योगों का स्वामी होना चाहिये । हम जो कुछ करते हैं वह यह है : हम अपने संसाधनों को इस प्रकार बांटते हैं कि उन उद्योगों पर, जो कि पहले जारी किये जा चुके हैं और निजी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं, कुछ खर्च न किया जाये । उस औद्योगिक नीति विवरण के एक खंड से उद्योगपतियों के मन में बहुत भय उत्पन्न हुआ है, जो कि निरर्थक बात है । विवरण में केवल यह कहा गया है कि दस वर्ष की अवधि के बाद पुनरीक्षण किया जायेगा । पुनरीक्षण का अर्थ यह नहीं कि राज्य सारे निजी उद्योगों को अपने हाथ में ले लेगा । इस का अर्थ केवल यह है कि यह जांच की जायेगी कि क्या निजी उद्योग उचित प्रकार से चल रहे हैं । जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने बार बार कहा है, सभी निजी उद्योगों को ले लेने का कोई अर्थ नहीं है । हम अपने संसाधन अन्य अधिक अच्छे प्रयोजनों के लिए काम में ला सकते हैं । जब हम देखेंगे कि अब हमारे पास बहुत सा धन आ गया है, जो कि बेकार पड़ा है और जिसे हम लाभजनक रूप से विनियुक्त कर सकते है, तो हम उन उद्योगों को अपने हाथ में ले लेंगे । यदि मेरे माननीय मित्र ने इस मामले पर विचार किया है, तो उन्हों ने यह अनुभव किया होगा कि वे सरकार की नीति से पूर्णतया सहमत हैं । सरकार तो केवल वही कुछ कर रही है, जो कि उन के मन में है । वे रफ़्तार को बढ़ाना चाहते होंगे । यदि उन के कोई सुझाव हैं, तो कम से कम मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूंगा ।

मैं श्री वी० बी० गांधी के रचनात्मक भाषण के लिए उन का बहुत आभारी हूं । मेरे विचार से उन्होंने उन आलोचनाओं का भी, जो कि हमारे आयात तथा निर्यात के बारे में की गई हैं, उत्तर दे दिया है । यह आलोचना करते हुए कि युद्ध-प्रिय राष्ट्रों के द्वारा संग्रह करने के लिए हम कच्ची सामग्री इस देश से निर्यात करते हैं, माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि हमारे निर्यातों का ५७ प्रतिशत निर्मित वस्तुएं ही होती हैं । साम्यावादी दल के एक और माननीय सदस्य

ने कहा है कि हम बहुत सा माल आयात कर रहे हैं, किन्तु कोई मशीनरी नहीं आयात करते । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं एक विवरण दे सकता हूं जिस में बतलाया गया है कि जहां तक उपभोक्ता की वस्तुओं का सम्बन्ध है और इन में खाद्यान्न दालें और साइकलें भी सम्मिलित हैं, ये हमारे कुल आयातों का २२ से २३ प्रति शत तक होती हैं । हमारे सब आयात निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में होते हैं और इस के साथ पर्याप्त मात्रा में पूंजी मशीनरी भी होती है ।

श्री गांधी के भाषण की ओर पुनः निर्देश करते हुए यह सुझाव दिया गया है कि कपड़ा उद्योग के हितों का एक सम्मेलन प्रस्तावित था । मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । ब्रिटेन में इस बात की कुछ अस्पष्ट चर्चा हो रही है । किन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया ।

हमारी विदेशी वाणिज्य-दूतिक सेवा के बारे में भी कुछ बातें कही गई थीं । मैं मानता हूं कि वर्तमान सेवा हमारी इच्छानुसार नहीं है । मैं स्वयं यह चाहता हूं कि हमारी विदेशी वाणिज्य-दूतिक सेवा बहुत कार्यसाधक और सहायक हो । किन्तु हम अभी इसे बना रहे हैं और हम निश्चित रूप से ठीक दिशा में चल रहे हैं । मेरे मन्त्रालय ने अनुदान के लिए जो मांग की है, वह वाशिंगटन, पीकिंग, टोकियो, ओटावा आदि में, जो कि कुछ एक महत्वपूर्ण स्थान हैं, प्रथम सचिव (वाणिज्य) नियुक्त करने के लिए है । अतः हम उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम चलें ।

अन्त में, मैं अपने माननीय मित्र, श्री रोहिणी कुमार चौधरी के भाषण का उल्लेख करता हूं । उन्होंने मुझे आसाम आने का निमंत्रण दिया है । मैं तो स्वयं वहां जाना चाहूंगा क्योंकि इस राज्य के बारे में मेरी जानकारी बहुत अच्छी नहीं है । यदि समय मिले, तो मैं अवश्य आसाम जाना चाहूंगा । किन्तु आसाम की कठिनाइयों को जानने के लिए मेरे लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है । मेरे विचार में मन्त्रालय और प्रधान मंत्री भी आसाम की सहायता करने के लिए बहुत उत्सुक हैं । परन्तु प्रत्येक मंत्री के आसाम जाने से ही आसाम की सहायता नहीं होगी । सूत के विषय में, हमें आसाम की स्थिति विदित है । हम उसकी आवश्यकताओं को समझते हैं ।

धातु-लिप्त लोहे की चादरों के सम्बन्ध में, अब स्थिति यह है कि हम उन के राज्य की मांगों को, जैसा कि वे कहते हैं, सहानुभूति पूर्वक पूरा कर सकेंगे । हम ने सन् १९५१ और १९५२ के दोनों वर्षों में अपनी ओर से अधिकतम प्रयत्न किया है । हम ने दूसरे राज्यों के दावों को छोड़ कर, आसाम को कोटा आवंटित किया है । इस समय मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि धातु-लिप्त लोहे की चादरों के आवंटन के सम्बन्ध मे, उन के राज्य द्वारा की गई मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा । वाणिज्य तथा उद्योग के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर जो मुख्य आलोचनायें की गई हैं, मैं ने उन में से कुछ एक का उत्तर दिया है । यदि मैं ने किन्हीं माननीय सदस्यों की आलोचनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा तो मैं आशा करता हूं कि वे मुझे क्षमा करेंगे । मैं ने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया है मैं ने उत्तर देने के लिए ४२ मिनट ले लिए हैं और मैं अगली मांग के लिये निर्धारित समय में से कोई समय नहीं चाहता । मैं अपना भाषण यहां अन्त करता हूं । सदन ने मेरे प्रति जो उदारता का व्यवहार किया,

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

उस के लिए मैं एक बार फिर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि मांगें बिना किसी कटौती के पारित कर दी जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए सदन के सम्मुख इकट्ठा प्रस्तुत करूंगा, यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशिष्ट प्रस्ताव को पृथक रूप से न लेना चाहते हों: प्रश्न यह है कि :

"'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

शेष सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी मांगों को मतदान के लिए सदन के सम्मुख इकट्ठा प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेश पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या १, २, ३, ४, और १०४ के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए उक्त आदेशपत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगों के यह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किये गये :

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—४७,१३,००० रुपये

मांग संख्या २—उद्योग—९३,३०,००० रुपये

मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचनायें तथा आंकड़े—३०,४९,००० रुपये

मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय—१४,४१,००० रुपये

मांग संख्या १०४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पर पूंजी व्यय—२,२२,२३,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगा। यह मांगें संख्या ७८, ७९, ८० और १२५ हैं।

मांग संख्या ७८—पुनर्वास मंत्रालय —१३,००,००० रुपये

मांग संख्या ७९—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय—६,७२,९२,००० रुपये

मांग संख्या ८०—पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय—१९,००० रुपये ।

मांग संख्या १२५—पुनर्वास मंत्रालय पर पूंजी व्यय—२०,००,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ कटौती प्रस्ताव, जिन पर सहमति है और जिन की सूचना दी गई है ये हैं :

हैदराबाद में निष्क्रान्त सम्पत्ति

श्रीमाधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये"

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

योल कैम्प निवासी

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

दावों की पड़ताल

सरदार हुक्म सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

नीति

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विजियानगरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों की दशा

श्री एन० सी० चटर्जी : (हुगली) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'पुनर्वास मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती कीजाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी कटौती के प्रस्तावों को, जो कि ऊपर प्रस्तावित किये गये हैं, सदन के समक्ष रखता हूं । भारत-पाकिस्तान समझौता, अप्रैल, १९५० को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा करने के लिये, मुझे जनाब अमजद अली से कटौती प्रस्ताव संख्या ७३२ की सूचना मिली है । मैं समझता हूं कि इस का सम्बन्ध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से है । अतः मैं इसे अनियमित ठहराता हूं ।

सदन अब मांगों तथा उन कटौती प्रस्तावों पर, जो सदन के सम्मुख रखे गये हैं, चर्चा आरम्भ करेगा ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रिहैबिलिटेशन की बहस के लिये मैं समझती हूं हमारे माननीय मंत्री ने कल अखबारों में एक बयान निकाला । उस की रिपोर्ट हमारे पास तो आ चुकी है, लेकिन जनता के लिये वह बयान अखबार में दिया गया । उस के पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) का काम अब बहुत थोड़ा बाक़ी है । उस बयान में कुछ आंकड़े दिये गये हैं जिन में से कुछ का खुलासा मैं यहां रखूंगी ।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये लोगों में से ९३·४ फ़ी सदी को जमीन मिल चुकी है । मैं ईस्ट बंगाल के बारे में कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वहां के लिये तो मेरे और भाई हैं वह बतायेंगे । ९३ फ़ी सदी शहरी रिफ्यूजीज (शरणार्थियों) को मकान मिल चुके हैं, एक लाख साठ हजार फ़ैमिलीज को एम्लायमेंट ऐक्सचेंज (सेवा योजनालयों) के जरिये नौकरी मिल चुकी है । करीब ८०,००० को सैंट्रल और प्रावन्शियल गवर्नमेंट में नौकरी मिल चुकी है, एक लाख छप्पन हजार को छोटे क़र्जे दिये गये हैं

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

और नौ, दस हजार को आर० एफ़० ए० के जरिये बड़े लोन्स (ऋण) दिये गये हैं। इस सब को देखने से मालूम होता है कि अब कुछ ज्यादा काम ही बाक़ी नहीं रहा है। जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है कि एब्री थिंग इज़ प्रेटी इन दी गार्डन आफ रिहैबिलिटेशन। उस बयान में आप आयेंगे कि करीब ९०-९५ फी सदी मामला हल हो गया है। अगर इतना काम हो गया है तो मैं समझती हूं कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री (पुनर्वास मंत्रालय) का मामला भी हल हो गया, और वह पांच छः महीने में खत्म हो जायेगी।

इसी रिपोर्ट में बताया गया कि ईस्ट-पाकिस्तान से जो लोग आये हुए हैं उन का भी मामला इतना नहीं तो इस से कुछ ही कम हल हो चुका है। ईस्ट बंगाल के बारे में तो हमारे और भाई बतायेंगे क्योंकि मुझे बहुत पता नहीं है, सिर्फ वैस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज के बारे में जो फिगर्स (आंकड़े) आप ने दिये हैं उन को जब हम रिफ्यूजीज के बीच में पढ़ते हैं तो उन पर इस का क्या रिएक्शन (प्रतिक्रिया) होता है इस को मैं बतलाना चाहती हूं। आप कहते हैं कि ९०–९५ फी सदी मामला हल हो गया है, अगर यहां के मेम्बरान हमारे साथ चलें और मुहल्लों में घूमें तो आप देखेंगे कि रिफ्यूजीज भूखे नंगे अधमरे गलियों और कूंचों में रहते हैं, उन की बहुत खराब हालत है, और बिना दवा दारू के मर रहे हैं। उनकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। आप यह समझिये कि जो कुछ आप कर रहे हैं मैं उस को मिनिमाइज (कम) कर रही हूं। मुझे मालूम है कि मिनिस्ट्री का काम बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा जबर्दस्त काम आप ने किया है। इतना बड़ा काम हल करना मश्किल होता है लेकिन जो आंकड़े हमें बतलाये गये हैं उन को पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई। कल ही आप का बयान निकला है, साथ ही साथ एक दूसरे माननीय मंत्री का बयान उस में था दूसरे सिलसिले में। खाने के सिलसिले में किदवई साहब ने कहा है कि गवर्नमेन्ट के स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) अनरिलायबल (अविश्वसनीय) हैं। अगर उन का कहना ठीक है तो उस ख्याल से तो हमारे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर (पुनर्वास मंत्री) के फिगर्स भी गलत होंगे।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): मेरे यहां तो ठीक हैं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी: मुझे तो मालूम नहीं, दोनों ही गवर्नमेन्ट बैन्चेज पर बैठे हुए हैं, फैसला कर लें। मैं तो सिर्फ कुछ बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाऊंगी। बहुत कुछ हो चुका है यह ठीक है लेकिन बहुत कुछ होनी बाकी है। जो कुछ हमारे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के काम में ऐनोमालीज (अनियमितायें) हैं उन की तरफ भी मैं आप को तवज्जह दिलाना चाहती हूं। पहिले आप लेंरुरल रिहैबिलिटेशन (ग्राम्य-पुनर्वास) को। चार पांच लाख लोगों को पंजाब और पैप्सू में जमीन मिल चुकी है। यह जो जमीन मिली है वह जो जमीन वह लोग छोड़ कर आये हैं उस की ६५ या ७० फीसदी है। लेकिन पंजाब वाले लोग शिकायत करते हैं कि उस जमीन की क्वालिटी (क़िस्म) ठीक नहीं है, और भी शिकायतें हैं, लेकिन तो भी ६५–७० फी सदी को जमीन मिल चुकी हैं। लेकिन जो अनडिवाइडिड प्राविन्सेज (अविभाजित प्रान्तों) हैं, जैसे सिंध, फ्रंटियर और बिलोचिस्तान, वहां के रिफ्यूजियों की तादाद करीब २० लाख है, उस में से ७-८ लाख देहाती आबादी है। उन को जो जमीनें दी गई हैं वह किस हिसाब से? इधर तो लोगों को ६५–७० फी सदी जमीनें मिली हैं और उधर दस, दस एकड़ जमीन दे कर कहते हैं,

कि अब तुम जाओ। और इस तरह से रिफ्यूजी रिफ्यूजी के बीच में भेद किया जाता है, इस को खत्म करना चाहिये। अगर यह बात नहीं है तब तो ठीक है। लोग तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेइन्साफी है, इस के लिये शिकायत करते हैं।

अब आप लीजिये शहरी रिहैबिलिटेशन को। शहरी रिहैबिलिटेशन में ज्यादातर चीज जो आप ने की है वह यह कि लोगों को आप ने मकान दिये हैं और कुछ कर्जे दिये हैं। जो पेटी लोन्स (छोटे ऋण) कहलाते हैं और और जो प्राविन्शल स्कीम (प्रान्तीय योजना) के अन्दर आते हैं। वह कर्जे हैं पचास, साठ, सौ, दो सौ, चार सो, या पांच सौ रुपया। इतने रुपये से आज कल कोई बिजिनेस (व्यापार) नहीं हो सकता है। हां, ठेला चला सकते हैं, छाबड़ियां लगा सकते हैं, रेड़ी वाले हो सकते हैं या सामान ले कर फुट पाथ पर बैठ सकते हैं। आप ने उन लोगों को इतना रुपया देकर एक बहुत बड़ी तादाद खोंचा वालों, छाबड़ी वालों और रेड़ी वालों की बना दी है। और कुछ लोग जो कुछ उतने रुपये से नहीं कर सके वह उसे खा गये हैं। तो यह तो आप का लोन है जिसे आप डैड लोन समझिये। जब मोहनलाल जी सक्सेना यहां पर थे, तो उन के दिल में रिजर्वेशन था, एक मैन्टल रिजर्वेशन उन के दिल में था कि वह जो पेटी लोन्स दे रहे हैं वह वापस नहीं मिलेगा। अब मोहनलाल जी सक्सेना की जगह दूसरे आदमी आ गये हैं अजित प्रसाद जी जैन, वह बड़े होशियार हैं। उन्होंने सोचा कि जो कि डैड लोन है उस का कुछ हिसाब तो लगा लें। उन्होंने उस को अच्छे विनियोग में बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो कम्पेन्सेशन (क्षतिपूर्ति) मिल रहा है उस पूल (संग्रह) पर पहला चार्ज (भार) यह होगा। तो गवर्नमेन्ट का हिसाब किताब यह हुआ कि जो लोन वापस नहीं मिलने वाला था वह अब मिलेगा।

अब आप आर० एफ० ए० को लीजिये। उस की हमें कुछ वाक़फ़ियत है। इस में करीब दस हजार को लोन दिया जा चुका है। उस में आप ने बड़ी सख्त पाबन्दियां लगा रक्खी हैं। जिससे कि लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिया भी जा रहा है। इस पर ६ फी सदी सूद लिया जा रहा है, हालांकि जो पैसा खर्च किया गया है उस से उन रिफ्यूजियों को मदद जरूर मिली है लेकिन वह पैसा सरकार ने हमें इमदाद के तौर पर नहीं दिया। वह तो सरकार इन्वेस्टमेंट (विनियोग) है, जब रकम वापस आयेगी तो सूद भी वापस आयेगा। यह है आप के लोन्स का हिसाब।

अब आप मकानों को लीजिये। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि कुल रकम का ३१·३ फी सदी मकानों पर खर्च किया गया है। कुल १४६ करोड़ का आप का खर्च है। उस में से ३१·३ फी सदी मकानों पर खर्च हुआ। बहुत अच्छी बात है लेकिन मकान मालिक कौन है? हिन्दुस्तान की सरकार। चाहे प्राविन्शल गवर्नमेन्ट या इंडिया गवर्नमेंट। जहां जमीन पड़ी थी उस के आप मालिक बन गये और मकान बनवा लिये। और उस का आप किराया लेने लगे। किराया भी किस हिसाब से चार्ज करते हैं? मकान बनाने का खर्च जैसे आज पी० डब्लू० डी० (जन वास्तु विभाग) करती है १५, १६ फी सदी सुपरविज़न चार्ज (अधीक्षण व्यय) लिया जाता था, अब वह घट कर आठ फी सदी हुआ है। इस के बाद जो कंट्रैक्टर (ठेकेदार) बनाता है, हमारे देशमुख जी का हिसाब है कि २० फी सदी उस कन्ट्रैक्टर

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

के लिये लगाया जाता है इस के बाद कुल पर ६॥ फी सदी लगा कर मकान का किराया लगाया जाता है। सारे रिफ्यूजीज हाय हाय कर रहे हैं कि जो किराया लगाया जा रहा है उसे हम नहीं दे सकते। लेकिन इस से क्या ? आप मकान मालिक हैं इसलिये आप को, सरकार को, हक ज्यादा हासिल है बनिस्बत दूसरे मकान मालिकों के। दूसरे मकानदार को अगर किरायेदार किराया न दे तो वह कोई जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के पास अख्तियार हैं। अगर कोई किराया न दे, बम्बई में आप ने एक ऐक्ट पास किया है मूवमेंट आफ रिफ्यूजीज ऐक्ट रिफ्यूजियों ने इस ऐक्ट को 'गुंडा ऐक्ट' का नाम दिया है। सरकार को हक है कि अगर किसी ने किराया नहीं दिया तो किसी रिफ्यूजी को हटा कर और कहीं डाल दें। किसी मकान मालिक को यह हक़ हासिल नहीं है लेकिन सरकार जो है उस को हर मामले में ज्यादा हक हासिल है।

फिर देखिये कि आप लोगों को खरीदने के लिये माकन देते हैं। इन में से कुछ तो आप आउट राइट सेल (पूर्णक्रय) से देते हैं और कुछ हायर ऐण्ड परचेज सिस्टम (उधार पट्टा) से, पर मैं ने यह गलत कहा कि हायर परचेज से देते हैं। मुझे कहना यह चाहिये कि देते थे। इस से लोगों को कुछ आसानी हो जाती थी। अभी राजेंद्र-नगर के लोगों की यह डिमांड (मांग) थी कि उनका पीरियड (समय) दस साल से बढ़ा कर १५ साल कर दिया जाय। मगर यकायक न मालूम क्यों, न मालूम आप को क्या इन्सपिरेशन हुआ कि आप ने यह हायर परचेज का सिस्टम बन्द कर दिया। उस की वजह से आज रिफ्यूजीज रो रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारे पास आउट राइट परचेज के लिये रुपया नहीं है, हमारे लिये हायर परचेज का सिस्टम कर दिया जाये। हां, दो जिले हैं, दो खुशक़िस्मत जिले हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दिया जाये, जहां अब भी हायर परचेज का सिस्टम जारी है। वह कौन से जिले हैं ? एक तो देहरादून का जिला है और दूसरा सहारनपुर का।

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : यह किस ने कहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। तो यह वह दो खुशकिस्मत जिले हैं, एक डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर का जिला है और एक रिलीफ मिनिस्टर का जिला है। मैं चाहूंगी कि रिफ़्यूजीज़ अपने अपने जिले से एक मिनिस्टर यहां भेज दें ताकि उन की सुनवाई हो जाया करे।

श्री ए० पी० जैन : यह बिलकुल गलत है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : आप ने कहा कि हम ने ९० फी सदी लोगों को मकान दे दिये हैं। मेरे पास कुछ जगह के स्टेटिस-टिक्स (आंकड़े) हैं। सब जगह के तो मैं इकट्ठा नहीं कर सकती। मैंने कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स से कहा कि तुम लोग अपने स्टेटिसटिक्स हम को दो। इन लोगों का बहुत दर्दनाक हाल है। यहां पर एक जगह है किचनर होस्टल। वहां पर कुछ गवर्नमेंट सरवेंट्स को एकोमोडेशन (अधिवास स्थान) दिया गया है। एक आदमी को १०—१० का एक एक कमरा दिया गया है। जहां बड़े बड़े हाल हैं। उन में पारटीशन कर के कमरे बनाये गये हैं। उन में न बाथरूम (स्नानागार) हैं न रसोई घर हैं और न कोई प्राईवेसी (एकान्तता) है और उन मकानों की ज़िन्दगी भी खत्म हो चुकी है उन को तो तोड़ देना चाहिये था। लेकिन यह लोग उन मकानों में बैठे हुये हैं। लेकिन

इनका किराया उन लोगों से उतना ही लिया जाता है जैसे कि यह मकान ठीक हालत में हों । अभी तक जो डिस्प्लेस्ट गवर्नमेंट सरवेंट्स (विस्थापित सरकारी कर्मचारी) को एकोमोडेशन के मामले में प्रायरिटी (प्राथमिकता) मिलती थी यानी यह कि अगर पांच सरकारी मकान खाली हों तो उन में से एक डिस्प्लेस्ड परसन्स (विस्थापित व्यक्तियों)को दिया जाता था वह पिछली फरवरी से वापस ले ली गई है और आज डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सरवेंट्स और दूसरे गवर्नमेंट सरवेंट्स बराबर हैं । आप को यह ख्याल करना चाहिये कि यह डिस्प्लेस्ड परसन्स वापस आने वाले नहीं हैं उनकी यहां पर अपनी कोई जगह नहीं है । अगर आप उन को यकायक हटा देते हैं तो उन के पास कोई जगह नहीं है कि जहां वह जा सकें । जब वह रिटायर हो जाते हैं या रिट्रेंच (छंटनी) हो जाते हैं तो उन के लिये कोई जगह जाने को नहीं होती । तो यह लोग इस बुरी हालत में हैं । आप कहते हैं कि हम ने ९० फी सदी को एकोमोडेशन दे दिया है लेकिन जहां तक इन गवर्नमेंट सरवेंटस का सम्बन्ध है उन को १५ फी सदी एकोमोडेशन मिला है । अगर मैं गलत कहती हूं तो आप मुझे ठीक कर दें ।

श्री ए० पी० जैन: मैं आप को ठीक करना चाहता हूं । जो मैं ने फिगर दिया है उस में यह शामिल नहीं है । यह तो उस ९० फी सदी के अलावा है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : अब एम्पलाइमेंट (नौकरी) का सवाल है । आप कहते हैं कि हम ने २८ हजार आदमियों को निष्क्रान्त दुकानें दी हैं और २१ हजार को नई दुकानें दे दी हैं । ठीक है । इस से बहुतों को मदद मिली है । मगर इस सिलसिले में मैं कुछ बातों की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहती हूं । बहुत सी दुकानें ऐसी जगह दी गई हैं कि जहां पर कोई तिजारत नहीं है । आपने जो इर्विन रोड पर यहां दिल्ली में दुकानें दी हैं उन में कोई बिजनेस (व्यापार) नहीं है । यह तो यहां दिल्ली का किस्सा है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी ऐसी जगहों पर लोगों को दुकानें दी गई हैं कि जहां पर कोई तिजारत ही नहीं है । उन दुकानों में ताले पड़े हुये हैं क्योंकि वहां कोई काम ही नहीं है । इर्विन रोड की जो २९६ दुकानें हैं उन में से पचास साठ फल और सब्जी वालों को छोड़ कर और लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं है और वह लोग कहते हैं कि हमें ऐसी जगह हटा दिया जाये जहां पर कि काम हो । अगर कुछ जगह पर कोई तिजारत है भी, जैसे कि क्वीन्स वे की दुकानों में कुछ काम होता है और वहां लोग कुछ कमा रहे हैं । यहां जो नये नये मिनिस्टर आये हैं वह उन को हटाना चाहते हैं । मेरा मतलब श्री अजित प्रसाद जी से नहीं है, मेरा मतलब दिल्ली राज्य के नये मिनिस्ट्रों से है । यकायक इन लोगों को जोश आता है और यह उन को वहां से हटाना चाहते हैं । इस तरह की रोज बदलने वाली पालिसी ठीक नहीं जिस में इन लोगों को बार बार हटाया जाता है इस से इन का बहुत नुकसान होता है ।

दो तीन दिन पहले एक जलसा हुआ था जिस में श्री मेहर चन्द खन्ना साहब ने कहा कि ५७ हजार लड़कों को हम ने टेक्निकल ट्रेनिंग दी है । लेकिन इस सिलसिले में मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहती हूं । यह जो ५७ हजार लड़कों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है इन में से आज कितने ऐसे हैं जो तिजारत कर सकते हैं और गेनफुल ऐम्प्लाइमेंट (लाभदायक व्यवसायों) में लगे हुए हैं । उन की सब से बड़ी जरूरत यह है कि उन के बनाये हुए सामान का मार्केटिंग किया जाये । यह लड़के कुछ

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

सामान तो तैयार कर लेते हैं पर उन को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है कि यह सामान बिक सके । तो मैं वह फिगर जानना चाहती हूं कि इन ५७ हजार में से कितने लोग गेनफुल एम्पलाइमेंट में लगे हुए हैं । अगर मिनिस्टर साहब अपने जवाब में मुझे यह बता देंगे तो मैं बहुत खुश हूंगी ।

एक और सवाल ऐम्पलाइमेंट के सिलसिले में पूछना चाहती हूं । आप ने कहा कि ८० हज़ार सैंट्रल और प्राविन्शियल गवर्नमेंट और रेलवे ऐम्पलाइज़ को आप ने नौकरी दी । इस सिलसिले में आप से एक बात कहना चाहती हूं । सरदार पटेल ने इन लोगों के लिये दो तीन बार यह डिक्लेरेशन (घोषणा) दिया था । मैं उस को इन लोगों के मैमोरडम (ज्ञापन) में से पढ़ कर सुनाती हूं :

"(क) विस्थापित सरकारी नौकरों को नौकरी देने के विषय में उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बाद प्रधानता दी जायेगी जिन्होंने कि इधर नौकरी करने की इच्छा प्रकट की होगी,

(ख) उन के अवकाश तथा निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी अधिकार-विषयक प्रश्नों का शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा,

(ग) उन्हें तीन मास तक परीक्षणात्मक रूप से कार्य करने के पश्चात् स्थायी कर दिया जायेगा"

मैं यह चाहती हूं कि आप इस की ओर विशेष रूप से ध्यान दें,

"और (घ) सरकार ने अपने वर्तमान कर्मचारियों से जिन्होंने कि उन्हीं वेतन श्रेणियों में अधिक देर तक नौकरी की होगी जो वचन दिये होंगे उन के सिवाय इन्हें तय करने में और कोई बाधा सहन नहीं की जायेगी ।"

यह सब उन का कहना था । अभी तक उन के लिये कुछ नहीं किया गया है, अभी तक उन को कनफर्म (स्थायी) नहीं किया गया है । आज डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की यह हालत है । अगर आज उन को किसी बात में प्रायरिटी (प्राथमिकता) दी जाती है तो सब से पहले रिट्रेंचमेंट (छंटनी) के मामले में । तो यह गवर्नमेंट सरवेंट्स की हालत है जिन को कि आप ने बसाया है । अगर उन को रिटायर (सेवा-निवृत्त) कर दिया जाता है या उन को रिट्रेंच कर दिया जाता है तो उन को कहीं जाने को कोई जगह नहीं मिलती ।

फिर एक बात और है कैबिनट (मंत्रिमंडल) का यह डिसीशन (निर्णय) है कि डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सरवेंट्स की सुपर-एन्युएशन (आयुवार्द्धक्यता) के मामले में कुछ रिलैग्ज़ेशन (रियायत) कर दिया जाय । खास कर अगर साइंटिफिक या टैक-निकल परसोनल (वैज्ञानिक अथवा प्रविधिक कर्मचारियों) का हो अगर उस की तन्दुरुस्ती ठीक हो तो उस को एक्सटेंशन (कार्यकाल विस्तार) दिया जाय । लेकिन मेरे पास एक क़िस्सा है: केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर (अधीक्षण अंजनिक) का जिसको एक्सटेंशन देने के लिये तीन तीन चीफ इंजीनियरों (मुख्य अंजनिकों) ने सिफ़ारिश की लेकिन उस को हटा दिया गया । उस परिवार के पास यहां जाने के लिये कोई जगह नहीं है और वह बहुत तकलीफ में है । अगर काफी लोग इस ढंग से रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उन का गवर्नमेंट की तरफ क्या ऐटीट्यूड (मनो

वृत्ति) रहेगा। और इस से कितना डिस-कंटेंटमेंट (असंतोष) फैलेगा। आप इस तरह से एक असन्तोष का एक केन्द्र बना रहे हैं।

फिर इन लोगों के पोस्टल इंश्योरेंस (डाक बीमा) का सवाल है। उस के बारे में आप को कुछ बताना चाहती हूं। आप ने कहा कि इन लोगों को इस पोस्टल इंश्यो-रेंस में से कुछ इन्टेरिम रिलीफ (अन्तरिम राहत) के तौर पर दिया जायगा। लेकिन आप ने कहा कि यह रिलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जायगा जो कि ३१-३-४८ तक यहां आये हैं। लेकिन सिंध के रिफ्यूजीज़ इस तारीख के बाद आये हैं। अभी तक इन के लिये कुछ नहीं किया गया। जो उन के प्राविडेंट फंड (भविष्य निधि) और लीव एरियर्स (छुट्टी के वेतन) थे उन के बारे में आप ने फैसला किया कि उस का ५० परसेंट आप देंगे क्योंकि इतना ही आप समझते हैं कि पाकिस्तान से मिलेगा। उस का हिसाब इस तरह से है:

भविष्य निधि:

भारत सरकार को देय—६८ लाख।

पाकिस्तान को देय—५१ लाख।

छुट्टी के वेतन:

भारत सरकार को देय—४३ लाख।

पाकिस्तान को देय—४८ लाख।

तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ १·११ करोड़ है और पाकिस्तान की तरफ ९९ लाख है। सिर्फ १२ लाख का फर्क है। तो क्यों न उन लोगों को पूरा सैटिलमेंट (भुगतान) कर दिया जाय। अगर आप ऐसा कर देंगे तो उन को बहुत ज्यादा सहू-लियत हो जायेगी।

अब मैं आखिर में सैटिलमेंट आफ़ क्लेम्स (दावों का भुगतान) के बारे में कहना चाहती हूं। रिफ़्यूजीज यह चाहते हैं कि उन के इस क्लेम्स के मामले को जल्दी तै कर दिया जाये। मुझे इस बात से खुशी है कि इस बार हमारे मिनिस्टर साहब ने यह फ्रैंक ऐडमिशन (स्पष्ट स्वीकरण) कर लिया है कि पाकिस्तान से हम जो भी नैगो-शियेशन (बातचीत) करते हैं उस में वह बाजी मार ले जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। हम उन को मना नहीं सकते। हम जो आफर करते हैं वह उससे इन्कार कर देते हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि यह सैटिलमेंट तो आप को किसी न किसी तरह करना ही है।

आज रिफ्यूजी की सब से बड़ी पुकार इस बात पर है। आज आप बाहर जाइये तो देखेंगे कि वे खड़े हैं और बड़े बड़े प्ले-कार्ड्स लिये हुये हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमारे क्लेम्स का सैटिलमेंट किया जाय। वह चाहते हैं कि उन के क्लेम का सैटिल-मेंट जल्दी से जल्दी हो। चार किस्म की जायदादें हमारी वहां हैं: देहाती जमीनें, नगरीय अचल सम्पत्ति, नगरीय चल सम्पत्ति, और औद्योगिक संस्थायें। ये चार चीजें हैं लेकिन अभी सिर्फ एक ही चीज पर तहकी-कात की गई है यानी अर्बन इम्मूवेबिल (नगरीय अचल) जायदाद की। अगर आप ने सब जायदादों की तहकीकात नहीं की तो यह मालूम नहीं हो सकेगा कि हमारा टोटल क्लेम (पूरा दावा) क्या है। हम को तो यह भी मालूम नहीं है कि अर्बन इम्मूवेबिल का टोटल कितना है और जो मुस्लिम प्रापर्टी आप के हाथ में है उस का क्या टोटल है। पिछली दफा एक सवाल मैं ने पूछा था लेकिन इस का जवाब गोल में दिया गया था और इस को मिस्ट्री (रहस्य) में रखा गया था। तो मैं आज मिनिस्टर साहब से यह कैटोगैरिकल रिप्लाई (स्पष्ट उत्तर) चाहती हूं कि वह बतावें कि क्लेम का

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

योग क्या है। आज लोगों के दिल में शक है और वह समझते हैं कि हम को दसवां हिस्सा मिलेगा तो यह जो असमानता है इस को कैसे पूरा करेंगे। हमें यह साफ साफ बताना चाहिये कि आप इस को कैसे हल करेंगे। क्या सरकार इस को अपनी तरफ से दे कर हल करेगी ? फिर यह सवाल होता है कि आप क्लेम्स को किस ढंग से सेटिल करवायेंगे किस तरीके से सेटिल करवायेंगे ? यह सब से बड़ा सवाल आज रिफ्यूजीज़ के दिल में है जिसे मैं आप के सामने रखती हूं।

मैं तो जो कुछ कहने को है बोल चुकी। मेरी ऐनालिसिस (विश्लेषण) तो सिर्फ यह है कि १४६ करोड़ आप ने रिफ्यूजीज़ पर खर्च किया। उस में से ३१ फी सदी आपने मकानों पर लगाया जो आप का इनवेस्टमेंट (विनियोग) है जिस का रिटर्न (बदल) आप को मिलेगा, २२·८ फीसदी तो आप ने लोन्स (ऋण) में दिये हैं जो आप का इनवेस्टमेंट है और जो कि मय सूद के आप को मिलेगा। बच जाता है ४५ फीसदी। इस ४५ फीसदी में आप लोगों को लाये हैं उस का ट्रांसपोर्ट (यातायात) का खर्चा है कैम्प वगैरह का खर्चा है, डोल्स (सहायता अनुदान) वगैरह आप ने दिया उस का खर्च है और जितने खर्च हैं वे सब शामिल हैं। इस में एक खर्च और शामिल है और वह है वेस्टेज (छीजन) और करप्शन (भ्रष्टाचार) का। तो यह सब खर्च ४५ फीसदी के अन्दर है। अब आप देखें कि रिफ़्यूजीज़ के पल्ले क्या पड़ा है। उस के हाथ में क्या आया वह मैं पूछती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो कुछ खर्च आप का हुआ है वह ज्यादातर आप का इनवेस्टमेंट है और यह न समझना चाहिये कि रिफ्यूजीज़ के ऊपर इस से कोई अहसान हुआ है। आज-कल क्या हालत है आप ने क्या वातावरण पैदा कर दिया है। छोटे ऋण आप देते नहीं, आर० एफ० ए० लोन्स में आप सस्ती लाये हैं। इस बारे में मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के पास प्रतिनिधान किया है, मकान बेचना आप ने बन्द कर दिया। सिर्फ आउट राइट सेल के अलावा मकान नहीं देते हैं, कैम्प वगैरह भी बन्द हो चुके ; कुछ एक दो ईस्ट बंगाल वालों के लिये तो हैं लेकिन इधर नहीं हैं। तो रिफ्यूजीज़ की आज हालत क्या है। जो आज बसे नहीं हैं उन की हालत तो १९४७ से भी बदतर है क्योंकि वे अपने ज़ेवरों को बेच कर खा चुके हैं और मुफलिसी में पड़े हुये हैं। इसलिये आप को इन सब बातों का पूरा खयाल कर के क्लेम्स को जल्दी ही सैटिल करना चाहिये। अगर क्लेम्स नहीं सैटिल कर सकते हैं तो चाहे सरकार कहीं से लाये उन को कुछ न कुछ दे। वे मुफलिसी की हालत में कहां तक रहेंगे। बस मुझे इतना ही कहना था।

पंडित एल० के० मैत्रा (नवद्वीप) : मेरा सदा यह मत रहा है कि कम से कम दो विषयों पर, शरणार्थियों और खाद्य के विषयों पर एक विशेष दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। इस समय मैं शरणार्थियों औरउनके पुनर्वास के विषय पर बोलूंगा। मैं समझता हूं कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और माननीय पुनर्वास मंत्री को भी नैतिक चेतना और सेवा की भावना से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये।

इतना कह कर मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने विभाग में माननीय मंत्री ने जो काम किया है और सफलता की है, वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है। उन के मंत्रालय ने अब तक जो काम किया है मैं उसकी क़द्र

करता हूं। माननीय मंत्री का कहना है कि शरणार्थियों के पुनर्वास पर १४६ करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है और शरणार्थियों की कुल संख्या ७५ लाख है। यदि हिसाब लगाया जाये, तो ज्ञात होगा कि पांच वर्षों म प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ३८ रुपये खर्च किये गये हैं। हमें यह न भूलना चाहिये कि कुछ दिन पूर्व हमने चालू वर्ष के लिये २०० करोड़ रुपये का रक्षा आय-व्ययक पारित किया है। अतः मेरा निवेदन है कि शरणार्थियों पर खर्च की गई इस थोड़ी सी राशि पर हमें आपत्ति नहीं करनी चाहिये, बल्कि हम अधिक व्यय करने के लिये तैयार रहना चाहिये। जहां तक सफलताओं का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह मानना पड़ेगा कि सारी बातों को देखते हुये पश्चिमी पाकिस्तान सें आये हुये शरणार्थियों का पुनर्वास तो अच्छा हुआ है और उन के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं वे काफी संतोषजनक हैं किन्तु मुझे खेद से कहना पड़ता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों के पुनर्वास की स्थिति इतनी संतोषजनक नहीं है। पुस्तिका में जो आंकड़े दिये गये हैं, उन से ज्ञात होता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के ९० प्रतिशत शरणार्थियों के लिये गृहों की व्यवस्था कर दी गई है और ६४ प्रतिशत ग्रामीण शरणार्थियों को भूमि पर फिर बसा दिया गया है। सरकार ने गृह निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम ज़ारी कर के फरीदाबाद, गांधीधाम, राजपुरा आदि १० बस्तियां बसा दी हैं। यह सब बहुत उल्लेखनीय हैं किन्तु आप इस की तुलना पूर्वी पाकिस्तान के अभागे शरणार्थियों की स्थिति से कीजिये। प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन के बारे में नीति यह है कि उन्हें गृह निर्माण के लिये स्थान और ऋण दे दिये जायें ताकि वे मकान स्वयं बना सकें। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि आप उन लोगों से जो पूर्वी पाकिस्तान में अपना सब कुछ लुटा कर आये हैं, आप के दिये हुये भिक्षा-दान से स्वयं गृह-निर्माण का कार्य आरम्भ करने की आशा कैसे कर सकते हैं ? उन्हें मकान बनाने की सामग्री, सीमेंट, लोहे की चादरें, इंटें, आदि जिन की कमी है और जिन के मूल्य अत्याधिक हैं बिना सहायता के कहां से मिलेगी ? मैं पूछता हूं कि क्या पुनर्वास मंत्रालय के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह पूर्वी क्षेत्र में मंत्रालय का एक विभाग खोले और एक संस्था बनाये जो कि वहां के लोगों के सहयोग से मकानों और दुकानों को बनाने का कार्यक्रम बनाये और क्रियान्वित करे ? यदि ऐसा किया गया होता तो पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये लोगों की स्थिति भिन्न होती। फूलिया और हावड़ा-बेगाची में इन लोगों के लिये जो बस्तियां बनाई गई हैं, वे दिल्ली में और इस के आस पास बनाई गई बस्तियों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

नौकरी की समस्या को लीजिये। प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि सेवा योजनालयों ने अब तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये १,६०,००० शरणार्थियों को काम दिलाया है किन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये केवल २९,००० व्यक्तियों को काम दिलाया है। शरणार्थियों की कुल संख्या ७५ लाख है जिन में से ४९ लाख पश्चिमी पाकिस्तान से और लगभग २५½ लाख पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं। आप इन आंकड़ों से नौकरी के सम्बन्ध में असमानता का अनुमान लगा सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थी नौकरी की खोज में दिल्ली आये थे किन्तु मैं नहीं कह सकता कि उन्हें कोई काम मिला या नहीं।

अब अनुदानों का प्रश्न लीजिये। पश्चिमी पंजाब के शरणार्थियों को कुल ४९,८५,८८,००० रुपये के अनुदान दिये गये हैं और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को १६,४४,५३,००० रुपये के। ऋणों को लीजिये। शरणार्थियों

[पंडित एल० के० मैत्रा]

को कुल ३३ करोड़ ४१ लाख रुपये का ऋण दिया गया है। इस में से २२ करोड़ रुपये पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये लोगों को मिले और पूर्वी पाकिस्तान वालों को केवल १० करोड़ रुपये मिले। लघु ऋण योजना के बारे में मैं यह बतलाना चाहूंगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये १,५६,००० व्यक्तियों के लिये १० करोड़ से कुछ अधिक रुपयों की मंजूरी दी गई थी और उन्हें वस्तुतः उतने ही रुपये अर्थात् ९·९५ करोड़ दे दिये गये। किन्तु पूर्वी बंगाल शरणार्थियों के लिये ४·२५ करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी और यह स्वयं मंत्रालय को भी ज्ञात नहीं कि कितने रुपये वास्तव में वितरित किये गये हैं। इस बात से प्रकट होता है कि मंत्रालय में ठीक काम नहीं हो रहा। क्या पूरे आंकड़े देना उस का कर्तव्य नहीं है या क्या मंत्रालय का यह विचार है कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों से उन का कोई सम्बन्ध ही नहीं है ?

कुछ दिनों से यह देखा गया है कि यहां जब भी कोई सदस्य पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के बारे में बोलता है, अन्य प्रान्तों के माननीय सदस्य उस में रुचि नहीं लेते। वे समझते हैं कि वहां से लोग आने बन्द हो गये हैं। सरकारी अभिकरण द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़ों से भी यह भ्रांति होती है कि पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के प्रव्रजन का अब प्रश्न ही नहीं। मुझे यह देख कर बहुत दुःख होता है। पिछले डेढ़ वर्ष से मैं देखता हूं कि पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को इस सदन ने बिलकुल भुला ही दिया है।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने एक हाल के वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि उस राज्य में २३ लाख से अधिक व्यक्ति आ चुके हैं और अन्य किन्हीं शरणार्थियों को वहां पुनर्वासित नहीं किया जा सकता। अतः मैं सदन से और सदन द्वारा भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि आसाम, बिहार और उड़ीसा के पड़ौसी राज्यों में शरणार्थी जनसंख्या के लिये कोई स्थान निकाला जाये। इस के साथ ही मंत्रालय को अधिक धन देने की व्यवस्था करनी चाहिये और पूर्वी बंगाल से आये हुये शरणार्थियों के लिये पृथक्‌रक्षित राशि का क्षीघ्रता से वितरण करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वे इस समस्या पर अधिक ध्यान दें। और भी लोग आ रहे हैं। उन के लिये धन निकालना ही होगा। और उन्हें यह भी समझ लेना चाहिये कि पूर्वी बंगाल ने पार-पत्र प्रणाली जारी हो जाने से और पद्धतिबद्ध रूप से हिन्दुओं को निकाल देने की नीति के कारण पूर्वी बंगाल से अग्रेतर प्रव्रजन होना अनिवार्य है। आप को उन्हें खपाने के लिये तैयार रहना चाहिये। आप ने अब तक जो काम किया है उस के लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। यदि सरकार की यह धारणा है कि देश के पूर्वी भाग में सब अच्छा है और अब कोई समस्या नहीं है, तो वह भूल कर रही है। मैं माननीय मंत्री से मानवता के नाम से अपील करता हूं कि वे पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये इन अभागे लोगों के पुनर्वास की ओर अधिक ध्यान दें। हमें यह अनुभव करना चाहिये कि पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से आन वाले शरणार्थी हमारे अपने सगे सम्बन्धी हैं और इन के संयुक्त प्रयत्नों ही से हम ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है।

डा० खरे (ग्वालियर) : इस में कोई सन्देह नहीं कि पुनर्वास की यह समस्या एक बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है। विश्व के इतिहास में अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं स्पष्ट रूप से यह कह देना

चाहता हूं कि यह समस्या राजनैतिक शक्ति की लोलुप्ता के कारण उत्पन्न हुई है। विभाजन को स्वीकार कर लेने का कारण भी यही था। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता। उस समय लोगों को, जो बाद में शरणार्थी हो कर इधर आये हैं, यह कहा गया था: 'डटे रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे', किन्तु किया कुछ भी नहीं गया। हमारी सरकार ने उनकी पूरी रक्षा करने का वचन दिया था परन्तु उस नें वह वचन पूरा नहीं किया। वचन भंग करना इस सरकार की एक विशेषता है या यह उसका धर्म है जिस के अनुसार यह चलती है। सरकार का कहना है कि शरणार्थियों की समस्या लगभग हल हो चुकी है। बहुत आश्चर्य की बात है। मैं कहता हूं कि यह जभी हल नहीं हुई और इस का हल अभी करना है। हमारे मंत्री कहते हैं कि निष्क्रांत सम्पत्ति संग्रह के प्रश्न के सम्बन्ध में पाकिस्तान का रवैया मैत्री-पूर्ण नहीं है। मैं उन को बतलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान का रवैया कभी भी मैत्रीपूर्ण नहीं होगा। आप को अपनी नीति बदलनी होगी और ऐसा किये बिना यह समस्या और पाकिस्तान सम्बन्धी अन्य समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। पाकिस्तान की गरमी से और जमीअत-उल-उलेमा ए हिन्द के दबाव से निष्क्रांत सम्पत्ति संग्रह उड़ जायेगा और शेष कुछ भी नहीं रहेगा। मेरी प्रार्थना और वस्तुतः मेरी मंत्रणा यह है कि पाकिस्तान के साथ कठोरता का व्यवहार करो और जैसे को तैसे की नीति अपनाओ। यह समस्या केवल तभी सुलझेगी अन्यथा कभी नहीं सुलझेगी। मैं पंडित मैत्रा से इस बात पर सहमत हूं कि पूर्वी बंगाल में एक और कांड अवश्य होगा। हमें इसके लिये तैयार रहना चाहिये। आप को अपना कार्य समाप्त नहीं करना चाहिये बल्कि अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाना चाहिए और अपने हृदय में दया को कुछ अधिक और अभिमान को कुछ कम स्थान देना चाहिय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती (बसीरहाट): हमें थोड़ा या बहुत यह विश्वास दिलाया जाता है कि पुनर्वास का कार्य बस समाप्त होने वाला है, पूर्वी पाकिस्तान के बारे में यह कहा गया है कि शरणार्थियों की संख्या २५ लाख है। परन्तु जन संख्या के आंकड़ों के आधार पर भी हम यह नहीं मान सकते कि इन की संख्या केवल २५ लाख है। मैं यह सुझाव दूंगी कि इन की वास्तविक संख्या जानने के लिए एक आयोग नियुक्त करना चाहिये।

जहां तक इस समस्या के हल का सम्बन्ध है, पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के लिए तो कुछ न कुछ किया गया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली में जो झोंपड़ियां बनाई गई हैं, वे मैं ने देखी हैं। वे मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं। मेरे विचार में अभी बहुत कुछ करना शेष है। किन्तु पुर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थियों के लिए तो इस से भी अधिक काम किया जाना है। पूर्वी बंगाल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करनी हो तो सियालदाह जाइये। वहां आप देखेंगे कि स्त्री, पुरुष और बच्चे किस तरह रह रहे है। सियालदाह स्टेशन पर मैं ने एक शरणार्थी स्त्री को खून थूकते देखा है। वह क्षय रोग की रोगी थी परन्तु उस के पास कोई स्थान नहीं था जहां वह जा सकती। काशीपुर के एक पटसन के शेड में एक मार्गस्थ कैम्प था। वहां हम ने देखा कि २० या २५ बच्चे प्रति दिन एक साथ मर जाते हैं और उन के शवों को इकठ्ठा क दिया जाता है। यदि पारपत्र प्रणाली चालू कर दी गई, तो बहुत से लोग आने शुरू हो जायेंगे और सीमान्त क्षेत्रों में फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि शरणार्थी

[श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती]

कैम्पों में लोग भूके मर रहे हैं। मंत्री महोदय के अनुसार २९,००० लोगों को नौकरियां दी गई हैं। इन की संख्या भी बहुत कम है। कहा जाता है कि लोगों को ऋण दिये गये हैं, मकान बनाये गये हैं इत्यादि। परन्तु यदि आप उनकी बस्तियों में जायें तो आप को वहां की भयंकर स्थिति का पता चलेगा और आप देखेंगे कि किस तरह शरणार्थी बच्चे और गर्भवती स्त्रियां भी खून की कमी के कारण और अन्य रोगों के कारण मर रही हैं। मैं इन बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहती। ये सब जानते हैं।

भूमि पर पुनस्संस्थापन को लीजिये। हमें बतलाया गया है कि २ लाख परिवारों को भूमि पर बसाया गया है। परन्तु उन्हें किस प्रकार की भूमि दी गई है? उन्हें अंडेमान और बंगाल से बाहर सलबोनी जैसे स्थानों पर भेजा गया है, जहां कि जल वायु उनके अनुकुल नहीं है। स्वाभाविकतया बहुत से लोग वापस चले आते हैं। माननीय मंत्री का कहना है कि ये लोग सुस्त हैं और काम नहीं करना चाहते। मैं कहती हूं कि यदि इन्हें अवसर दिया जाय और ऐसी भूमि दी जाय जिस के वे आदी हैं, तो आप देखेंगे वे किस तरह अपने प्रयत्नों से अपना जीवन सुधारते हैं।

मछुओं का मामला लीजिये। पूर्वी बंगाल से बहुत से दक्ष मछुए इधर आये हैं परन्तु उन्होंने यहां आ कर देखा है कि सरकार तो गहरे समुद्र के मत्स्यग्रहण को प्रोत्साहन देती है, जिस से कि बहुत अपव्यय होता है, इस के बजाय यदि इन मछुओं को जहाज या नावें दी जायें और मछली पकड़ने का सामान दिया जाये और सरकार ऐसी दुकाने खोले जहां वे इन्हें बेच सकें तो इस से उन्हें पुनर्वासित करने में बहुत सहायता मिलेगी। परन्तु इस प्रकार का कोई पग नहीं उठाया गया।

आप को ज्ञात होगा कि पुर्वी बंगाल से ढाका की मलमल बुनने वाले अच्छे अच्छे बुनकर भी आये हैं। उन की क्या दशा हो रही है। काच की चूड़ियां बनाने वालों का भी धीरे धीरे अन्त हो रहा है। सरकार की सहायता से इन्हें सरकारी आधार पर संगठित करना चाहिये था। बुनकरों को सूत देना चाहिये था और खड्डियां लगाने के लिये उन की सहायता करनी चाहिये थी और सरकार को उन का माल मंडियों में बिकवाने की व्यवस्था करनी चाहिये थी। सरकार द्वारा जो ऋण दिये जाते हैं वे भी इकट्ठा नहीं बल्कि छोटी छोटी किस्तों में दिये जाते हैं। इस का परिणाम यह होता है। कि वे इसे खर्च कर डालते हैं और अन्त में उन के पास कुछ भी नहीं रहता।

कलकत्ता में बांस की बहुत सी दुकानें बना कर भी बहुत सा धन नष्ट किया गया है। उन्हें किसी ने भी किराये पर नहीं लिया क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों में बनाई गई हैं जहां कोई कारबार ही नहीं हैं। लाखों रुपया इस तरह नष्ट किया गया है।

स्त्रियों के कैम्पों में ३८,००० स्त्रियां हैं। जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा एक भी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं चलाया जा रहा। उन्होंने राजपुरा और फ़रीदाबाद के कन्द्रों का उल्लेख किया था जो कि यहां चलाये जा रहे है। किन्तु यहां भी कदाई और पशु-पालन की सिखलाई ऐसी है कि उन्हें निर्वाह के लिए घोर संघर्ष करना पड़ता है। आल-इंडिया वीमेन्ज़ कान्फ्रेन्स जैसी संस्थाओं को हज़ारों रुपये दिये गये हैं जो कि पुनर्वास के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकीं।

यह हमारे पुनर्वास का तरीका है। यदि आप आकलैंड हाउस जायें जहां पर पुनर्वास

विभाग का कार्यालय है, तो आप को सैंकड़ों शरणार्थी बाहर बैठे हुये दिखाई देंगे। परिवार पोषण, घूसखोरी और भ्रष्टाचार का बाज़ार गरम है। स्वयं मंत्रालय को यह ज्ञात नहीं है कि कितनी स्त्रियां काम ढूंढ सकी हैं।

अब मैं कुछ सुझाव दूंगी। पहला सुझाव सहकारी संस्थाओं के बारे में है। हमें न केवल सहकारी संस्थायें बनानी चाहिएं, अपितु प्रशिक्षित व्यक्तियों को साहाय्य भी देने चाहियें। दूसरे, सरकार के अधीन एक मार्केटिंग बोर्ड (विक्रय पर्षद्) होना चाहिये। इसके बिना पुनर्वास के विषय में आत्म निर्भरता प्राप्त नहीं की जा सकती।

स्त्रियों के पुनर्वास के बारे में मैं यह कहूंगी कि हमें ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करनी चाहियें और उन्हें नर्स बनने की शिक्षा और शिक्षा सेवा सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाई जा सकें। पुनर्वास की फुटकर योजनाओं का व्यय आय-व्ययक में केवल ९४ लाख रुपये है। और यह इसलिये है कि रक्षा का व्यय अत्यधिक है। जब तक इस में कमी नहीं की जायेगी आप को राष्ट्र निर्माण की सेवाओं के लिए और इन लोगों को पुनर्वासित करने के लिए अधिक धन मिल सकेगा। पुर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थी बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी अनुदान भी अवश्य देने चाहिएं। शम्भूनगर के एक ग्रामीण स्कूल को जो कि शरणार्थियों ने बसाया है और जिसको देखने का मुझे अवसर मिला है एक पाई भी अनुदान के रूप में नहीं दी गई। अब मैं सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का उल्लेख करूंगी जिस पर माननीय मंत्री को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। यह प्रश्न बस्तियों को मान्यता प्रदान करने का है। पूर्वी बंगाल से आये हुए लाखों लोगों ने अपनी हिम्मत और पुरुषार्थ से अपने आप को बंगाल के सब जिलों में पुनस्संस्थापित किया है, अपने मकान बनाये हैं, स्कूल बनाये हैं, सड़के बनाई हैं, और सफ़ाई का प्रबन्ध किया है। उनकी बस्तियों को अभिज्ञात करना ही होगा। यदि उन की भूमि के लिये प्रतिकर दिया जाना है, तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, किन्तु इन्हें अभिज्ञात अवश्य करना चाहिये

भूमि को अवाप्ति के बारे में भी मैं एक शब्द कहना चाहूंगी। बड़े बड़े जमीदारों को तो कुछ नहीं कहा जा रहा किन्तु छोटे छोटे भूस्वामियों को जिन में हिन्दू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित हैं बहुत परेशान किया जा रहा है; उन की भूमियां अवाप्त की जा रही हैं और उन्हें जीविका के साधनों से वंचित किया जा रहा है।

पाडत ए० आर० शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, विस्थापितों की जो समस्या है इस के सम्बन्ध में मंत्री महोदय की मांग है वह मांग तो स्वीकार करनी ही चाहिये। और इस सम्बन्ध में जितने कटौती के प्रस्ताव हैं वह सब अस्वीकार होने ही चाहियें इस में तो कोई दो राय हो नहीं सकतीं। मैं यह नहीं समझता हूं कि यह ऐसी समस्या है जिस पर कोई विरोधी दल या सरकारी दल में मतभेद हो सकता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर यह पूरा भवन एक मत हो कर इस विषय पर विचार करेगा कि विस्थापितों की समस्या को कैसे हल किया जाय।

वास्तव में जो रिपोर्ट हमारे सामने है सन् ५१ और ५२ की इस सम्बन्ध में, उस के आंकड़ों को देखने से और जो काम हमारे सामने है उस से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सरकार ने संकट काल में जितना वह कर सकती थी उतना किया

[पंडित ए० आर० शास्त्री]

है और इस के लिये उस को सभी दलों के लोग और सभी व्यक्ति धन्यवाद देते हैं इस में कोई सन्देह नहीं है । किन्तु जब मैं इस विषय पर विचार करता हूं तो मुझ को यह बात अखरती है कि हम ने इस समस्या का समाधान करने का एक सीधा सादा और सस्ता रास्ता निकाल लिया और उस से समस्या के जो जटिल पहलू थे वह सुलझे नहीं उलझते ही गये । जिस समय पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दो देश बने, उस विभाजन के संध्याकाल में २५ लाख विस्थापितों की समस्या हमारे सामने आयी और हम ने निहायत कुशलता से दस बड़े बड़े नगरों को बसा दिया और उस में विस्थापितों को ला कर अच्छी तरह सुखमय जीवन व्यतीत करने को सारी सामग्रियां इकट्ठी कर दी ।

हम ने देखा कि हमारा यह काम उस समस्या को सुलझाने जा रहा है, उस समस्या का समाधान करने जा रहा है । जिस तत्परता से और जिस कुशलता से हम ने एक सुयोग्य सेक्रेटेरियट बनाया और जिस सुयोग्य मंत्री को हम ने इस काम में लगाया उन्होंने अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से चलाया । उजड़े हुये लोगों को फिर से ला कर बसा दिया, किसी को आशा नहीं थी कि इस आसानी से बसा लेंगे । हम बसाते रहे और लोग उजड़ते रहे और फिर हम उन को बसाते रहे । आज पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये लोगों की समस्या समाप्त हो गई है, ऐसा कहा जाता है । लोग आ गये हैं और बस गये हैं और आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हम ने क़र्जा भी दिया, हम ने कुछ ट्रेनिंग भी दी, हम ने ७४-७५ हजार ऐसे बच्चों और बेवाओं को जिन का कोई पुरसांहाल नहीं था संरक्षण दिया, उन को खिला पिला रहे हैं उन में ३८ हजार पश्चिमी पाकिस्तान से और ३६ हजार पूर्वी पाकिस्तान से आये जो ऐसे अनअटैच्ड (बिना सहारे) हैं कि उन का कोई पुरसांहाल नहीं है, न आसमान में और न जमीन में । लेकिन हमारी सरकार ने उन को संरक्षण दिया । "जिस को न दे मौला उस को दे आसफ़उद्दौला" जिस को कोई नहीं दे रहा है उस को हमारी सरकार खिला रही है । इसलिये यह सरकार उस के लिये बधाई की पात्र है ; लेकिन यह जो हम ने हल निकाला यह हल क्या उस समस्या का समाधान करता है । इस से जो लोग उजाड़ रहे हैं उन को उजाड़ते रहने का प्रोत्साहन मिलता है । बीमारी जहां है वहां उस के रोकन की व्यवस्था न हो तो आप चाहे उन को महल में बसा दें और चाहे मड़ैया में बसा दें या सड़क में छोड़ दें, वे वैसे के वैसे ही रहेंगे । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान तो इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि रोग का पूरा निदान होना चाहिये, बीमारी की बुनियाद पर जाना चाहिये । वह जो ऊपर के सिस्टम्स (लक्षण) हैं उन को ठीक करने से काम नहीं चलेगा । जो रिपोर्ट है और जो बयान आया है उस को देखने से यह मालूम होता है कि यह समस्या हल हो गई है और अब कुछ हल करने को रहा नहीं है लेकिन स्वर्गीय महात्मा गांधी के यह वचन थे, जो कि मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि विस्थापित अपने घरों में न बस जायेंगे । यह शब्द नोट किये जायें । यदि आवश्यकता हुई तो मेरे पास पुरानी फ़ाइलें पड़ी हैं उन को निकाल कर दिखा दूंगा कि यह बात उन्होंने कही थी और मैं समझता हूं कि वास्तविक निदान यही है और इस रोग की चिकित्सा तलाश करनी

पड़ेगी । पहले पश्चिमी पाकिस्तान से कुछ समस्यायें हमारे सामने आईं, उन का सुलझाव हम ने निकाल लिया । अब पूर्वी पाकिस्तान से समस्या उठी है । रोज पढ़ते हैं कि इतने आदमी आये, अभी निकला है अखबार में कि १,२०० आदमी सियालदह स्टेशन पर पड़े हैं । अब सवाल यह है कि हमारे ऊपर जो इस देश के शासन की जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी किस तरह पूरे तौर पर निभ सकती है अगर इस तरह लोग दूसरे देशों से निकाले जायें और उन के बसा लेने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो जाये । खाली यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने के सवाल पर एक समस्या उठती है और वह समस्या सारे राष्ट्रों की समस्या बन जाती है, राष्ट्र संघ उस पर विचार करता है लेकिन इतनी बड़ी समस्या का समाधान हम ने किया, इस समाधान में हम ने खर्च किया, १ अरब ४६ करोड़ कुछ लाख या कुछ इस से ज्यादा और हम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमारे ग़रीब मुल्क में मुसीबतें आईं, विपत्तियां आईं, विभाजन हुआ और उस विभाजन के साथ यह खूंरेजी हुई, जो लोग निर्दोष थे, बच्चे और अबलायें थीं उन का बध हुआ, इस में उन की कोई भल नहीं थी, भूल राजनीतिक है और हम राजनीतिज्ञों की है । हम बैठे बैठे शासन चला रहे हैं, लेकिन मारे गये निरीह । हम उस समस्या का समाधान पूरा का पूरा अपने ऊपर ले लेते हैं, और उस का उपाय ढूंढते हैं, कुछ दुकानें बना देते हैं, कुछ मकान बना देते हैं और हम समझते हैं कि इस तरह इस समस्या का समाधान हो जायेगा । इस समस्या का समाधान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि जो विस्थापित हैं उन की जो सम्पत्ति पाकिस्तान में रह गई है, लट ली गई है, दबा ली गई है, उस का पूरा पूरा मुआविजा, उस की एक एक पाई क़ीमत जो कि बाजार के मूल्य से होती है, पाकिस्तान न चुकाय और तब तक हमारे ऊपर आर्थिक संकट आयेगा और यह राष्ट्र उस के बोझ से दबेगा और परेशान होगा । तो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का जो विभाग है उस का काम इन लोगों के बसा देने से ही समाप्त नहीं होता, वह काम जारी रहता है और वह जारी रहता है इसलिये कि इस समस्या का पूरा पूरा हल निकाला जाय । जो रिपोर्ट है उस के १२वें पन्ने पर एक जुमला आया है जिस को पढ़ कर मुझे दुख हुआ । ४६वें पैराग्राफ़ में लिखा हुआ है : "पाकिस्तान में अचल सम्पत्ति के बारे में कोई प्रगति न हो सकी । गतिरोध अभी जारी है ।" यह सन् ५२ के मार्च तक की रिपोर्ट है । अब कोई समाधान शायद निकल आया हो मैं नहीं जानता । लेकिन परिस्थिति यह है कि इवैक्यू प्रापर्टी (निष्क्रांत सम्पत्ति) के समाधान का कोई रास्ता निकलता ही नहीं, पाकिस्तान मानता नहीं और हमारी बेबसी है कि हम मना सकते नहीं । फिर हो कैसे ? तो सरकार ने जो किया उस के सम्बन्ध में तो कोई आवाज उठ नहीं सकती । जिस संकट से हम गुजरे उस संकट काल में जो कुछ किया जा सकता था वह किया गया । उन को वहां से लाना, फिर उन को यहां ला कर बसा देना और जीवकोपार्जन के लिये थोड़ा बहुत क़र्ज दे देना ये सब काम तो हम ने किये लेकिन आज जो नम्र निवेदन मैं माननीय मंत्री महोदय से किया चाहता हूं वह यह है कि अभी वह यह न समझ लें कि समस्या का उन्होंने समाधान कर दिया है । वह यह समझें कि जब तक वह विस्थापितों की क्षतिपूर्ति को पूरी तरह से नहीं करा लेते और यही नहीं कि उन की क्षतिपूर्ति करा लें बल्कि जो उन में से पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं, जैसे यहां पर मेव आये

[पंडित ए० आर० शास्त्री]

और आ कर फिर बसे और यह मानवता का एक सब से बड़ा काम है कि हम अपने उजड़े हुये घरों में फिर से बस जायें तब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। "रिहैबिलिटेशन" (पुनर्वास) शब्द का अर्थ यह नहीं है कि एक आदमी अपने घर से उजाड़ दिया जाय तो उस को दूसरी जगह बसा दिया जाय। अगर डिक्शनरी में रिहैबिलिटेशन के यह माने हों तो मैं समझता हूं कि मैं इस का दूसरा अर्थ भी दे सकता हूं। "तर्कों वैऋषिरुक्त" अर्थ तो बुद्धि से दिया जाता है। "रिहैबिलिटेशन के माने फिर से बसाना है लेकिन जिस आशियाने से उजड़े हैं उसी में बसा देना, ये इसके सही अर्थ हैं और इसी में इसकी सार्थकता है। उजड़ आये हमारे दुनीचन्द साहब लाहौर से, एक बड़ा महल छोड़ कर वहां से आ गये और हम ने उन को एक फ्लैट में जगह दे दी तो यह बसाना नहीं हुआ, यह रिहैबिलिटेशन नहीं है, यह रिहैबिलिटेशन है, यह फंसाना है, बसाना नहीं है। यह मेरा नम्र निवेदन है कि हमारा एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को पूरे तौर से हमें अनुभव करना है। हम एक राष्ट्र हैं, हमारे पास शक्ति है और उस शक्ति से हमें विस्थापित लोगों को संरक्षण देना है।

एक बात की ओर मैं सरकार का और ध्यान दिलाना चाहता हूं और अपने उत्तरदायित्व को ठंडे दिल से समझ कर कहता हूं। योल कैम्प को हम ने हटा दिया, उस में से हजार परिवारों को कहीं और बसा दिया। और तीन हजार परिवार कुछ और हैं जिन को बसाने की व्यवस्था करनी है और उन को हटाने में कुछ खर्च हुआ होगा। तो यह क्या कि काश्मीर के रहने वालों को काश्मीर से हटा कर कहीं और बसावें। काश्मीर में तो लोग जाते हैं आबोहवा बदलने लिये, स्वास्थ्य सुधारने के लिये और काश्मीर को लोग पसन्द करते हैं लेकिन काश्मीरी ही काश्मीर में न रहने पाये और वहां से उस को राजस्थान की गर्म हवा में या उत्तर प्रदेश की गर्मी में भेज दिया जाये और काश्मीर के आदमी को बसाने की यह व्यवस्था कर दी जाये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। सरकार ने इस तरफ़ क्यों नहीं ध्यान दिया कि ट्रान्सपोर्ट का खर्च भी कम होता और काश्मीरी को काश्मीर में रहने का स्थान मिलता। उस कैम्प को तोड़ कर उन्होंने बसाने की जो व्यवस्था की है यह मेरी समझ में नहीं आती।

मैं यही नम्र निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस सरकार को धन्यवाद देने का सवाल है, हमारे सामने जो सरकारी आंकड़े हैं और जो इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया और वह भी विशेष परिस्थिति और विशेष संकट के समय में, तो वह इन सब कामों के लिये अवश्य धन्यवाद की पात्र है। मगर किसी दूसरे नव निर्मित राष्ट्र के ऊपर इस तरह की समस्या आ जाती तो वह इस के बोझ से दब कर ही मर जाता। कहां तक वह इस तरह के रोज की समस्याओं को सम्भाल सकता। मगर हमारे राष्ट्र के नेताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से जिस शानदार तरीक़े से इस उलझन को दूर किया और दूर करते जा रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। हम ने इस समस्या को सुलझाने में यू० एन० ओ० (संयुक्त राष्ट्र संघ) से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मांगी और न हम ने कोलम्बो प्लान के मातहत रुपया ले कर इस काम को पूरा किया। हम ने अपने बल पर ही इस सारी समस्या को हल किया। कल हमारे मौलाना साहब नें कहा था कि हमारी जेब खाली है, दिमाग़ खाली नहीं है। बात बिल्कुल सही है। तो हम को इस समस्या

को हल करना है। मगर यह समस्या ऐसी है जिस का समाधान करने में अन्तर्राष्ट्रीय मदद लेनी चाहिये। इस का कारण यह है कि जब कभी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह का झगड़ा शुरू होता है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन जाता है मगर पाकिस्तान इस समस्या को ऐसा रूप दे देता है कि उस का हल निकलना ही मुश्किल हो जाता है। वह इस तरह की मुश्किलात या झगड़े पैदा कर देता है कि जिस तरह से वहां पर जो हमारे आदमी हैं उन के लिये रहना कठिन हो जाये। वह लोग कभी ७ हजार, कभी ८ हजार की टुकड़ियों में इधर आते हैं क्योंकि इन लोगों के लिये पाकिस्तान सरकार ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि वह वहां पर इज्जत के साथ रह ही नहीं सकते हैं।

पहिले यह सारा देश एक था मगर पाकिस्तान के बनने से दो देशों में बंट गया। आज दोनों देश राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो फिर यह काम क्यों राष्ट्र संघ अपने ऊपर नहीं लेता। इस समस्या के समाधान करने में राष्ट्र संघ का हाथ होना चाहिये। क्योंकि इस तरह से उजड़ कर जो लोग हटाये जाते हैं और हमारे देश में आते हैं तो उन को मकान देना और दूसरे तरह की मदद देने की जिम्मेदारी इस राष्ट्र संघ पर होनी चाहिये। जब हम दोनों देशों के दूसरे मामलों को राष्ट्र संघ के अन्तर्गत आने वाले मामले समझते हैं तो इस समस्या को हल करने में क्यों न राष्ट्र संघ सहयोग दे। यह बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई।

हमारे सामने जो तालिका दी गई है उस में १४६ करोड़ की रक़म है जो ७५ लाख रिफ्यूजी पर हम ने खर्च की है। सन् १९४७ से ले कर सन् १९५२ तक जो अप टु डेट (आज तक का) फ़िगर है अगर उस को वर्कआउट (निकाला जाय) किया जाये तो यह मालूम होगा कि ६ वर्ष के अन्दर हम ने हर एक आदमी पर ३३ रुपये के हिसाब से खर्च किया। यह मेरा हिसाब होता है। १४६ करोड़ ७५ लाख हम ने रिफ्यूजियों में बांट दिया तो इस की रक़म २०० से ऊपर होती है जो हम ने ६ वर्ष के अन्दर खर्च की है। यह रक़म हम ने मकान बनाने में, क़र्जा देने में और दूसरी तरह की सहायता देने में खर्च की। मगर हमें सोचना यह है कि क्या हमारा काम खत्म हो गया है। क्या इन दुखित लोगों की सहायता करना अब बाक़ी नहीं रहा। हमारे सारे देश का ४½ अरब रुपये का बजट होता है और हम उस में से काफ़ी रक़म उन लोगों की सहायता में खर्च कर रहे हैं। यह सब बातें सही हैं मगर इस समस्या का पूरा समाधान अभी नहीं हुआ है। अभी हमें काफ़ी इस ओर ध्यान देना है। मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। वह इतिहास में रहेगा। लेकिन तब तक हम अपने कर्तव्य को पूरा नहीं मान सकते जब तक कि इन लोगों को पूरी तरह से और अच्छी तरह से नहीं बसाया जाता है।

अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि अब इस मिनिस्ट्री को समाप्त कर देना चाहिये। मगर मैं कहता हूं कि इस मिनिस्ट्री का काम तो अब शुरू होता है। जो हमारी प्रापर्टी की समस्या है उस को इस ने पूरी तरह से हल करना है। जो लोग चाहते हैं कि उन को बसाया जाय उन को भी हर प्रकार की सहायता करनी है। सब से मुख्य काम इस मिनिस्ट्री को यह करना है कि वह जो हमारा रुपया पाकिस्तान के पास प्रापर्टी का और दूसरा रह गया है वह सब पाई पाई वसूल हो। गवर्नमेंट को इस काम को करने में कोई भी प्रयास बाकी नहीं रखना

[पंडित ए० आर० शास्त्री]

चाहिये । अगर हम ने यह काम नहीं किया तो अब तक जो कुछ हम ने कार्य किया है वह सब व्यर्थ होगा और वह इतिहास में एक उज्ज्वल रिकार्ड नहीं होगा ।

लाला अचित राम (हिसार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन यहां पर रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के सवाल पर विचार किया जा रहा है । कुछ कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) भी पेश हुये हैं । यहां पर जो कट मोशन पेश किये गये हैं वह तो सब रिजैक्ट (अस्वीकार) हो जायेंगे और जो डिमांड (मांग) है वह पास हो जायेगी । यह तो कोई बात नहीं है ।

देखना तो हम को यह है कि आज के दिन में हम कुछ फायदा उठा सकते हैं या नहीं । रिफ्यूजियों को आज के दिन हम किसी तरह का फायदा दिला सकते हैं उन को बसाने के लिये उन के हकूक कायम करने के लिये या उन की दूसरी जो सहूलियतें हैं उन को देने के लिये हम यहां पर कुछ कर सकते हैं या नहीं । आज के दिन में उन की मुश्किलातों को हल करने में कोई रास्ता निकाल सकते हैं या नहीं । अगर इन मुश्किलातों को दूर करने में हम आज के दिन कुछ कामयाब हो गये तो अच्छा होगा नहीं तो हमारे लिये वह दिन किसी तरह से फायदेमन्द साबित नहीं होगा ।

अभी दो दिन हुये कि हमारे मंत्री महोदय ने रेडियो पर रिहैबिलिटेशन के मामले पर एक ब्राडकास्ट किया था । वह बड़ा इंस्ट्रक्टिव (शिक्षाप्रद) था । मैं ने दूसरे दिन अखबारों में उन का ब्राडकास्ट पूरे तौर से पढ़ा । पहिला रिऐक्शन (प्रभाव) जो मुझ पर पड़ा वह यह था कि गवर्नमेंट इंडिया ने रिफ्यूजियों के लिये बहुत काम किया है । मुझे इस से बहुत खुशी हुई और एक खुशी की लहर मेरे अन्दर दौड़ गई और मुझे अच्छा मालूम हुआ । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ९९·३ फ़ी सदी लोगों को देहात के अन्दर जगह मिल गई और काम मिल गया । ९० फी सदी को जो वैस्ट पंजाब से आये थे शहरों के अन्दर जगह मिल गई तीन लाख ३७ हजार आदमी जो ईस्ट बंगाल से आये थे उन को गांवों के अन्दर जगह मिल गई । करीब ३३ करोड़ रुपये का लोन (ऋण) दिया गया । सब से बड़ी खुशी की बात उन के भाषण में मुझे यह मालूम हुई कि ३८००० निराश्रित स्त्रियों को जिन का कोई पुरसां हाल नहीं था उन को आज सरकार खिला रही है । इस के साथ ही साथ वह १६ हजार आदमियों को मेंटेनेंस एलाउन्स (निर्वाह भत्ता) दे रही है । इस के अलावा और भी आंकड़े दिये गये हैं । उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि हमारे २५ लाख आदमियों को, जो शहरों के अन्दर रहते थे, केन्द्र और प्रान्तीय सरकार द्वारा नौकरी दिलाई गई । जब मैं हिसाब लगाने बैठा तो ऐसा मालूम हुआ कि इस में पांच लाख बढ़ गये हैं । खैर यह अच्छा हुआ कि इतने बढ़ गये हैं । जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि २५ लाख आदमियों को काम में लगा दिया यह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया । देखने से यह मालूम होता है कि उस की रिपोर्ट गलत नहीं है । दरहकीकत वह इस काम के लिये मुबारक बाद के हकदार हैं । उन्होंने यह भी बताया कि एक लाख ६० हजार आदमियों को इम्प्लाइमेन्ट एक्सचेंज (सेवा योजनालय) द्वारा नौकरी दिलाई गई । बात बड़ी माकूल है मगर देखना यह है कि जो काम इन लोगों को दिलाया गया वह कितने दिनों के लिये दिलाया गया । आया वह १० दिन के लिये था, २० दिन से

लिये था, एक महीने के लिये था, या एक वर्ष के लिये था। जब तक इस बारे में कोई रोशनी नहीं डाली जाती तब तक पूरी तरह से हाल मालूम नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि क़रीब ५० और ६० हजार आदमियों को मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग सेन्टरों (प्रशिक्षण केन्द्रों) में ट्रेनिंग दी गई। यह सुन कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी हाल में बम्बई गया था और वहां पर मुझे कल्याण कैम्प देखने का मौक़ा मिला। वहा पर वर्क सेंटर (कार्य केन्द्र) हैं और शरणार्थियों को मुख्तलिफ़ क़िस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं ने जब वहां पर पूछा कि यहां से जो ट्रेनिंग कर के जाते हैं उन में से कितनों को नौकरी मिल गई है। तो मुझे जवाब मिला है कि इस चीज के फ़िगर्स हमारे पास बहुत कम हैं। ख़ास तौर से जो औरतें आती हैं उन के फ़िगर्स तो हमारे पास बहुत हीं कम हैं। उन्होंने इस के साथ ही साथ यह भी कहा कि जो औरतें वहां पर ट्रेनिंग के लिये आती हैं वह सिर्फ़ इस वास्ते आती हैं कि ट्रेनिंग के समय जो उन को ३० या ३५ रुपये का वजीफ़ा मिलता है उस को हासिल कर सकें। इस तरह से वह अपना गुजारा चलाने के लिये यहां पर ट्रेनिंग के लिये आती हैं। जब हमारे सामने ५० हजार की फ़िगर्स दी जाती है कि इतने आदमियों को ट्रेनिंग दी गई तो वह एक तरह से व्यर्थ खर्च होता है जब कि उन को यहां से ट्रेनिंग पा कर कोई नौकरी नहीं दिलाई जाती। मैं समझता हूं कि अगर यही तरीक़ा रहा तो इस तरह के ट्रेनिंग सेन्टर न खोले जायें। बल्कि हम को यह देखना चाहिये कि जो आदमी ट्रेनिंग पाता है वह नौकरी पाये और उस का वहां पर काम देखा जाय कि वह तीन महीने और ६ महीने के अन्दर किस तरह का काम करता है। अगर इस तरह से काम किया जाय तब हम कह सकते हैं कि हम ने इतने आदमियों को काम पर लगाया।

इसी तरह से जो फ़िगर्स (आंकड़े) लोन (ऋण) देने के बारे में दिये गये हैं वह भी सत्य नहीं हो सकते। जो फ़िगर्स लोन के बारे में दिये गये हैं उस में बतलाया गया है कि दो लाख ४० हजार आदमियों को लोन दिया गया है। लेकिन लोन कितना दिया गया है वह रक़म नहीं लिखी गई है। आया १० रुपया दिया गया है, या २० रुपया दिया गया है, ५० रुपया दिया गया है, १०० रुपया दिया गया है या इतने हजार रुपये दिये गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने आदमियों को लोन दिया गया है उन के बारे में यह मालूम करना चाहिये था कि उन लोगों ने जो लोन लिया है क्या वह उस से फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं सिर्फ़ लोन देने से ही सरकार का काम पूरा नहीं हो जाता है। जिन लोगों ने लोन लिया है क्या वह अपनी गुजर बसर उस लोन से कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह से जिन को हम ने नौकरी दिलाई है उन के बारे में भी यह मालूम करना होगा कि वह भी अपनी गुजर बसर कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ़ फ़िगर्स के देने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है।

एक बात और है जो बड़ी कन्टेन्शस (विवादग्रस्त) है। जैन साहब ने अपने ब्राडकास्ट में एक बड़े पते की बात कही कि देखना यह है कि रिहैबिलिटेशन जो आप कर रहे हैं उस में डिग्री आफ़ इकानामिक रिकवरी (आर्थिक सुधार का दर्जा) क्या हो। यह बड़ी बात है, बड़ा मसला है जिस का आसानी से कोई जवाब नहीं मिल सकता। लेकिन आप ने यह फ़रमाया और मैं समझता हूं कि वह बड़ी खुशी से इस को क़बूल करेंगे। लेकिन इस डिग्री आफ़ इकानामिक रिकवरी का मतलब क्या है। बात तो सीधी है।

[लाला अचित राम]

यहां पर हिन्दुस्तान के अन्दर लाखों आदमी हैं जिन का बैंक बैलेंस (बैंक खाता) है, एक कारखाना है, दो कारखाने हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं । तो ऐसे आदमियों के लिये इकानामिक रिकवरी का स्टैंडर्ड कैसा बनेगा । एक आदमी ऐसा रहता है जिस के पास लाखों रुपया था । उस के दो चार बच्चे थे जिन को वह हायर ऐजुकेशन (उच्च शिक्षा) देता था और उस का दो हजार रुपये माहवार का खर्चा था । अब वह यहां पर आता है तो उस के लिये कौन सा स्टैंडर्ड आप मुक़र्रर करेंगे । स्टैंडर्ड आफ़ इकानामिक रिकवरी आप क्या रखेंगे । इस वास्ते यह बड़ा टिकलिश क्वेश्चन (विकट समस्या) है । यहां पर अगर कोई इज्म (बाद) आ जाय तब तो और बात है । सोशयलिज्म (समाजवाद) आ जाय, कम्युनिज्म (साम्यवाद) आ जाय तो और बात है । लेकिन जब तक कोई इज्म नहीं आता है और यहां के लोग अपने बच्चों को इंगलैंड में भेजते रहें, अमरीका में भेजते रहें और जब वह यहां आयें तो उन के स्टैंडर्ड आफ़ इकानामिक रिकवरी के लिये कहा जाय तो इस का क्या मतलब होगा, कितने रुपये उस को दिये जायेंगे, कितने पैसे उसे दिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप उस को मामूली तरह से कह दें कि पांच पांच या दस दस रुपये दिये जायेंगे तो यह इन्साफ़ नहीं होगा । इसलिये जब आप इन के रिफ्यजीज के बच्चों को देखते हैं तो यह देखें कि पहले यह किस हालत में थे ।

इसी तरह अब मकान की बात है । उन्हों ने अपने ब्राडकास्ट में कहा कि यह तो नहीं हो सकता कि पैलेशियल बिल्डिंग्स (बड़े बड़े महल) उन को दी जायें । बात बिल्कुल माक़ूल है । पैलेशियल बिल्डिंग तो नही दी जा सकती । लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि एक आदमी है जिस के वहां पर चार बंगले थे, पांच बंगले थे । क्या उस का यह हक़ नहीं है कि कम से कम चार कमरों का मकान जिस में मामूली मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर रहते हैं, उतना बड़ा मकान तो उस को मिल जाय ? किसी के चार बच्चे हैं या पांच बच्चे हैं तो उस को इतनी जगह का मकान तो दें कि जिस में वह रह सके । इस वास्ते आप स्टैंडर्ड आफ़ इकानामिक रिकवरी जो है उस के मुताल्लिक़ सोच समझ कर तय करें । अगर आप फ़ैसला दो महीने में करते हैं, चार महीनें में करते हैं, या साल भर में करते हैं कि यहां की प्रापटी (सम्पत्ति) डिस्ट्रिब्यूट (वितरित) हो जाय तो आप इस के लिये सोच समझ कर तय करें जिस से कि आप ऐसा वक्त आने पर उस के लिये तैयार रहें । इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि आप ने जो एक यह बात स्टडर्ड आफ़ इकानामिक रिकवरी (आर्थिक सुधार का दर्जा) की कही तो इसे समझ कर तय करिये ।

आपने अपने ब्राडकास्ट में यह भी बात कही कि यह कैसे हो सकता है, न तो यह प्रैक्टिकेबुल (व्यावहारिक) है और न मुमकिन है कि ऐसे हालात आगे आ रहे हैं । उन के मुताबिक़ उन को पूरा कम्पन्सेशन (प्रतिकर) दे दें । बात बड़ी माक़ूल कही कि हालात ऐसे आ रहे हैं लेकिन अभी आये तो नहीं हैं । जब आ जायें तो सोचियेगा । आप ने पहले ही सोच लिया । आप पर तो यह हालात आवेंगे नहीं । आप का तो बंगला वैसे ही बना रहेगा, आप का मकान वैसे ही रहेगा । और आपका बैंक बैलेंस भी वैसे ही रहेगा, आप कह रहे हैं कि हालात आ रहे हैं, लेकिन किन के लिये, उन के लियें । खुदा के लिये ऐसी इम्प्रैक्टिकेबुल (अव्यावहारिक) बात न करो । कहिये कि तुम भागें

हुये हो, ग़रीब हो, तो थोड़ा आप दे दें। लेकिन हमारे पास तो सब चीजें वैसे ही रहें, लेकिन जो वापस आ चुके हैं उन के लिये हालात आगे आ रहे हैं। जहां तक इकनामिक रिकवरी का सवाल है, हालात आगे आ रहे हैं। मकान के लिये आप कहते हैं कि अगर पांच बच्चे हैं तो एक मकान मिलेगा। अगर छः होंगे तो इस बात को आप सोचेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह चीज इस के अन्दर फिट इन नहीं होती। हालात आयेंगे तो सब के लिये आवेंगे, रिफ्यूजीज के लिये ही नहीं आवेंगे।

दूसरा मसला जो कम्पन्सेशन (क्षति-पूर्ति) का है, उस के मुताल्लिक़ मैं दो मिनट में रोशनी डालना चाहता हूं। इस मसले की बुनियाद क्या है, जड़ क्या है। जड़ यह है कि आप को पता ही है कि सन् ४७ के अन्दर, जैसा और भाई कह चुके हैं उन का मैं इख्तिलाफ़ करूं, या ताईद करूं, लेकिन यह बात साफ़ है, कि यह पार्टी-शन (विभाजन) का नतीजा था। पार्टीशन के साथ एक बात का अफ़सोस गवर्नमेंटों को जो हुआ वह यह था कि जो आदमी चले गये हैं वह हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ गये हैं। हिन्दुस्तान से जो मुसलमान गये हैं वह हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ गये हैं और इसी तरह से पाकिस्तान से जो हिन्दू गये हैं वह हमारी मरजी के ख़िलाफ़ गये हैं। यह दोनों गवर्न-मेंटों ने कहा। लेकिन इस का हल क्या हो। इस का हल उन्हों ने यह किया कि उन्होंने एक एग्रीमेंट (समझौता) साइन (हस्ताक्षर) किया कि जो प्रापर्टी वहां के हिन्दुओं की है उस के मालिक हिन्दू रहेंगे, टाइटल (अधिकार) उन की रहेगी, और जो प्रापर्टी यहां मुसलमानों की है, उस के मालिक मुसलमान रहेंगे। बड़ी माक़ूल बात थी और यह एक फ़ण्डामेन्टल (मौलिक) बात थी। इस बात को तय कर दिया कि जो प्रापर्टी हिन्दुओं की पाकिस्तान में है उस के मालिक हिन्दू रहेंगे चाहे वे रहते यहां हों और इसी तरह जो प्रापर्टी मुसलमानों की यहां हिन्दुस्तान में है उस के मालिक मुसलमान रहेंगे चाहे वह पाकिस्तान में रहते हों। चाहे मेहरचन्द खन्ना साहब यहां रहें, लेकिन मालिक आप रहेंगे सीमा प्रान्त में और चाहे अब्दुल क़य्यूम साहब या और कोई साहब, मिस्टर लियाकत अली खां साहब जो गुजर गये चाहे रहें वहां पाकिस्तान में लेकिन जायदाद के वह मालिक रहेंगे यहां। अब इस के बाद यह तय हुआ कि जो प्रापर्टी है उस का रैंट (किराया) कलैक्ट (इकट्ठा) रहेगा। वह वहां पाकिस्तान में कलैक्ट करेंगे और हम यहां हिन्दुस्तान में कलैक्ट करेंगे। ख़ैर हमें कुछ तसल्ली हुई कि चलो रैंट कलेक्ट होगा और हम को मलता रहेगा। लेकिन इस के बाद क्या हुआ ? जो इस का अमल हुआ उस में यह हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने तो वाक़ई में रैंट लेना शुरू कर दिया क्यों कि :

"रघुकुल रीति सदा चलि आई
प्राण जाहिं पर वचन न जाई।"

वचन नहीं जाय, इस लिये यह सरकार तो रियलाइज (वसूल) करती थी। तमाम हिन्दू-स्तान के रिफ्यूजीज से रेंट कलेक्ट होना शुरू हो गया और रैंट इकट्ठा हो रहा है। लेकिन उधर से क्या हुआ ? उधर सारा रैंट माफ है। अब मुआहिदा है लेकिन आप करें क्या ? आप इस को वहां से रियलाइज़ कैसे करें ? यहां से रियलाइज़ करना तो आसान है, आप जानते हैं यह तो भगोड़े हैं, ऐसी बातें करते हैं, इन से रैंट (किराया) इकट्ठा किये जाओ।

मुझे बड़ा तरस आया जब जैन साहब का मैं ने ब्राडकास्ट सुना। उन्होंने कहा कि हालांकि हम को बहुत मायूसी हुई है लेकिन

[लाला अचिंत राम]

हम ने फिर भी पाकिस्तान से कहा है कि हम आप के घर से नहीं जावेंगे । बावजूद मायूसी के हम आप से बात करते रहते हैं । उन्हों ने कहा कि पाकिस्तान का एटीट्यूड (रवैया) इन्ट्रान्सीजेन्ट (दुराग्रही) था और पाकिस्तान से किसी बात की आशा ही नहीं है । अब खयाल कीजिये कि वह कौन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं । इस वक्त यह लफ्ज गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया इस्तेमाल कर रही है और इस्तेमाल करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई पार्लियामेण्ट का मामूली मैम्बर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया का मिनिस्टर यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है । तो यह उन्होंने कहा । अब उस का हल क्या है ? आप को मालूम है कि पिछले साल गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने क्या किया ? जब पाकिस्तान गवर्नमेण्ट ने अपनी फौजों को मुआहिदे के खिलाफ ज़रा सीमान्त की तरफ मूव (चलाई) किया तो पंडित जी ने कहा कि ख्याल रखो अगर तुम ने मुआहिदा तोड़ा तो वह काश्मीर की ही लड़ाई नहीं होगी, वह हिन्दुस्तान की लड़ाई होगी । वह एक चन्द अल्फाज का बयान था । उस का असर क्या हुआ ? पाकिस्तान की तमाम फौजें भाग गईं और मामला हल हो गया । तो मैं पूछता हूं कि ऐसा बयान करने की क्या जरूरत थी । काश्मीर हिन्दुस्तान में तो नहीं है । अगर पाकिस्तान की फौजें वहां जातीं तो काश्मीर के खिलाफ लड़ाई होती, हिन्दुस्तान के खिलाफ तो लड़ाई नहीं होती । फिर आपने क्यों ऐसा एलान कर दिया ? काश्मीर में उन की फौजें जातीं तो आप भी वहां अपनी फौजें भेजते, वहां लड़ाई लड़ते । लेकिन ऐसा ऐलान क्यों किया, आखिर इसकी आप की क्या जरूरत पड़ी ? यह इस लिये पड़ी कि उस की बुनियाद के पीछे यह बात है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा । और वायदा तोड़ने को हम बरदाश्त नहीं कर सकते । इसलिये यह ऐलान निकला और मामला एक दम खत्म हो गया । यही बात आप अब कह दें । उन्हें बतला दें कि आप कसे वादे तोड़ रहे हैं । वह तो हम से बात ही नहीं करते हैं । हम जाते हैं और वह मुंह फेर लेते हैं । हम उन के दरवाजे पर जाते हैं और इस को साल, दो साल, चार साल हो गये, लेकिन वह बात ही नहीं करते ।

फिर इस के ऊपर देखिये कि पाकिस्तान में पासपोर्ट (पार पत्र) का तरीका जारी हो गया । इस की गरज क्या है ? गरज यह है कि आप के आदमी वहां जा कर किराया वगैरह वसूल न कर सकें और जायदाद पर पाकिस्तान का कब्जा रहे । फिर आप ने अभी अखबारात में देखा होगा कि पाकिस्तान ने इस बात की इजाजत रोक दी है कि आपके हवाई जहाज पाकिस्तान में गुजर सकें । और यह वह एरिया (क्षेत्र) है जहां ईरान के हवाई जहाज चल सकते हैं । यह नहीं है कि वह एरिया सब के लिये बंद किया गया है, सिर्फ हिन्दुस्तान के लिये बन्द किया गया है । आप के हवाई जहाजों की यह हालत है, इवेक्यूई प्रापर्टी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) की यह हालत है, पासपोर्ट सिस्टम चल रहा है । तो इस तरह की एटीट्यूड का तो मैं अर्ज करना चाहता हूं जवाब वही है जो कि पिछले साल आप ने उस मामले में दिया था । वह जवाब क्या है ? मैं नहीं कहता कि लड़ाई हो । लेकिन इस के जबाब के लिये मैं बताता हूं कि आप इस वक्त कैनाल वाटर (नहर का पानी) पाकिस्तान को दे रहे हैं । अभी अभी मसला आया कि पानी आप क्यों देते हो । पानी इस लिये देते हैं कि वहां फ़सल पैदा होगी । लायलपुर में और मांटगुमरी में अनाज पैदा होगा और

उस का जो रुपया आवेगा उस में से आप को वह कम्पन्सेशन दे देंगे । हम ने कहा, बड़ी माक़ूल बात है और हम ने पानी देना जारी रखा । हम उन को पानी दे रहे हैं और इस को आज पांच साल हो गये । लेकिन इन पांच साल के बाद हालत क्या है ? हालत यह है कि पानी भी गया और पैसा भी गया ।

यह आप ने सौदा किया और हमारा पानी वहां पाकिस्तान को दिया जिस से वहां उन की फसलें पैदा हो रही हैं । एक ऐक्सपर्ट (विशेषज्ञ) ने मुझे बताया कि अगर हम पाकिस्तान को पानी देना बन्द कर दें और उस की सप्लाई रोक ली जाय और वह पानी हम अगर हिन्दुस्तान में गुरुदासपुर वगैरह में दें तो उस से सौ करोड रुपये साल की आमदनी हो सकती है और अगर पानी मिलता रहे तो दस, बारह वर्ष में हम अपना घाटा पूरा कर सकते हैं । लेकिन पानी कौन बन्द करे और उस के लिये किस से कहिये ? सन् १९५० में जब ईस्ट बंगाल से आदमी वहां भाग भाग कर आ रहे थे, तो हम घबरा रहे थे कि आखिर इस का क्या हश्र होने वाला ह, लेकिन उस समय जो इण्डो-पाकिस्तान ऐग्रीमेण्ट (भारत-पाकिस्तान समझौता) नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ, हालांकि मुझे उस की सफलता में सन्देह था, तो भी मैं यह देख कर बड़ा खुश हुआ कि पण्डित जी ने वह ऐग्रीमेण्ट बड़ी होशियारी से किया और मैं इस बात का कायल हो गया कि मेरा सन्देह गलत था और पण्डित जी ठीक थे । मैं ख्वाहिशमन्द हूं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपसी ताल्लुक़ात बेहतर हों, ताकि हमारे शरणार्थी भाई वहां से थोड़ा बहुत अपना माल यहां पर ला सकें । अब भी मैं कहता हूं कि पानी बन्द न कीजिये और इस मसले का कोई हल निकालने की कोशिश की जाये और अगर इस मसले का हल निलकता है, तो बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन अगर बावजूद तमाम कोशिशों के कोई हल नहीं निकलता है तो आप नहरों का पानी पाकिस्तान को देना बन्द करें और उस वक्त तक सप्लाई बन्द रक्खें जब तक कि पाकिस्तान ठीक रास्ते पर नहीं आता और सुलह की बात नहीं करता । अब यह कहना और डरना कि यह मामला इंटरनेशनल चला जायेगा बेकार है । अगर यू० एन० ओ० (संयुक्त राष्ट्र संघ) में यह पानी का भी मामला चला जाय तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यह कौन सी इन्साफ की बात है कि हमारा वह अरबों रुपया मारे हुए बैठे हैं और ऊपर से पानी भी सम्हाले हुए बैठे हैं, आखिर हम ने क्या गुनाह किया है ? मैं समझता हूं कि अगर आप इन लोगों के लिये गेनफुल आकुपेशन (लाभप्रद व्यवसाय) का इन्तजाम कर दें, तो आज जो इतनी बहस हुई है उस का वाकई में फायदा होगा । पाकिस्तान से जो मेरे भाई आये हैं उन की बुरी हालत है । पाकिस्तान वालों ने कहा कि अकलियत वालों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट (समान बर्ताव) होगा, लेकिन उन्होंने ईस्ट बंगाल में कहा कि हम ज्वाइंट इलैक्ट्रेट (संयुक्त निर्वाचन) नहीं चाहते और वहां सेप्रेट इलैक्ट्रेट (प्रथक निर्वाचन) जारी किया । मैं पूछता हूं कि यह ईस्ट बंगाल के हिन्दुओं के साथ कौन सा इन्साफ किया गया है ? इस का नतीजा यह हुआ कि आज वहां से हिन्दू निकल कर यहां भाग भाग कर आ रहे हैं । इन तमाम बातों को देखते हुए एक ही रास्ता है कि आप अपनी पालिसी को साफ कीजिये और लाजिकल (युक्तिसंगत) कीजिये । आप इस मामले पर पाकिस्तान से कोई सुलह कर सकें तो, बहुत बेहतर है वरना कम से कम हमारी चीज हमारे पास रहने दी जाये । गवर्नमेंट ने वायदा किया और पंडित जी ने कहा

[लाला अचिंत राम]

कि हम रिफ्यूजीज़ को जितना हमारे फाइनेन्शियल रिसोरसेज (वित्तीय संसाधन) इजाजत देंगे कम्पेन्सेशन देंगे। बिल्कुल माकूल बात है, आप भले ही उन को एक मुश्त न दें लेकिन जैसे आप ने अमरीका के साथ किश्तों में अदायगी का इन्तजाम किया है, हमारे साथ भी कर लीजिये और अगर आप के पास इस वक्त सारा रुपया देने को नहीं है, तो उस को दो चार साल में दे दीजिये, लेकिन पहला इन्स्टालमेंट ज्यादा दीजिये। पहली किश्त अधिक और तुरन्त देनी चाहिये। किश्त देने के बाद चार, पांच वर्ष तक किश्तों में थोड़ा बहुत देते रहिये और मैं समझता हूं कि अगर हम इस प्राबलम को एक प्रैक्टिकल प्वाइण्ट आफ व्यू से हल करने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे।

१२ मध्याह्न

श्री एस० सी० देव (कचार—लुशाई पहाड़ियां): मैं कचार और लुशाई पहाड़ियों का—देश के एक ऐसे भाग का जो कि पाकिस्तान की सीमा पर है—प्रतिनिधि बन कर आया हूं। यह सत्य है कि कचार जिले में पुनर्वास का कार्य केन्द्र ने संभाल लिया है और कई समस्यायें इस लिए पैदा होती हैं क्योंकि राज्य सरकार का इस मामले में कोई हाथ नहीं रहता। पुनर्बास की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि इस काम में राज्य सरकार भाग न ले। हमारे अधिकांश लोग कृषक हैं और उन्हें राज्य सरकार ही भूमि दे सकती है।

हमारे मंत्री जी का कहना है कि पुनर्वास का मामला लगभग समाप्त हो चुका है। किन्तु मेरा निवेदन है कि यह अभी वैसे का वैसा ही है। यदि यह समस्या हल हो गई होती तो दुहालिया पहाड़ी और मैजग्राम बस्तियों से लोगों के भुखमरी से मरने के समाचार न आते। सारे क्षेत्र के लिए एक निश्चित योजना बनानी चाहिये किन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया।

आप को ज्ञात होगा कि पुनर्वास कार्यालय का एक विभाग कलकत्ता में है। सिलचर में जो कि कचार का प्रधान कार्यालय है, एक नियंत्रक है, जिसे कलकत्ता के कार्यालय द्वारा जारी किये नीति के आदेशों का पालन करना पड़ता है। किन्तु राज्य सरकार की उपस्थिति के बिना वहां क्या काम हो सकता है? जब तक वह स्वयं रुचि न लेगी सरकार का रुपया नष्ट होता रहेगा। सब से आवश्यक बात यह है कि प्रत्येक परिवार को कृषि भूमि देनी चाहिये और इस के लिये राज्य सरकार को इस मामले में रुचि लेनी ही पड़ेगी। मैं ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों से बात चीत की थी किन्तु उन सब ने कहा था कि उन्हें प्रबन्ध के बारे में अधिक आशा नहीं है। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है। मेरी राय में जब तक सारे मामले पर पुनर्विचार न किया जायेगा और नई योजनायें न बनाई जायेंगी यह समस्या बनी रहेगी।

वहां निराश्रितों का एक कैम्प है किन्तु उस में रहने वालों के लिये नहाने का पानी नहीं है। संभवतः कोई पाखाने भी नहीं हैं, और उन के गन्दे मकानों के गिरने की संभावना है। सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि केवल ५० प्रतिशत विस्थापित विद्यार्थियो को सहायता दी जाये, अधिक को नहीं। नियंत्रक महोदय कृपा करके मुझे उस क्षेत्र में ले गये थे। मैं ने देखा कि स्थानीय पदाधिकारी उन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते थे। मैं ने एक पदाधिकारी से पूछा कि परामर्शदात्री समिति के सदस्य कौन कौन हैं। उस ने निराशा प्रकट करते हुए कहा कि कोई परामर्श नहीं लिया जाता क्योंकि इस की परवा नहीं की जाती है। मैं पूछता हूं कि

इस स्थिति में मंत्रणा समिति रखने का लाभ ही क्या है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सब बातों पर विचार करें और देखें कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति कार्यान्वित की जाये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : पहला प्रश्न जो कि मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं यह है : जहां तक शरणार्थियों के पुनर्वास का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने केवल एक जिले का दायित्वभार क्यों लिया है? उन्हों ने सारे आसाम राज्य का दायित्व भार क्यों नहीं संभाला? क्या इस लिए कि कचार में बंगाली भाषी जनसंख्या है? कचार के जिले में भी पुनर्वास का कार्य बिल्कुल असंतोषजनक रहा है। प्रतिदिन उस क्षेत्र से तारें आती हैं, विशेष कर करीमगंज विभाग से। मैं आसाम के उस भाग में शरणार्थियों की दशा पर ज़ोर देना चाहता हूं जहां पुनर्वास कार्य प्रत्यक्षतः आसाम सरकार द्वारा किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे सोचें कि पिछले चन्द वर्षों में उन्हों ने या उन के पूर्वाधिकारी ने क्या कुछ किया है। उस क्षेत्र में जिसे आसाम धाटी जिले कहा जाता है शरणार्थियों को कुल कितना ऋण दिया गया है? राज्य सरकार को ५००० रुपये तक के ऋण देने का अधिकार है। कितने मामलों में ५००० रूपये की राशि की मंजूरी दी गई है और स्वयं वित्त प्रशासन कितने मामलों में आसाम के शरणार्थियों को ऋण दे सकी है? कितने शरणार्थी विद्यार्थियों को पुस्तकों का ऋण दिया गया है? मेरे विचार से उत्तर बिल्कुल ही नकारात्मक होगा। उन शिक्षित युवकों के लिए जो शरणार्थी परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं, नौकरी की क्या व्यवस्था की जा रही है। आसाम के पुनर्वास कार्यालय में कुछ निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों की आवश्यकता थी। इन रिक्तियों को भरने की तो बात ही क्या, वर्तमान कर्मचारियों को भी छंटनी में लाया गया है। इन शिक्षित युवकों के लिये क्या किया जा रहा है? क्या उन्हें कोई औद्योगिक कार्य शुरू करने के लिए कोई औद्योगिक ऋण दिया गया है? इस का उत्तर भी नहीं में है? क्या उन्हें मैट्री-कुलेशन के बाद कालज की शिक्षा के लिए कोई सुविधायें दी गई हैं? क्या इन शरणार्थियों को कृषि के लिये भूमि दी गई है? कहा जाता है कि आसाम राज्य में पर्याप्त भूमि नहीं है। हम माने लेते हैं कि शरणार्थियों को बसाने के लिए राज्य की भूमि नहीं है किन्तु क्या निजी भूमि भी नहीं है? मैं जानता हूं कि निजी भूमि मिल सकती है। भारत सरकार ऐसी भूमि क्या नहीं खरीदती और शरणार्थियों को वहां क्यों नहीं बसाती। वे किश्तों में इस भूमि का मूल्य देने के लिए तैयार हैं। इस दिशा म पद क्यों नहीं उठाये जाते?

वित्त प्रशसन की नीति है कि जब तक शरणार्थी बस्तियों में न रहें उन्हें ऋण नहीं दिया जा सकता। परन्तु कितनी बस्तियां बनाई गई हैं? मैं ने एक स्थान देखा है जहां पर एक बस्ती बनाई जानी थी। मुझे आश्चर्य है कि मंत्री महोदय ने आसाम में ऐसी भूमि क्यों नहीं चुनी है जो कि बिल्कुल पानी के अन्दर डूबी हुई है। इस में कृषि करने के लिए तीन वर्ष लगेंगे और बस्ती बनाने के लिए तीन वर्ष और लगेंगे। इस समय एक एक छोटे कमरे में ३० या ४० व्यक्ति रह रहे हैं और सफ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं। परिणाम यह है कि न केवल उन के अपने स्वास्थ्य को अपितु उन के पड़ोसियों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंच रही है। वर्ष के इस समय आप देखेंगे कि प्रत्येक शरणार्थी गृह में लोग टाइफ़ाइड और पेचिश से पीड़ित हैं। उन पड़ौसियों को भी जो कि शरणार्थी नहीं है इन रोगों का खतरा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे आसाम के शरणार्थियों

[श्री आर० के० चौधरी]

की स्थिति स्वयं जा कर देखें—वे कैसे रह रहे हैं, क्या खाते हैं, उनकी स्त्रियों के पास कितनी साड़ियां ह और उन के शरणार्थी नवयुवक क्या काम करते हैं ? इस समय अधिकतम ऋण २५०० रुपये का है। किन्तु औसत ऋण ३०० या ४०० रुपये दिया जाता है। इस राशि के साथ कोई व्यक्ति क्या कारबार कर सकता है ? इन छोटे छोटे ऋणों से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि यह धन जीवन की आवश्यक वस्तुयें खरीदने पर ही खर्च कर दिया जाता है। यह कोई अत्युक्ति नहीं है। कृपा कर के उन्हें काम दिलाइये, उन्हें मानवों की तरह रहने के लिये स्थान दीजिये, सफ़ाई का और बीमारी के समय उन की चिकित्सा का प्रबन्ध कीजिये। अन्यथा न केवल शरणार्थी ही मरेंगे बल्कि वे लोग भी जो शरणार्थी नहीं हैं और जिन्हों न उन्हें शरण दिया है, मरेंगे।

ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि हम आसामी शरणार्थियों के विरोधी हैं। हम और पूर्वी बंगाल से आये हुए शरणार्थी एक ही हैं। हमारी भाषा, वेश-भूषा, खाद्य एक ही है। उन के और हमारे बीच कोई भेद नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : राष्ट्रपति के दो अधिभाषणों में पुनर्वास की समस्या का कोई उल्लेख नहीं था और इस से प्रतीत होता है कि सरकार समझती है कि यह समस्या हल हो चुकी है। दो दिन पूर्व माननीय मंत्री ने भी अपने भाषण में यह कहा था कि इस अवस्था पर अधिकांस विस्थापित व्यक्तियों ने अपने आप को नई परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है और अब वे देश के आर्थिक विकास में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु मेरी धारणा यह है कि शरणार्थी अभी पुनर्वास से कोसों दूर हैं, उन का एक बड़ा भाग पहले से भी बुरी हालत में है और उन में से बहुत से भौतिक एव नैतिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। बहुत गर्व के साथ कहा गया है कि सरकार ने शरणार्थियों पर १४६ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरीके से यह धन व्यय किया गया है, उस तरीके से यदि राशि दस गुना भी कर दी जाये, तो भी शरणार्थी पुनर्वासित नहीं हो सकेंगे। और वास्तव में यह राशि शरणार्थियों पर व्यय नहीं हुई है। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि ३३·४१ करोड़ रुपये तो ऋणों के रूप में हैं जिन्हें ६ प्रतिशत सूद के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ४६ करोड़ रुपये जो कि गृह निर्माण पर व्यय किये गये हैं, ६ प्रतिशत सूद के साथ पुनः प्राप्त किये जा सकते हैं।

६९ करोड़ रुपये राज्यों को अनुदानों के रूप में दिये गये है और यह राशि भी राज्योंने अन्य कुछ संसाधनों की सहायता से शरणार्थियों को ऋणों और तकावी आदि में दी है।

श्री ए० पी० जैन : ये अनुदान इस रूप में नहीं दिये गये।

सरदार हुक्म सिंह : निस्संदेह यह राशि राज्यों को अनुदानों के रूप में दी गई है परन्तु राज्यों नें इस का किस तरह प्रयोग किया है ? उन्हों ने इस राशि के कुछ भाग को ऋणों के रूप में बांट दिया है। यदि इस राशि का आधा भाग भी अनुदान समझ लिया जाये तो कुल राशि, जो कि पुनः प्राप्त की जा सकती है, १०० करोड़ रुपये हो जाती है। शेष ४६ करोड़ रुपये रह जाते हैं और ये यातायात, सहायता और अन्य सुविधायें देने पर व्यय किये गये। इस व्यय के लिए हम अवश्य कृतज्ञ हैं। किन्तु इस समस्या का हल अधिक सावधानी

से करना पड़ेगा। माननीय मंत्री ने अपने हाल के वक्तव्य में केवल अपनी विवशता प्रकट की है। पांच वर्ष के प्रयत्नों के बाद वे कहते हैं कि पाकिस्तान का रवैया सहायता करने का नहीं है। यह तो हम कई वर्षों से जानते थे और हम ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे पाकिस्तान से कुछ नहीं ले सकेंगे। भारत सरकार की नीति तो उस भिखारी की तरह है जो कहता है : "जो दे जाये उसका भी भला और जो न दे जाय उसका भी भला"। अपनी बेबसी प्रकट करते हुए वे शरणार्थियों को कहती है कि उस से जो कुछ भी न्याय हो सकेगा वह करेगी। इन ६ वर्षों के कष्टों के बाद हमारा यह जानने का अधिकार तो है कि स्थिति क्या है। हम केवल आश्वासनों और आशाओं पर नहीं जी सकते। हमारी दशा उस समय से जब हम विभाजन के बाद बड़ी बड़ी आशायें ले कर यहां आये थे बहुत खराब है।

धान के ऋणों के बारे में लोगों से कहा गया है कि यह ऋण उन से वसूल नहीं किये जायेंगें जब तक कि प्रतिकर के प्रश्न का निपटारा न हो जाये। किन्तु मैं माननीय मंत्री को बतलाना चाहता हूं कि इन में से बहुत से लोगों के दावे हैं ही नहीं। अतः केवल बहुत थोड़े लोगों को लाभ पहुंचेगा।

पांच करोड़ रुपये ग्रह-निर्माण पर व्यय किये गये हैं परन्तु किसी योजना के अनुसार नहीं। पानीपत और नीलोखेड़ी की दो बस्तियों के सिवा, अन्य बस्तियां बिल्कुल ही उत्पादी नहीं हैं और इन पर लागत बहुत आई है। शरणार्थियों को इन मकानों के लिए दुगना मूल्य देना पड़ा है किन्तु हम गर्व से कहते हैं कि हम ने इन्हें पुनर्वासित कर दिया है। उन में सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। लागत इतनी अधिक है और किराये इतने बढ़े हुए हैं कि शरणार्थी इस के बोझ के नीचे दबा जा रहा है।

अब मैं निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न को लेता हूं। सन् १९४९ में यह बतलाया गया था कि प्रतिकर तीन भागों में होगा। पहला भाग था, जो पाकिस्तान से प्राप्त होना था, दूसरा निष्क्रांन्त सम्पत्तिसंकोष का मूल्य और तीसरा भाग थाव सरकार का अपना अंशदान। इन सब का मूल्य, लगभग ३५० करोड़ था। शरणार्थियों न यह हल मान लिया था। १९४९ में निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि में संशोधन करने के लिए एक प्रारुप भी तैयार किया गया था, जो कि उस समय स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु अन्त में, जमीअत के हस्तक्षेप पर सब कुछ छोड़ दिया गया और अन्य उपबन्ध बनाये गये जिन के फलस्वरूप बड़ी बड़ी राशियां भारत से पाकिस्तान भेजी जाने लगीं। इस के अतिरिक्त बहुत से वहुत से मुसलमान वापस आगये हैं और उन की सम्पत्ति उन को लौटा दी गई है। इन की सम्पत्ति लौटाये जान के बाद संकोष में केवल ५० करोड़ या अधिक से अधिक ७० करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति रह जायगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि शरणार्थी इस संकोष का ख्याल छोड़ दें, तो आश्चर्य नहीं होगा। ग्रामीण सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया गया और उन की चल सम्पत्ति तो है ही नहीं। यदि निष्क्रांन्त सम्पत्ति का मूल्य ७५० या १००० करोड़ लगाया जाय और पाकिस्तानी मुस्लिम सम्पत्ति का मूल्य ५० या ७० करोड़ रुपये लगाया जाय, तो हिसाब लगाने पर प्रत्येक शरणार्थी को रुपये में से एक आना मिलेगा। किन्तु आप अभी पाकिस्तान को ७०० या ८०० करोड़ रुपये का दान दे रहे हैं। आप उसे गेहूं देते हैं किन्तु यदि हम चावल मांगें तो पाकिस्तान इन्कार कर देता है।

[सरदार हुक्म सिंह]

हम यहां बार बार घोषणा करते हैं कि हम शान्ति प्रिय लोग हैं और इन प्रश्नों का निपटारा करने के लिए कभी युद्ध नहीं करेंगे। यद्यपि मैं लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहता, तथापि क्या हर अवसर पर यह कहना ठीक है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर, अपहृत स्त्रियों के प्रश्न पर, नहरों के प्रश्न पर और बिजली के प्रश्न पर हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। विरोधी पक्ष यह जानता है कि आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। किन्तु माननीय मंत्री ने जो शुभ इच्छायें प्रकट की हैं, उन से क्या बनेगा ? हम भी उन के साथ प्रार्थना करते किन्तु हमारे धर्म-स्थान भी वहीं रह गये हैं। इन धर्म-स्थानों की रक्षा और संधारण के प्रश्न पर एक सम्मेलन करने का एक सुझाव पाकिस्तान सरकार के सामने रखा गया था, किन्तु उस ने कहा कि यह अनावश्यक है।

यदि हम अपनी वर्त्तमान नीति पर स्थिर रहे, तो हम कोई उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यह संकोष सरकार के पास अमानत था किन्तु सरकार ने अमानत भंग की हैं और इस के लिये वह शरणार्थियों को उत्तरदायी है। माननीय मंत्री का कहना है कि शरणार्थी समस्या इतनी बड़ी है कि इस के कारण आज देश के ५० व्यक्तियों में से एक शरणार्थी है। क्या ५० व्यक्तियों के लिए एक को बसाना कठिन है ? किसी और राष्ट्र ने इतना कष्ट नहीं झेला। हमारी ३०००० स्त्रियां अपहृत की गई थीं और उन में से ७५०० वापस की गई हैं। हम उन्हें १५००० स्त्रियां लौटा चुके है। मुझे इस पर प्रसन्नता है। किन्तु ६ मासों से हमारी बरामद करने वाली संस्था आवश्यकता से अधिक सक्रिय है और १८००० स्त्रियां बरामद कर ली गई हैं। हम उन स्त्रियों को भी निकाल निकाल कर भेजे रहे हैं जिन का विवाह विभाजन से १५ वर्ष पहले हो चुका था। वे इस लिए भेजी जायेंगी क्योंकि यहां अब अपहृत स्त्रियां नहीं रहीं। यह प्रत्यत्न अब भी जारी है। मैं पूछता हूं कि क्या हमें पाकिस्तान से कुछ मिल सकता है——चाहे यह नहर का पानी हो, या बिजली, या निष्क्रान्त सम्पत्ति या अन्य निक्षिप्त सम्पत्ति हो। वहां हम असंख्य रुपया खो चुके हैं फिर भी हम भेड़ों की तरह अधीन होते जा रहा है और जो कुछ हमें मिल जाता है, उस के लिए धन्यबाद देते हैं और अपने भाग्य की प्रतीक्षा करते हैं। शरणार्थी यह देखते हैं कि सरकार कोई हल ढूंढती है या नहीं। माननीय मंत्री ने एक हल निकाला है। वह यह है कि हम ५० करोड़ रुपये ले सकते हैं, यद्यपि यह संभव है कि अगले ६ मासों में यह राशि घटा कर २५ करोड़ रुपये कर दी जाये। वास्तव में इस समस्या का हल सीधा सा है। १४६ करोड़ रूपये के व्यय में से १०० करोड़ रुपये ऋणों, सूद और अन्य विनियोग के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। इसे शरणार्थियों के लिए अलग रखकर संकोष में डाल देना चाहिए। २२ करोड़ रुपये जो कि पंच वर्षीय योजना के अधीन प्रतिवर्ष दिये जायेगे, वह भी संकोष में डाल देने चाहिए। इस का योग २१० करोड़ रुपये हो जाता है। मेरा एक सझाव जो कि मैं ने ६ फरवरी १९५० को दिया था यह है कि खाली स्थान नीलाम कर दिये जायें और जो धन प्राप्त हो, उसे भी इस संकोष में डाल दिया जाये। इस से हमें १०० करोड़ रुपये और मिल जायेंगे और सरकार कुल ३५० करोड़ रुपये दे सकेगी अर्थात् रुपये में ८ आने तो प्राप्त हो जायेंगे। यह समझ लीजिये कि शरणार्थी अपनी आधी सम्पत्ति का दान देंगे। शेष इस तरह से भारत के शेष भाग पर कर लगाये बिना पूरी की जा सकती है। इस से शरणार्थी भी संतुष्ट हो

जायेंगे । यदि सरकार का विचार हो तो यह सीधा सा हल बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : कररुहकुलिशै-द्विषतां चरणम्बुजनखर कान्तिभिर्भजताम् । हृदयग्रन्थेन् भिन्दन् मनसि नृसिंहः समुल्लसतु ।। मैं उपाध्यक्ष महोदय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे रिफ्यूजी प्राबलम (शरणार्थी समस्या) पर सदन के आखिरी वक्त में अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । रिफ्यूजी समस्या पांच प्रकार से देखी जा सकती है । सर्वप्रथम आवश्यकता उन के पुनर्वास अथवा रिहैबिलिटेशन की है, दूसरी उन के लिये लोन (ऋण) और तीसरी इवैक्यी प्रापर्टी (निष्क्रांत सम्पत्ति) की, चौथे जो क्लेम्स (दावे) हैं, उन के सेटिलमेंट (निपटारे) और अदायगी की है । इन के अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज़ में जितने लोग आये हुए हैं उन का और पांचवे जैसा अभी हमारे माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह ने कहा एब्डक्टेड वीमन (अपहृत स्त्रियां) के मसले हमारे सामने पेश हैं । अगर मैं इन सब प्रश्नों को छेड़ूं और इन पर बोलूं तो रिहैबिलि-टेशन मिनिस्ट्री के अलावा और भी मिनिस्ट्रीज़ खिच कर आ जायेंगी विशेषकर हमारे प्राइम मिनिस्टर का विभाग फारेन अफेयर्स (वैदेशिक कार्य) भी बीच में आ जायेगा । मैं समझता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम ने प्राइम मिनिस्टर को फ़ारेन अफेयर्स दे दिया और फारेन अफेयर्स को देने का फल हमें यह मिला है कि वह अमरीका की बात बहुत करते हैं । कोरिया की बात करते हैं पर अपने घर की बात भूल जाते हैं । और अधि-कतर उन का समय कोरिया और ट्यूनीशिया आदि के बारे में निकल जाता है । ट्यूनीशिया के अलावा और भी जितने सारे विश्व के मसले हैं, विश्व का सारा दुःख है, वह उन के दिल में समाया हुआ है । 'सारे जहान का दर्द हमारे जिगर में है' लेकिन अपने घर के दर्द के लिये हमारे पास समय नहीं है । मैं पुनर्वास मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुनर्वास विभाग में इतना अच्छा काम किया और लोगों को पुनः बसाने और काम पर लगाने का प्रयत्न किया विशेषकर उन के विभाग के जो डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं उन को दो दो, तीन तीन और कई गुना ज्यादा स्थान दिये गये । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मेरी इस बात को नोट करें, मैं बिना सूचना के नहीं कहता कि जिन जिन लोगों का पुनर्वास विभाग में हाथ है अथवा जिन लोगों का उनके साथ सम्बन्ध है और जिन के पास वहां पाकिस्तान में फटी झौंपड़ी भी नहीं थी, उन लोगों को यहां दो दो तीन तीन और चार चार मकान मिले हैं और जो बेचारे वाकई में असली हकदार हैं और जो बड़ी बड़ी जायदादें वहां छोड़ कर आये हैं उन को यहां रहने के लिये कोई स्थान सरकार की ओर से नहीं मिला है । मैं ने इस लिये यह शब्द कहे, यहां खड़े हो कर कहना कि गवर्नमेंट इस तरह से करती है ऐसे शब्द कहना कुछ अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब मेरे पास एक रिफ्यूजी आता है और इस तरह कहता है कि

६० रुपये प्रति मकान; मैं सदन में यह शब्द कहने के लिए क्षमा मांगता हूं ।

श्री सारगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : ठीक है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : वह मुझ से कहते हैं कि साठ रुपये लगते हैं एक मकान को लेने के लिये, आप क्या कहते हो ? मैं ने उस को यह शब्द कहे क्या हर्ज़ है, दे कर ले लो । वह कहने लगा कि हम तीन फैमलीज़ हैं, इस लिये १८० रुपया देने होंगे और कोई चारा नहीं है, मकान लेने के लिए हमें देना पड़ेंगे । मैं उस से और क्या कह सकता था क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि

[श्री नन्द लाल शर्मा]

अगर मैं इस काम के लिये मिनिस्टर साहब से कहूंगा तो उन के द्वारा इतनी जल्दी यह काम पूरा नहीं हो सकेगा बल्कि उलटे एक छोटे से छोटा क्लर्क इस काम को बिगाड़ भी सकता है ।

एक माननीय सदस्य : आप घूस भी देते हैं ।

१ म० प०

श्री नन्द लाल शर्मा : क्या करें मजबूरी है । आप लोग ज़बर्दस्ती डन्डे के बल से घूस लेते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग 'सत्यमेव जयते' कहते तो हैं लेकिन सत्यमेव जयते आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं । वेस्ट पंजाब और फ्रंटीयर से आये हुए लोग काफी रूरल प्रापर्टी (ग्रामीण सम्पत्ति) वहां छोड़ कर आये हैं । उन को गवर्नमेंट ने क्या मदद दी है ? पिछली बार डिस्प्लेस्ड परसन्स अमेंडमेंट ऐक्ट (विस्थापित व्यक्ति संशोधन अधिनियम) के सम्बन्ध में भी मैं ने यह प्रश्न किया था, मगर कोई उत्तर सरकार की तरफ से नहीं दिया गया । हरिद्वार में जो रिफ्यूजी भाई रहते हैं, मैं अभी कल व परसों वहां से लौट कर आया हूं । मुझे उन्हों ने बतलाया कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से नोटिस प्राप्त हो गये हैं कि वे पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर हरिद्वार छोड़ कर चले जांयें नहीं तो उन को बाई फोर्स (बल के प्रयोग से) निकाल दिया जायगा रिफ्यूजीज़ को ऐसी जगहों से जहां बेचारों का चार पैसे का धंधा लगा हुआ है, वहां से सरकार उन को हटा कर मीलों दूर जंगलों में टूटे फूटे बिल्कुल अन्हैबलीटेटेड (बंजर) स्थानों में भेजा जाता है । आप कहते हैं कि वे लोग वहां धर्मशालाओं में पड़े हुए हैं मुफ्त की खा रहे हैं । इस लिये वह वहां से हटना नहीं चाहते । मैं पूछता हूं कि वे लोग जो अपना सारा घरबार पाकिस्तान में छोड़ कर यहां आये हैं उन लोगों को धर्मशाला में बैठने में क्या सुख मिलता होगा ? भला जिस मनुष्य को रहने के लिये मकान मिले, वह धर्मशाला में क्यों रहना पसन्द करेगा । क्या धर्मशाला इतनी बढ़िया है कि वहां पर उन का मन शान्त हो गया और वह यह तय कर बैठेंगे कि अब हम अपना सारा जीवन धर्मशाला में ही बिता देंगे । हमारे पुनर्वास मंत्री महोदय कहते हैं कि चूंकि वह सहारनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं इस लिये उन को वहां के रिफ्यूजीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता है । मैं दिल्ली के बारे में जानता हूं, जहां कि आज भी क्वीन्सवे रोड के रिफ्यूजी स्टाल होल्डर्स (स्टाल वाले) बराबर रो रहे हैं कि सरकार ने हमको पहले कनाट प्लेस से हटाकर क्वीन्सवे में भेजा और आज फिर वह हमें क्वीन्सवे रोड से भी हटाना चाहती है तो आज हिन्दू जाति की यह स्थिति हो गई है । 'हिन्दू' शब्द का इस्तेमाल करने पर मैं मजबूर हूं । हिन्दू शब्द से गवर्नमेंट बैंचेज़ के लोग चौंकते हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि रिफ्यूजी से मतलब हिन्दू का है, और चूंकि वह हिन्दू हैं, इस लिये वह मार खा रहे हैं । हमारी गवर्नमेंट तो पंचायती गवर्नमेंट है और हम लोग तो यहां एक कोलिनी आफ नेशन्स (राष्ट्र संघ) बने हुए हैं । इस लिये भारत भी यू० ऐन० ओ० (संयुक्त राष्ट्र संघ) के पास रिफ्यूजी है । और काश्मीर विषयक या और जो कोई भी झगड़ा होता है तो उस को यू० ऐन० ओ० की सेवा में ले जाते हैं और अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम को क्नाल वाटर्स (नहरों का पानी) का प्रश्न अगर यू० ऐन० ओ० में ले जाना पड़े तो ले जायें, और कल फूड प्राबलम भी ले जानी पड़गी तो ले जायेंगे । इस

का कारण क्या है? वजह यह है कि आप लोग तो उन की शरण में जीवन पर्यन्त के लिये चले गये हैं।

लाला अचिन्त राम : आप ने ग़लत समझा है।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं तो यह कह रहा हूं कि उन को ले जाना पड़ेगा, परन्तु इस समय तो हम यू० ऐन० ओ० की शरण में जा रहे हैं। लेकिन वह लोग नहीं जा रहे हैं। उन को तो पता है कि उन का डंडा मज़बूत और मोटा है और जिस का घूंसा मज़बूत होता है वह किसी के पास नहीं जाता है, और न किसी दूसरे के सामने हाथ जोड़ता है। आप ने अभी सुना और बैगर्स ब्लैसिंग्स (भिकारियों का आशीर्वाद) आप के सामने आ गई। मैं इसलिये यह कहता हूं कि गवर्नमेंट डिस्प्लेस्ड परसन्स के रिहैबिलिटेशन का कोई प्रबन्ध नहीं है। उन की सर्विसेज़ आज भी स्थायी नहीं हुईं यदि उन्हें सर्विसेज़ से निकाल दिया गया तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स उनसे छीन लिये जायेंगे और उस के बाद वह कहां रहेंगे, इस का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है।

इस के अतिरिक्त हमारी आज भी तीस हज़ार हिन्दू देवियां पाकिस्तानी बुर्के में कैद हैं, उन के खून के आंसू बहते हैं, आप के कान पर जूं भी नहीं रेंगती और आप कर भी क्या सकते हैं। आप की दशा तो ठीक इस प्रकार की है :

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा :

वही इस सरकार की है। वह चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आगे उस की कोई बात सुनने वाला नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में आप को बल प्रयोग करना पड़ेगा, बल प्रयोग का यह अर्थ नहीं कि तत्काल आप डिक्लेरशन आफ वार (युद्ध घोषणा) कर दें, आप अगर खाली घुर घुर करें तो भी वह डिक्लेरेशन आफ वार करने के लिये तैयार हैं, आप खाली घुर घुर करें, आप शिकायत करते हैं और वे घुर घुर करेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि आप के पास जो बल है, जो चीज़ आप के अधिकार में है, आप उस का भी प्रयोग नहीं करते। मैं समझता हूं कि अगर आप के सामने छतरी वाला जैसे केस न आते और आप के बड़े ऊंचे गवर्नमेंट सर्वेन्ट की जो दुर्दशा हुई वह न होती तो आज तक शरणार्थियों को इतनी निराशा न होती। किन्तु आप को ईश्वर का डर तो है नहीं, केवल "धर्म चक्र प्रवर्तनाय" लिखा ही रह जायेगा, माना नहीं जायगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ईश्वर से डरो, आप लोग रिफ्यूजीज़ नहीं बने यह आप का सौभाग्य है, अगर आप ने यही दुर्दशा चालू रखी तो आप को समुद्र में भी शरण नहीं मिलेगी। मैं तो कहूंगा कि "सी दैट यू डू नाट क्रिएट ऐनादर पाकिस्तान हियर इन इंडिया। यू आर क्रिऐटिंग सो मैनी पाकेट्स अलरेडी।" मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी ऐगीजमैंट (तुष्टीकरण) की पालिसी का परित्याग करना पड़ेगा, अगर आप ने नहीं किया तो याद रखिये यह राम राज्य श्री गांधी जो का नहीं, हमारा भी नहीं मैं तो कहता हूं कि रावण के राज्य से भी गया बीता कोई राज्य यहां पर होगा और हम सर पीट पीट कर यहां रोयेंगे।

श्री फीरोज़ गांधी (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व): लेकिन राम ने ही तो विभीषण को राज्य दिलाया था।

श्री **नन्द लाल शर्मा** : बन्धुओ, मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की दशा विशेष कर बहुत खराब हो रही है। रिफ्यूजीज़ को तो इस का पता नहीं है कि उन के भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन डिस्प्लेस्ड

[श्री नन्दलाल शर्मा]

परसन्स में जो गवर्नमेंट सरवेंट्स हैं उन को यह आशा नहीं है कि उन का भाग्य कभी सुधरेगा भी। उन्हें पता नहीं वह कल गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहेंगे भी या नहीं, उन के पास खाने को भी रहेगा या नहीं, उन को यह पता नहीं है कि वह जीवित कैसे रहेंगे या मरेंगे, बाल बच्चों का पेट कैसे भरेंगे।

देवियों की रिकवरी (बरामदगी) के सम्बन्ध में कहा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कितनी देर बोलेंगे ? उन्हें १.१० तक भाषण समाप्त कर देना चाहिए।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं पुनर्वास मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह केवल आफिशल पद्धति से, केवल मशीन के ढंग से, जैसे कैलकुलेटिंग मशीन (गणना मशीन) होती है उस को इस बात से मतलब नहीं कि क्या चीज़ कैलकुलेट हो रही है, उस प्रकार से अपने मस्तिष्क का प्रयोग न करें, अपने हृदय को भी इस समस्या में लगा दें। यह समझ लें कि जिस के लिये वह काम कर रहे हैं वह भी मनुष्य हैं, उन को भी दुख सुख होता है, जो लोग मुसीबत में होते हैं वह उन के द्वार तक पहुंच भी नहीं सकते। जो असली रिफ्यूजी हैं, जो गरीब हैं वह बहुत दूर से दरवाज़े पर जाते हैं, लेकिन चपरासी तक उन को दुतकार देता है, उन लोगों के लिये वस्तुतः आप क्या कर रहे हैं ? हमारे कम्युनिस्ट भाई भी कहते हैं कि वह गरीबों के लिये, लेबर्स के लिये, मज़दूर के लिये काम करते हैं, लेकिन वह इन दुखी रिफ्यूजियों के लिये कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं ने यह दो चार शब्द आप के सामने रखे।

इन्हीं विषयों में आप ने लोन्स (ऋण) देने के प्रश्न की भी चर्चा की। लेकिन उस में आप ने पता नहीं कितनी श्योरिटीज़ और गारेन्टीज़ (जमानतें और प्रत्याभूतियां) लगा दीं। पहले अपने क्लेम्स मार्टगेज (गिरवी) कीजिये, इस के अतिरिक्त गारेन्टीज़ अलग चाहते हैं। जब तक यह नहीं होता तब तक लोन नहीं मिलता। कइयों को पचासों हज़ार मिल जाता है, कइयों को कुछ नहीं मिलता। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इन लोन्स के सम्बन्ध में भी आप ध्यान रखें।

इस के अतिरिक्त मैं पुनः प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री के साथियों का ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि प्रधान मंत्री तो सामने हैं नहीं, कि वह अकेले कोरिया, ट्यूनीशिया और दूसरे स्थानों की ओर ही ध्यान न दें, अपने घर को भी देखें क्योंकि घर के द्वार पर एक तरफ लाल झंडा आ गया है, एक तरफ हरा झंडा आ गया है, बीच में सफेद फंसा हुआ है। चक्र उस के ऊपर है, अगर यह सुदर्शन चक्र अथवा धर्म चक्र रहा तो शायद देश बच जायगा और अगर कहीं दूसरा चर्खा हो गया तो फिर हमारी दुर्दशा हो कर ही रहेगी।

इसके बाद सदन की बैठक बुधवार २८ जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।